




विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट Visakhapatnam Port Trust


ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Certified & ISPS Compliant





वार्षिक लेखा एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट Annual Accounts & Audit Report 2018 - 19







विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट वर्ष 2018-19 का वार्षिक लेखा और लेखापरीक्षा रिपोर्ट

विषय सूची

1.	विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट की वर्ष 2018-19 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट	1
2.	वर्ष 2018-19 का वार्षिक लेखा	8
3.	लेखा पर टिप्पणी	29
4.	वर्ष 2018-19 में वि.पो.ट्र. की वार्षिक लेखा और लेखापरीक्षा रिपोर्ट को पूरा करने में शामिल होने वाली विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाने वाली विवरणिका	47

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखपट्टणम 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट ।

- 1. महा पत्तन न्या अधिनियम 1963 की धारा 102 के साथ पिठत यंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सेवा के कर्तव्य अधिकार एवं नियम) अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत हमने विशाखप्टणम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) के 31 मार्च 2019 तक के संलग्न तुलन पत्र की तथा 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा की लेखापरीक्षा की है । ये वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी पोर्ट प्रबंधन की है । लेखापरीक्षा उपलब्धि के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय / विचार अभिव्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है ।
- 2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखाकरण के तरीके पर नियंत्रक एवं भारत के महा लेखापरीक्षक (सीएजी) की वर्गीकरण, उक्त लेखाकरण पद्धित के साथ समानुरूपता लेखाकरण मानक तथा प्रकटन प्रतिमानक आदि से संबंधित टिप्पणियाँ ही शामिल है । विधि के अनुपालन नियम, विनियम (औचित्य और नियमितता) तथा दक्षता सह—निष्पादन पक्ष से संबंधित वित्तीय संचालन पर लेखापरीक्षा आपत्तियाँ, यदि हैं तो, अलग से निरीक्षण रिपोर्ट / सी ए जी की लेखापरीक्षा रिपार्टों के माध्यम से रिपोर्ट की गई हैं ।
- 3. हमने अपने लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा मानकों के अनुरूप की हे । इन मानकों की अपेक्षानुसार वित्तीय विवरण आर्थिक गलत बयानी से मुक्त है या नहीं इसका उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन करते हैं । लेखापरीक्षा में परीक्षण जांच के आधार पर रकम के समर्थन और वित्तीय विवरण के प्रकटन के साक्ष्य की जाँच आदि शामिल होते हैं । लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धानों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा तैयार किये गये विशिष्ट प्राक्कलन, साथ ही वित्तीय विवरण एवं समस्त प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है । हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी विचार के लिए उचित आधार पर तौयार करता है ।
- 4. लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :
- i) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रयोजनार्थ सभी सूचनायें और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जो हमारी जानकारी और विवरण के अनुसार आवश्यक है ।
- ii) इस रिपोर्ट द्वारा बनाया गया तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित फार्म में तैयार किया गया है ।
- iii) हमारी राय में लेखा की उचित पुस्तके और अन्य तर्क संगत रिकार्ड वीपीटी, विशाखपट्टणम द्वारा अनुरक्षित रखे गये हैं जो इस प्रकार की पुस्तकों की जांच से पता चला है ।
- iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :
- क. लेखा का संशोधन

विशाखप्टणम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखप्टणम ने लेखापरीक्षा अवलोकनों के आधार पर अपने लेखों का संशोधन किया । परिणाम रूप में कर से पूर्व लाभ (पीबीटी) रू. 42.71 करोड़ तक कमी हुई अर्थात रू. 243.62 करोड़ लाभ से रू. 200.91 करोड़ लाभ हुई तथा कर के बाद (पीएटी) कमी रू. 34.09 करोड़ तक कमी हुई अर्थात रू. 158.60 करोड़ से रू. 124.51 करोड़ तक हुई।

ख. तूलनपत्र

चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

- ए. चालू परिसंपत्तिया
- III. विविध देनदार : रू. 425.29 करोड़ (शुद्ध)

मार्च 2014 तक रू. 7.31 करोड़ की संदिग्ध ऋणा का प्रावधान था । बाद में, वर्ष के बाद वर्ष आश्वसन के बावजूद, वीपीटी ने आगे संदिग्ध बकाय के लिए प्रावधान नहीं किया गया । 31 मार्च, 2019 तक विविध देनदारों की रू. 432.60 करोड़ कुल से, (i) तीन वर्ष से ज्यादा रू.196.91 करोड़ (45.52 प्रतिशत) के लिए और (ii) पांच वर्ष के लिए रू.76.85 क रोड़ (17.76 प्रतिशत) के लिए बकाया रकम था ।

वर्ष 2017—18 के लिए अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इसी तरह की टिप्पणी को शामिल किया गया था। हालंकि, कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं किया गया था। वीपीटी ने फिर से 2019—20 वित्तीय वर्ष में कार्रवाई करने का आश्वसन दिया।

ग. प्रबंधन पत्र

निशिचित लेखांकन गलतिया को ठीक नहीं किया गया था । मगर वीपीटी द्वारा वर्ष 2019—20 के वार्षिक लेखों में इसे सुधारने के आश्वसन के आधार पर, वहीं इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। ये गलतियों को अध्यक्ष के ध्यान में लाया गया । वीपीटी ने अलग प्रबंधन पत्र की माध्यम से 2019—20 में सुधारात्मक कार्रवाई के लिए आश्वसन विया ।

- v) पूर्व अनुच्छेदों में व्यक्त हमारे विचारों के आधार पर हम यह अभिलेख करते हैं कि इस रिपोर्ट के द्वारा देखे गये तुलनपत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा, लेखा बहियों के अनुरूप है ।
- vi) हमारी राय में और हमारी जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरणीयाँ, लेखाकरण नीतियाँ तथा लेखा पर नोट्स के साथ पठित तथा उपरोक्त विशेष मामले तथा यह प्रत्येक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की अनुलग्नक—। में दिये गये अन्य मामलों की शर्त पर, भारत में प्रायः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों को पृष्टता में सही तथा स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है ।
- क. वीपीटी, विशाखपट्टणम के 31 मार्च 2019 तक के कार्यकलापों की स्थिति के तुलनपत्र के संबंध में और
- ख. उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ / हानि के लाभ लेखा के संबंध में ।
- 5. 31 मार्च, 2019 को समाप्त पिछले तीन वर्षों का पोर्ट के लाभ के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम दिखाने वाली लेखा की समीक्षा अनुलग्नक — ॥ में दी गई है ।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की तरफ से

(एम.एस.सुब्रहमण्यम) वाणिज्य लेखापरीक्षा का महा निदेशक एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड हैदराबाद

स्थान : हैदराबाद

दिनांक 11 अक्तूबर 2019

अनुलग्नक - ।

1. आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति की पर्याप्तता :

जून, 2014 में विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) की आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य पहले बाहरी एजंसी मेसर्स जी.आर. कुमार इंड कंपनी, चार्टरित लेखाकर को दिया गया है । इसे द्वि—वार्षिक रूप में नवीकरण किया गया है और नवीनतम नवीकरण 31.10.2019 तक मान्य था । चालू वर्ष के दौरान, संदर्भ नियमों के अनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा ने अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक के लिए मासिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट्स वीपीटी के वि.स. एंव मु.ले.अ. को प्रस्तुत किया । आंतरिक लेखापरीक्षा अधिदेश ने चालू वित्तीय वर्ष 2018—19 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा में प्रारूप तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा, अनुसूची आदि में विभिन्न किमयों का सत्यापन सिहत विभिन्न जांचों की व्यवस्था सी एंड एजी लेखापरीक्षा से 63 लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाल जो वीपीटी प्रबंधन द्वारा सुधार किया गया था । यह स्थिति सूचित करती है कि आगे आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धित की प्रभावशीलता में वृद्धि लाने की आवश्यकता है ।

2. आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता :

वीपीटी के आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त नहीं हैं । निर्धारित क्षेत्र जौसे विविध देनदार प्रबंधन, लेखों की जमा आदि से संबंधित को मज़बूत / वृद्धि करने की आवश्यकता है । कुछ आवश्यक क्षेत्रों इस प्रकार हैं :

- विविध देनदार के समयवार विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सरकारी पार्टियों से 1974—75 से और पहले 1990—91 से गैर सरकारी पार्टियों से व्यापार देय बकाया है । पहले 1974—75 और अब 2008—09 तक 10 वर्षों के लिए बकाया 31 मार्च, 2019 तक कुल रकम रू. 432.60 करोड़ की रू 26.10 करोड़ की बकायों को शामिल करते हुए (सरकारी ग्राहकों से रू. 17.14 करोड और गैर सरकारी ग्राहकों से रू. 8.96 करोड़ की बकाय की तुलना में) के कारण बकाया है । यह बकाया राशि की वसूली के लिए नियमित रूप से लगे रहने और ठोस प्रयासों की अनुपस्थित सूचित करता है ।
- देनदार से वसूल किया गया रकम पहले में पहले के आधार पर बिलवार पुराना बकाया रकम के खिलाफ समायोजित नहीं किया जा रहा है । परिणाम स्वरूप, कुछ ग्राहकों से वसूल की गई रकम समायोजन के बिना ऋणों में परिलक्षित होती है । इस प्रद्धित में, उन दोनों बिलों की पहचान करना मुश्किल है जिनके खिलाफ बकाया है । इस स्थिति में यह सुनिशिचित करने के लिए पुराना बकाया क्रमिक रूप से समय समय पर ग्राहक—वार वसूल को ग्राहक—वार समायोजित करने विस्तृत मौनुअल समीक्षा की आवश्यकता हैं ।
- वर्ष 2002— 2003 से अबतक संदिग्ध ऋणों के लिए अंतिम रूप देने के लिए निपटाने / अनुवर्ती कार्रवाई के बिना प्रावधान बनाए रखते हैं ।
- पोर्ट सेवाओं का उपयोग करने के पहले सभी पोर्ट उपभोक्ताओं को अग्रीम के रूप में अपने रिवाल्विंग डिपाजिट लेखों में न्यूनतम रू. 25,000 शेष रखना होगा । 31 मार्च, 2019 में, कु ल 1907 ग्राहकों का जमा / अग्रिम लेखें हैं, जिससे (i) 1029 जमा खातादारों ने न्यूनतम शेष राशि का अनुरक्षण नहीं करते हैं; (ii) 232 जमा खातादारों से रू. 46.70 (वीपीटी द्वारा प्राप्त) नकारात्मक शेष राशि है; (iii) 5 पीपीपी ग्राहकों के पास (वीपीटी द्वारा प्राप्त) रू. 70.84 करोड़ नकारात्मक शेष राशि है । यह पोर्ट सेवाओं को प्रदान करने से पहले ग्राहकों के खातों में जमा राशियों की अपर्याप्तता को सूचित करता है ।
- वर्ष 2009—10 और 2010—11 से 2015—16 के लिए आयकर निर्धारण आदेशों के खिलाफ अपील क्रमशः आयकर (ए) और आयकर अपील न्यायाधिकरण (आई टी ए टी) आयुक्त पहले से लंबित है । प्रबंधन को अपील शीघ्र निपटाने के लिए तुरंत उचित प्रयास सुनिश्चित करना होंगे ।

3. नियत परिसंपत्तियों की भौतिक जांच की पद्धति :

वीपीटी की नीति और प्रर्किया के अनुसार, पांच वर्षों में एक बार स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन कि या जाता है । स्थिर परिसंपत्त्यों का भौतिक सत्यापन 2013 मार्च 31 के अंत तक आयोजित कि या गया । मार्च, 2018 तक अगला

भौतिक सत्यापन है अगले चक्र का आयोजन 2018—19 में उनके लिए गठित समिति द्वारा किया गया । समिति ने 29 दिसंबर, 2018 को रिपोर्ट दिया गया । 31 मार्च, 2019 में यह रिपोर्ट को संबंधित वीपीटी के विभागों को भेज दी गई है । जुलाई, 2019 में एक विभाग से पुष्टि प्राप्त हुई है, लेकिन अन्य विभागों से लंबित है । उपरोक्त कार्य के लिए काफी समय लगने के बावजूद वह लंबित है ।

4. वस्तुसूची की भौतिक जांच की पद्धति :

वीपीटी की नीति और पद्धति के अनुसार, वार्षिक आधार पर भंडारण और सामग्री की सूची का भौतिक सत्यापन करने के संबंध में वर्ष 2018—19 के लिए उसी भौतिक सत्यापन पूरा हो गया है ।

5. सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता :

वीपीटी ने नियत तिथियों के अंदर संबंधित संगठनों को सांविधक देयों का भूगतान किया ।

(एम.एस.सुब्रहमण्यम) महा निदेशक

अनुलग्नक — ॥

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल लेखापरीक्षा अवलोकन / विचारों पर ध्यान न देते हुए लेखा की समीक्षा की गई है ।

1. परिचय

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) के वित्तीय लेखों की लेखापरीक्षा महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 102 के साथ पिठत नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सेवा के कर्तव्य अधिकार एवं नियम) अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत किया गया ।

2. वित्तीय स्थिति :

वर्ष 2018—19 के वीपीटी की पिछले तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति प्रति वर्ष के अंत तक बडे शीर्ष के तहत निम्नानुसार है: (रूपया करोडों में)

	0			,
	विवरण	2016—17	2017—18	2018—19
1.क.	दायिताएँ :			
	(i) पूँजी आरक्षण	961.12	961.34	962.94
	(ii) अन्य आरक्षण	1066.26	1261.94	1340.43
	(iii) उधार	0.00	0.00	0.00
	(iv) पूँजी ऋण	70.53	54.86	39.06
	(v) प्राप्त किये गये अनुदान	0.28	0.28	19.53
	(vi) चालू दायिताएँ एवं प्रावधान			
	अन्य दायिताएँ (भविष्य निधि / पेंशन, उपदान निधि आदि)	2117.03	2150.09	2205.74
	(vii) अस्थागित कर दायित्व	0.00	0.00	0.00
	कुल	4319.45	4215.22	4428.51
1.ख.	परिसंपत्तिया			
	(i) नियत परिसंपत्तियाँ (ग्रास ब्लॉक)	1970.83	2099.23	2452.37
	(ii) घटाईये : मूल्यहास	665.33	684.17	740.76
	(iii) शुद्ध नियत परिसंपत्तियाँ	1305.50	1415.06	1711.61
	(iv) प्रगति पर पूंजी कार्य	471.96	576.57	350.21
	(v) निवेश	198.68	226.41	513.51
	(vi) चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	2075.63	2052.89	1874.94
	(vii) विविध व्यय (डीआरई)	0	0	0.00
	अस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	163.45	157.57	117.43
	कुल	4215.22	4428.51	4567.70
ग.	कार्यचालन पूँजी¹	-41.40	-97.20	-330.81
ਬ.	शुद्ध मूल्य ²	2027.38	2223.28	2303.36
च.	नियोजित पूँजीं	1264.10	1317.87	1380.80
छ.	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत⁴	1.82	14.86	8.90
ज.	नियोजित पूँजी (प्रगति पर रहे कार्य सहित)	1736.06	1894.44	1731.01
झ.	नियोजित पूँजी पर पर प्रतिलाभ का प्रतिशत (प्रगति पर रहे कार्य सहित)	1.33	10.34	7.10

- 1 कार्यचालन पूँजी चालू परिसंपत्तियां माईनेस चालू दायिताओं को दर्शाता है ।
- 2 शुद्ध मृल्य पूँजी आरक्षण एवं अन्य आरक्षण तथा संचित अधिशेष, घाटा—संचित कमी को दर्शाता है ।
- 3 पूँजी नियोजन शृद्ध नियत परिसंपत्ति एवं कार्यचालन पूँजी को दर्शाता है ।
- 4 रैट ऑफ रिटर्न पूँजी नियोजन के लिए शुद्ध अधिशेष का प्रतिशत (विनियोजन से पहले) को दर्शाता है ।

3. कार्यचालन परिणाम का सारांश :

31 मार्च 2019 को समाप्त वीपीटी के कार्यचालन परिणाम पिछले दो वर्ष 31 मार्च 2017 और 2018 की तुलना के साथ नीचे दिये गये हैं :

	विवरण	2016—17	2017—18	2018-19
II	राजस्व :			
क.	आय			
	परिचालन आय	917.58	1063.81	1201.39
	गैर परिचालन आय	122.63	133.57	99.42
	कुल	1040.21	1197.38	1300.81
ख.	व्यय			
	परिचालन व्यय	531.64	541.70	591.01
	गैर परिचालन व्यय	463.25	396.16	508.89
	कुल	994.89	937.86	1099.90
ग.	विनियोजन से पूर्व शुद्ध अधिशेष / कमी / कर से पूर्व लाभ	45.32	259.52	200.91
	घटाईए : कर के लिए प्रावधान			
	पिछले वर्ष	0.00	0.00	0.00
	चालू वर्ष	13.09	57.77	36.27
	फ्रिंज लाभ कर	0.00	0.00	0.00
	आस्थगित कर	9.19	5.89	40.13
	कर के बाद लाभ	23.04	195.87	124.51
घ.	घटाईः स्थिर परिसंप त्तियों को निपाटाने पर लाभ और पूंजी आरक्षण में स्थानांतरण	1.22	0.22	1.60
च.	विनियोजन के लिए उपलब्ध रकम	21.82	195.65	122.91
छ.	घटाईः मैनडेटरी विनियोजन/आरक्षण निधि में अंतरण (शुद्ध लाभ)	0.00	189.49	120.50
ज.	सामान्य आरक्षण निधि में स्थानांतरित अधिशेष (शुद्ध लाभ)	21.82	6.16	2.41
誀.	निम्न के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ का प्रतिशत			
	परिचालन आय	2.51	18.41	10.36
	शुद्ध नियत परिसंपत्तियाँ	1.76	13.84	7.27
	शुद्ध मूल्य	1.14	8.81	5.41

4. अनुपात विश्लेषण (परिसमापन और शोध क्षमता) :

- (क) चालू दायिताओं के लिए चालू परिसंपत्तियों का प्रतिशत वर्ष 2017—18 में 95.48 से घटकर वर्ष 2018—19 में 85.00 हुआ।
- (ख) चालू दायिताओं के लिए तत्काल परिसंपत्तियों का प्रतिशत वर्ष 2017—18 में 61.34 से घटकर वर्ष 2018—19 में 48.10 हुआ।
- (ग) चालू दायिताओं के लिए तरल परिसंपत्तियों का प्रतिशत वर्ष 2017—18 में 44.43 से घटकर वर्ष 2018—19 में 28.82 हुआ।
- (घ) परिचालन आय के लिए फुटकर देनदार का प्रतिशत वर्ष 2018—19 को 35.40 वृद्धि होकर वर्ष 2017—18 में 34.19 हुई।
- (च) ऋण / पूँजी आरक्षण एवं अन्य आरक्षण का अनुपात वर्ष 2017—18 को 2.47 से घटकर वर्ष 2018—19 में 1.70 हुई।
- (छ) कुल परिसंपत्तियों के लिए चालू परिसंपत्तियों का प्रतिशत वर्ष 2017—18 में 46.36 से घटकर वर्ष 2018—19 में 41.05 हुई।
- (ज) परिचालन आय के लिए व्यय का प्रतिशत वर्ष 2017—18 में 50.92 से घटकर वर्ष 2018—19 में 49.19 हुई ।

(एम.एस.सुब्रहमण्यम) महा निदेशक

वार्षिक लेखा

31 म	र्च 2019 को तुलनपत्र की अनुसूची	31 मार्च 20	19 को समाप्त राजस्व लेखा की अनुसूची
अनुसूची 1.1	आरक्षण एवं अधिशेष	अनुसूची आर 1	कार्गा संभलाई और भंडारण प्रभार
अनुसूची 1.2	ऋग निधि	अनुसूची आर 2	पोर्ट एवं डाक प्रभार
अनुसूची 1.3	ग्रांट की प्राप्ति	अनुसूची आर 3	रेल्वे आमदनी
		अनुसूची आर 4	संपदा किराया
अनुसूची 1.4	आस्थगित कर	अनुसूची आर 5	कार्गी संभलाई और भंडारण
अनुसूची 2.1	नियत पूँजी परिसंपत्तियाँ	अनुसूची आर 6	पोर्ट एवं डाक सुविधाएं
अनुसूची 2.2	निवेश	अनुसूची आर 7	रेल्वे कार्यचालन
अनुसूची 2.3	चालू परिसंपत्तियाँ ऋग एवं अग्रिम	अनुसूची आर 8	किराये योग्य भूमि और भवन
अनुसूची 2.4	चालू देयतायों एवं प्रावधान	अनुसूची आर 9	प्रबंधन और सामान्य प्रशासन
		अनुसूची आर 10	वित्त और विविध आय
अनुसूची 2.5	विविध व्यय	अनुसूची आर 11	वित्त और विविध व्यय

Section 1

(रूपयों में)

	2		31 माचे 2019 को			31 मार्च 2018 को	018 को
निधियों का स्त्रोत :							
आरक्षण और अधिशेष :							
क. पूँजी आरक्षण			9,629,408,653			9,613,441,773	
ख. राजस्व आरक्षण							
क) सामान्य आरक्षण निधि		1,006,770,803			985,276,644		
ख) कर्मचारी कत्याण निधि		0			0		
ग) कर्मचारी परिवार सुरक्षा निधि		74,108,907			68,705,930		
घ) उपस्कर सुरक्षा निधि		0			0		
ड़) देयताओं का आरक्षण निधि		0			0		
			1,080,879,710			1,053,982,574	
ग. सांविधक आरक्षण							
क) पूँजी परिसंपतियों का प्रतिरधापन, पुनर्वास और							
आधुनिकीकरण के लिए आरक्षण		6,390,264,848			5,580,663,202		
ख) ऋण एवं आकस्मिकताओं का पुर्नभुगतान,							
विकास के लिए आरक्षण		5,933,121,202			5,984,723,715		
			12,323,386,050	000 000		11,565,386,917	000
अनदान प्राप्तियाँ	6.	•		23,033,674,413	•		22,232,811,264
ऋण निष्ठियों :	1.2						
क. सुरक्षा ऋण			0			0	
ख. सरकारी ऋण			390,666,190			548,578,100	
ग. असुरक्षित ॠण			0		•	0	
				390,666,190			548,578,100
आस्थागित कर दायिताएं :				0			0
निधियों के कुल संसाधन				23,619,613,353			22,784,162,114

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट VISAKHAPATNAM PORT TRUST

तुलन पत्र

	अनु		31 मार्च 2019 को			31 मार्च 20	2018 को
निधियों की प्रयुक्ति :							
क. नियत पूँजी परिसंपत्तियों (शुद्ध ब्लाक)	2.1						
क) जमीन		391,218,245			391,218,245		
ख) पट्टा का जमीन		73,881			73,881		
ग) पूँजी निकर्षण		4,987,510,336			5,042,136,199		
घ) भवन, शेड्स एवं अन्य संरचना		556,464,301			536,836,348		
ट) गोदाम, सडकें, सीमाएं		1,888,271,837			1,736,181,979		
ठ) प्लावीयान		775,087,545			865,140,852		
ड) रेल्वे तथा रोलिंग स्टॉक		1,103,533,114			1,139,553,903		
ढ) डॉक, समुद्र दीवार, पीयर्स एवं नौचालन सहयोग		6,295,791,840			3,247,921,196		
च) क्रेन एवं वाहन		94,046,735			141,964,147		
छ) संयंत्र और मशीनरी		713,875,712			764,747,651		
ज) जल, विद्युत, दूर संचार तथा अग्निशमन की संस्थापना		310,266,482	17,116,140,028		284,857,009	14,150,631,410	
ख. प्रगति पर रहे पूँजी कार्य			3,502,112,447			5,765,726,098	
				20,618,252,475			19,916,357,508
निवेश :	2.2						
क. सामान्य आरक्षण निधि का निवेश		794,000,000	794,000,000		788,000,000	788,000,000	
ख. सांविधिक आरक्षण का निवेश							
1. सरकारी अथवा न्यासी प्रतिभूतियां		39,703,444			39,703,444		
2. शेयर्स, डिबेचर्स या बॉड्स		3,068,372,100			294,000,000		
 अन्य निवेश 		0	3,108,075,544		0	333,703,444	
ग. नकद अधिशिष निधि का निवेश							
1. अन्य निवेश		1,233,041,197	1,233,041,197	5,135,116,741	1,142,420,627	1,142,420,627	2,264,124,071



(रूपयों में)

तुलन पत्र

13,904,045,640 20,528,944,783 ঝ मार्च 2018 471,483,691 241,609,628 3,637,590,989 9,553,361,332 6,624,899,143 5,090,306,638 1,312,884 88,286,351 5,042,241,118 1,133,760,536 2,503,830,453 9,552,048,448 134,000,000 473,351,149 5,909,906,000 -40,220,831 107,641,994 11,308,375,278 18,749,359,896 7,440,984,618 120,938,849 277,703,643 4,252,939,786 6,356,793,000 4,692,018,252 मार्च 2019 71,381,864 1,531,206 4,665,550,940 896,300,000 3,356,639,786 6,355,261,794 128,000,000 622,345,955 6,582,882,223 107,756,440 -44,914,552 2.4 2.3 सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर आदि के साथ शेष सब्सिडरी / पोर्ट / न्यास के लिए अग्रिम और ऋूण प्राप्त करनेवाले मूल्य के लिए नगद अथवा वस्तु रूप में वसूली योग्य अग्रिम पेंशन एवं उपदान निधियों शेड्यूल्ड बैंक के साथ बैंक शेष अन्य बैंकों के साथ बैंक शेष निवेशो पर प्रोदभूत ब्याज चालू परिसंपतियाँ, ऋण एवं अग्रिम : नकद और बैंक शेष गैर सरकारी देय फुटकर देनदार अंतर पोर्ट देय हस्त नगद शेष सरकारी देय वस्तु सूची पेशन निधि चालू परिसंपतियाँ चालू दायिताएं : भ ল্ল ন্ত্ৰ **च** खे 8 ख F 8 च च .. ह्याटा

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट VISAKHAPATNAM PORT TRUST

तुलन पत्र

(रूपयों में)

	ਅਜੁ		31 मार्च 2019 को			31 मार्च 2018 को	18 को
іі. विविध लेनदार							
क) स्टोर्स के लिए लेनदार		11,141,621			3,821,005		
ख) गैर दावा वस्तुओं की असमायोजित बिक्री से आय		0			0		
ग) अधिशेष सामग्री का गैर समायोजित बिक्री से आय		0	11,141,621		0	3,821,005	
iii. विविध लेनदार और ऋण शेष							
क) रेत्वे को देय विलंब / वैगन भाड़ा प्रभार		164,862,523			108,091,438		
ख) सांविधक भुगतान		781,903,065			741,881,259		
ग) पूँजी व्यय के प्रति दायिताएं		21,272,455			21,272,455		
티) 애귝		698,481,900			504,586,706		
ड़) व्यापारी, ठेकेदार और अन्य से जमा		2,344,773,788	4,011,293,731		2,034,152,117	3,409,983,975	
iv. अग्रिम भुगतान तथा असमाप्त रियायतें अभी भी दिये जानेवाले दिस्से के लिए मल्य			5 360 564 211			702 605 608 5	
, अन्य दायिताएं			3 776 314 300			3 757 811 377	
			000,410,011,0			764 500 402	
VI. વ્યાપા પ્રાવનૂતા 10થી 11થી વરતુ ઋૂળ વર્ષ વહા			300,57.33			304,523,497	
			18,217,905,848			18,024,039,285	
ন্ত্র, प्रावधान :							
क) कर के लिए प्रावधान		3,839,532,141			3,476,877,311		
ख) आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान		0			0		
ग) अन्य प्रावधान		0			0		
			3,839,532,141	22,057,437,989		3,476,877,311	21,500,916,596
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां				-3,308,078,093			-971,971,813
विविध व्यय :	2.5			0			0
(जिस हद तक लिखित या समायोजित नहीं किया गया है)							
आस्थागित कर परिसंपतियां :	1.4			1,174,322,230			1,575,652,348
निधियों की कुल प्रयुक्ति				23,619,613,353			22,784,162,114
-/≌					- / ≌		
अध्यक्ष				•	वि.स.एवं.मु.ले.अ.प्रभारी	मारी	

अनुसूची - 1.1

आरक्षण और अधिशेष

			राजस्व आरक्षण		सांविधक	आरक्षण
	पूँजी आरक्षण	सामान्य	कर्मचारी परिवार	कर्मचारी	पूँजी परिसंपत्ति	विकास, ऋण तथा
		आरक्षण निधि	सुरक्षा योजना	कल्याणकारी	प्रतिस्ध्यापना	आकस्मिकताओं की
				योजना	आरक्षण	अदायगी के लिए
						आरक्षण
	₩	₩	*	₩	**>	₩
01-04-2017 को आदि शेष	9,613,441,773	985,276,644	086,705,930	0	5,580,663,202	5,984,723,714
जोड़ :						
1. (क) राजस्ख लेखा से योगदान	0	0	11,436,038	2,747,124	809,601,646	395,359,788
(ख) अतिरिक्त मूत्यद्वास	0	0	0	0	0	0
2. राजस्व लेखा से अंतरण	15,966,880	24,195,159	300,000	0	0	0
3. (क) अन्य आरक्षणों से अंतरण	0	0	0	0	0	0
(ख) सामान्य आरक्षण निधि		0	0	0	0	0
4. अन्य अंतरण	0	0	0	0	0	0
	9,629,408,653	1,009,471,803	80,441,968	2,747,124	6,390,264,848	6,380,083,502
घाटा :						
1. आरक्षणों से अंतरण						
क) युद्ध घाटा	0	0	0	0	0	0
ख) पूँजी आरक्षण से अंतरण	0		0	0	0	0
ग) ऋणों की पुर्न अदायगी	0	0	0	0	0	446,962,300
घ) सांविधिक आरक्षणों में अंतरण	0	0	0	0	0	0
2. अन्य अंतरण						
क) राजस्व खाते से अंतरण	0	2,701,000	0		0	0
3. वर्ष के दौरान व्यय	0	0	6,333,061	2,747,124	0	0
31—03—2019 तक अंत शेष	9,629,408,653	1,006,770,803	74,108,907	0	6,390,264,848	5,933,121,202
-/월					-/≥	
अध्यक्ष				वि.स.एवं.	वि.स.एवं.मु.ले.अ.प्रभारी	

तुलन पत्र की अनुसूची

तुलन पत्र की अनुसूची अनुसूची - 1.2

ऋृण निधियाँ

	सुरक्षित	ा ॠण
	ॠण और अग्रिम	भारत सरकार से
		व्यवस्थिति निधियां
	रू.	र्फ.
01—04—2018 तक शेष		548,578,100
वर्ष के दौरान प्राप्त		0
वर्ष के दौरान भुगतान		157,911,910
31—03—2019 तक शेष		390,666,190

तुलन पत्र की अनुसूची अनुसूची – 1.3

ग्रांट की प्राप्ति

01-04-2018 तक शेष	2,772,750
वर्ष के दौरान प्राप्त	192,500,000
वर्ष के दौरान भुगतान	0
31—03—2019 तक शेष	195,272,750

तुलन पत्र की अनुसूची अनुसूची — 1.3

आस्थगित कर

	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
आस्थगित कर दायिताएं – आदिशेष		
मूल्यहास के कारण समय में भिन्नता	375,285,895	199,134,495
घाटा / जोड़ : अपफ्रंट ॠण चुकाना डीटीए	26,757,764	27,359,473
घाटा : आइ.टी. अधिनियम 1961 की धारा 43 (बी) के तहत नियोक्ता के		
रूप में चुकाई जानेवाली रकम के कारण समय में भिन्नता	1,924,180,479	1,806,317,272
आस्थगित कर दायिताएं / (परिसंपत्तियां)	-1,575,652,348	-1,634,542,250
लेखा पर मूल्यहास के कारण समय में भिन्नता डीटीएल	419,309,570	375,285,895
घाटा / जोड़ : अपफ्रंट ऋृण चुकाना डीटीए	632,627,908	26,757,764
घाटा : आई टी अधिनियम 1961 की धारा 43) ख) के तहत नियोक्ता के		
रूप में चुकाई जानेवाली रकम के कारण समय में भिन्नता डीटीए	2,226,259,708	1,924,180,479
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ — अंत शेष	-1,174,322,230	-1,575,652,348
पी एवं एल खाते से शुद्ध आस्थगित कर देयता प्रभार	401,330,118	58,889,902

अनुसूची – 2.1

नियत पूँजी परिसंपतियाँ

तुलन पत्र की अनुसूची

l					6						
			केंद्र	ब्ह्लॉक			मॅथ्स	मूल्ध्यद्वास		शब्द	ब्लॉक
	परसिंपतियों की श्रेणी	1 अप्रैल 2018 से	जोड़	विलोपन	31 मार्च 2019 से	1 अप्रैल 2018 से	वर्ष के दौरान मूल्व्यद्वास	मूल्धहास समायोजन	31 / 03 / 2019 को मूल्घ्यद्वास	1 अप्रैल 2018 को	1 अप्रैल 2019 को
		*~	*>	*>	*>	*>	*~	*	*	*>	₩.
	जमीन	391,218,245	0	0	391,218,245	0	0	0	0	391,218,245	391,218,245
	पट्टे का जमीन	73,881	0	0	73,881	0	0	0	0	73,881	73,881
2	्र पूँजी निकर्षण	5,579,626,847	0	0	5,579,626,847	537,490,648	54,625,863	0	592,116,511	5,042,136,199	4,987,510,336
က	3 भवन, शेंड एवं अन्य संरचनाएं	911,809,453	46,064,685	4,457,886	953,416,252	374,973,105	23,794,229	1,815,383	396,951,951	536,836,348	556,464,301
4	। वार्वस्, सड़क सीमाएं	2,232,324,845	225,754,844	0	2,458,079,689	496,142,866	73,664,986	0	569,807,852	1,736,181,979	1,888,271,837
5	ऽ प्लावीयान	2,253,574,907	0	0	2,253,574,907	1,388,434,055	99,688,855	9,635,548	1,478,487,362	865,140,852	775,087,545
9	३ रेल्वे तथा रोलिंग स्टॉक	1,890,286,169	7,473,379	0	1,897,759,548	750,732,266	43,494,168	0	794,226,434	1,139,553,903	1,103,533,114
7	, डॉक, समुद्र दीवार, पीयर्स एवं नौषद्दन सहायता	4,183,491,177	3,171,291,501	0	7,354,782,678	935,569,981	123,513,174	92,317	1,058,990,838	3,247,921,196	6,295,791,840
∞	3 क्रेन और वाहन	642,514,479	0	4,271,961	638,242,518	500,550,333	47,917,411	4,271,961	544,195,783	141,964,147	94,046,735
6	। संयंत्र और मशीनरी	1,618,682,561	11,620,000	13,765,277	1,616,537,284	853,934,910	57,549,631	8,822,969	902,661,572	764,747,651	713,875,712
-	10 जल विद्युत, दूरसंवार तथा अग्निशमन की संस्थापना	1,288,735,227	94,683,369	2,978,219	1,380,440,377	1,003,878,219	69,273,895	2,978,219	1,070,173,895	284,857,009	310,266,482
	कुल	20,992,337,792	3,556,887,778	25,473,343	24,523,752,226	6,841,706,382	593,522,212	27,616,397	7,407,612,198	14,150,631,410	17,116,140,028
	प्रगति पर रहे पूँजी कार्य	5,765,726,098	1,461,774,773	3,725,388,423	3,502,112,447					5,765,726,098	3,502,112,447
	कुल पूँजी परिसंपतियाँ	26,758,063,889	5,018,662,551	3,750,861,766	28,025,864,673	6,841,706,382	593,522,212	27,616,397	7,407,612,198	19,916,357,508	20,618,252,475



तुलनपत्र की अनुसूची — 2.2

निवेश

		31 मार्च 2019 तक		31 मार्च 2	018 तक
		लागत मूल्य	अंकित मूल्य	लागत मूल्य	अंकित मूल्य
		₹	₹	₹	₹
क.	सामान्य आरक्षण				
	चालू निवेश				
	दीर्घकालिक निवेश :				
1.	सरकारी या न्यासी प्रतिभूतियां				
2.	शेयर्स, डिबेंयर्स या बोंड्स	794,000,000	794,000,000	788,000,000	788,000,000
3.	अन्य निवेश	0	0	0	0
	कुल (क)	794,000,000	794,000,000	788,000,000	788,000,000
ख.	सांविधक आरक्षण				
	चालू निवेश				
	दीर्घकालिक निवेश :				
1.	सरकारी या न्यासी प्रतिभूतियां				
	सीजी 2034 @ 7.50%	20,170,333	20,000,000	20,170,333	20,000,000
	सीजी 2035 @ 7.40%	19,533,111	20,000,000	19,533,111	20,000,000
		39,703,444	40,000,000	39,703,444	40,000,000
2.	शेयर्स, डिबेंयर्स या बोंड्स				
	ए पी पी एफ सी लिमिटेड पावर बांड्स				
	बैंक ऑफ महाराष्ट्रा बोंड्स	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	केनरा बैंक बोंड्स	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
	केनरा बैंक बोंड्स	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	तमिलनाडु विद्युत बोर्ड बोंड्स	8,000,000	8,000,000	14,000,000	14,000,000
	सू बी आई बोंड्स ईस्घ्यू	0	0	0	0
	डी सी आई कर छूट बोंड्स – 2013	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	डीसीआई शेयर्स				
	(@ रू. 10/- प्रति शेयर 5451710 शेयर्स अंकित मूल्य)	2,786,372,100	54,517,100	0	0
		3,068,372,100	342,517,100	294,000,000	294,000,000

तुलनपत्र की अनुसूची

अनुसूची — 2.2

निवेश

	31 मार्च 2019 तक		31 मार्च 2	018 तक
	लागत मूल्य	अंकित मूल्य	लागत मूल्य	अंकित मूल्य
	₹	₹	₹	₹
3. अन्य निवेश	0	0	0	0
কুল (ভ্ৰ) (1+2)	3,108,075,544	382,517,100	333,703,444	334,000,000
ग. नगद अधिशेष निधियां				
एलआईसी ऑफ इंडिया के अंतर्गत ग्रूप अर्जित छुट्टी योजना	1,076,324,777	1,076,287,523	996,194,525	996,194,525
बजाज एलियन्ज़ के अंतर्गत ग्रूप अर्जित छुट्टी योजना	42,175,644	42,175,644	39,639,790	39,639,790
बजाज़ एलियन्घ्ज के अंतर्गत परिवार सुरक्षा योजना	74,705,119	74,705,119	69,718,513	69,718,513
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (लाईफ) के अंतर्गत ग्रूप अर्जित छुट्टी योजना	39,835,657	39,835,657	36,867,799	36,867,799
कुल (ग)	1,233,041,197	1,233,003,943	1,142,420,627	1,142,420,627
कुल निवेश : (क+ख+ग)	5,135,116,741	2,409,521,043	2,264,124,071	2,264,420,627

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट VISAKHAPATNAM PORT TRUST

तुलनपत्र की अनुसूची

चालू परिसंपत्तियां, ऋृण एवं अग्रिम

अनुसूची - 2.3

	31 मार्च 2	2019 तक	31 मार्च 2	.018 तक
	₹	₹	₹	₹
चालू परिसंपत्तियां i. निवेशों पर संचित ब्याज ii. संपत्ती सूची सर्वीस् स्टॉक एवं स्पेयर्स		420,938,849		471,483,691
त्वास स्टार्क रूप स्वयस 2 वर्ष से कम की सामान सूची 2 वर्ष से अधिक 3 वर्ष से कम की सामान सूची 3 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम की सामान सूची 10 वर्ष से अधिक परंतु 15 वर्ष से कम की सामान सूची 15 वर्ष से अधिक की सामान सूची	273,387,171 367,188 4,164,060 332,625 20		236,255,334 1,523,965 3,661,457 332,645 0	
घाटाः नॉन मूविंग संपत्ति सूची पर मूल्यझस iii. विविध देनदार	278,251,064 547,421	277,703,643	241,773,401 163,773	241,609,628
क) शोध्य समझे जानेवाला अशोध्य ऋृण : क. कार्गो संबंधी देय ख. जहाज संबंधी देय ग. संपदा देय घ. रेल्वे देय च. मूल्यङ्गास बंदरगाह देय छ. अन्य विविध देय	357,685,689 2,381,543 3,531,282,958 156,838,496 167,384,229 37,366,871		267,913,328 33,669,718 3,047,406,114 148,722,264 125,291,560 14,588,005	
	31,300,011	4,252,939,786	14,300,003	3,637,590,989
ख) संदिग्ध या अशोध्य समझे जानेवाले ॠण :	22,927,786 2,377 4,259,566 40,879,049 5,026,643	73,095,421 4,326,035,207 73,095,421 4,252,939,786	22,927,786 2,377 4,259,566 40,879,049 5,026,643	73,095,421 3,710,686,410 73,095,421 3,637,590,989
iv. रोकड और बैंक शेष क. हस्तगत रोकड ख. बैंकों में शेष :		1,531,206		1,312,884
ग. चालु / बचत बैंक खातों में : अांघा बैंक — पोर्ट शाखा ऐक्सिस बैंक बैंक ऑफ बरोड़ा केनरा बैंक विजया बैंक आईसीआईसीआई बैंक इंडियन ओवरसीस बैंक इंडियन अवरसीस बैंक इंडियन अवरमील बैंक ऑफ इंडिया (आईडीबीआई) ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया — सूर्याबाग शाखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया — मुख्य शाखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया — मुख्य शाखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया — मुख्य शाखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया — पोर्ट शाखा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया — पोर्ट शाखा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया — आरटीजीएस एसबी खाता 133641 एसबीआई अग्रदाय एसबीआई जंग्रदाय एसबीआई नीबी—पीसीएस खाता (I)—31 आईडीबीआई— पीसीएस(0) — 15010300 एचडीएफसी— पीसीएस खाता (0) —5003 एसबीआई — आरएफआईडी	6,516,788 184,646 58,648 7,982 0 0 9,559 176,623 1,108,696 2,760,330 655,337 1,539,465 112,867,617 4,991,625 84,566 100,000 101,529 188,789 33,809,594		82,409,081 1,315 58,648 7,982 0 0 9,559 16,183 1,108,696 4,296,030 655,337 1,413,958 2,924,092 4,991,625 255,942 100,000 0	
		165,161,794		98,248,449

तुलनपत्र की अनुसूची

चालू परिसंपत्तियां, ऋृण एवं अग्रिम

अनुसूची - 2.3

		31 मार्च :	2019 तक	31 मार्च 20 ⁻	18 तक
		₹	₹	₹	₹
	घ. जमा खाते में (टीडीआर खाता एवं सीएलटीडी खाता) :				
	आंध्रा बैंक	390,100,000		1,044,500,000	
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	20,000,000		600,000,000	
	र्केनरा बैंक	0		0	
	बैंक ऑफ इंडिया	0		0	
	आईडीबीआई	1,880,000,000		4,990,000,000	
	एलआईसी ऑफ इंडिया	3,260,000,000		0	
	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – पोर्ट शाखा	120,000,000		269,300,000	
	विजया बैंक	0		1,850,000,000	
	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	0			
	इंडियन ओवरसीस बैंक	520,000,000		700,000,000	
	सिंडिकेट बैंक	0		0	
		6,190,100,000	6,190,100,000	9,453,800,000	9,453,800,000
			6,356,792,999		9,553,361,332
	कुल चालू परिसंपत्तियं		11,308,375,277		13,904,045,641
	ा एवं अग्रिम				
1.	सब्दिसेंडरी / पोर्ट / न्यासियों को ऋृण एवं अग्रिम				
	कार्गो संभलाई प्रभाग द्वारा लिया गया भंडार	0		0	
	इंटरकार्पोरेट ऋण	10,000,000		10,000,000	
	पेंशन निधि ट्रस्ट को अग्रिम				
	उपदान निधि ट्रस्ट को अग्रिम				
	विशाखपट्टणम पोर्ट सड़क कंपनी लि. को अधीनस्थ ॠण	118,000,000		124,000,000	
			128,000,000		134,000,000
2.	नकद या वस्तु या प्राप्ध्त होने वाले मूल्य में वसूली योग्य अग्रिम				
	र्वके कार्यों के लिए अग्रिम	281,830,906		220,097,666	
	भंडार के खरीद के लिए अग्रिम	50,989,982		61,421,260	
	कंप्यूटर अग्रिम	3,055,917		3,906,168	
	गृह निर्माण अग्रिम	4,383,730		5,002,776	
	मोटार कॉर / साईकिल अग्रिम	1,812,981		2,615,487	
	यात्रा / छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम	5,693,212		5,711,252	
	अन्य	275,183,627	<u> </u>	175,200,939	
			622,950,354		473,955,548
	घाटा : संदिग्ध्ध ऋृणों के लिए प्रावधान		604,399		604,399
			622,345,955		473,351,149
3.	सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर आदि के पास शेष				
	संचार निगम विभाग के पास स्वैच्छिक जमा	30,550		30,550	
	आयकर – टीडीएस, अग्रिम कर एवं सेवा कर	6,582,851,673	ļ <u></u>	5,909,875,450	
,			6,582,882,223		5,909,906,000
4.	जमा एपीट्रान्स्को के साथ जमा	F4 000 700		E4 440 224	
	जीवीएमसी के साथ जमा	54,262,780		54,148,334	
	णापार्वता प ताथ जना	53,493,660	107.756.440	53,493,660	107 644 004
	ऋृण एवं अग्रिम उपयोगी और असुरक्षित समझा गया		107,756,440		107,641,994
<u> </u>	कुल ऋण एवं अग्रिम		7,440,984,618		6,624,899,143

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट VISAKHAPATNAM PORT TRUST

तुलनपत्र की अनुसूची

चालू दायितायें एवं प्रावधान

अनुसूची - 2.4

	31 मार्च :	2019 तक	31 मार्च 20)18 तक
	₹	₹	₹	₹
।. भविष्य निधि, पेंशन निधि एवं उपदान निधियां				
क) भविष्य निधि	71,381,864		88,286,351	
ख) पेंशन निधि	4,665,550,940		5,042,241,118	
ग) उपदान निधि	-44,914,552		-40,220,831	
		4,692,018,252		5,090,306,638
॥. विविध लेनदार				
क) भंडार के लिए लेनदार	11,141,621		3,821,005	
ख) अदाया वस्तुओं की असमायोजित बिक्री से लाभ	0		0	
ग) अधिशेष सामग्री की असमायोजित बिक्री से लाभ	0		0	
		11,141,621		3,821,005
III. फुटकर लेनदार एवं जमा शेष				
क) रेल्वे को देय विलंब शुल्क / वैगन भाड़ा प्रभार	164,862,523		108,091,438	
ख) सांविधक भुगमान	781,903,065		741,881,259	
ग) पूँजी व्यय के लिए दायिताएं	21,272,455		21,272,455	
घ) अन्य	698,481,900		504,586,706	
च) व्यापारी, ठेकेदार और अन्य से जमा	2,344,773,788		2,034,152,117	
		4,011,293,731		3,409,983,975
IV. अग्रिम भुगतान एवं असमापन छूट				
उस भाग के लिए अभी भी मूल्य दिया जाना है				
क) पहले चुकायी गयी आय	114,132,355		146,382,330	
ख) परिशोध्य किये जानेवाले अपफ्रंट प्रीमियम	5,246,431,856		5,251,210,464	
ग) ट्रेड को अभी भी मूल्य में छूट दिया जाना है	0		0	
		5,360,564,211		5,397,592,794
ट. अन्य देयतायें		3,776,314,300		3,757,811,377
VI. प्राप्त ब्याज लेकिन ऋृणों पर देय नहीं		366,573,733		364,523,497
कुल चालू देयतायें		18,217,905,848		18,024,039,286
ख. प्रावधान :				
i. कर के लिए प्रावधान	3,839,532,141		3,476,877,311	
ii. आकस्मिताओं के लिए प्रावधान	0		0	
iii. अन्य प्रावधान	0		0	
कुल प्रावधान	3,839,532,141		3,476,877,311	
कुल चालू देयतायें एवं प्रावधान		22,057,437,989		21,500,916,597

लाभ एवं हानि

अवधि के अंत तक				
	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को		
आय :	2 2010 11	3 2010 101		
कार्गो संभलाई एवं भंडारण प्रभार	4,146,818,387	3,737,148,040		
पोर्ट एवं डॉक प्रभार	3,983,182,083	3,739,704,863		
्र रेल्वे आमदनी	1,611,827,750	1,526,881,781		
संपत्ति किराया	2,272,082,703	1,634,373,667		
कुल परिचालन आय	12,013,910,923	10,638,108,351		
व्यय :				
कार्गो संभलाई एवं भंडारण प्रभार	1,130,821,950	949,649,548		
पोर्ट एवं डॉक प्रभार	1,332,156,208	1,334,094,650		
रेल्वे आमदनी	1,059,943,699	743,899,737		
किराये योग्य भूमि एवं भवन	401,290,065	477,331,680		
प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासनिक विभाग व्यय	1,985,897,395	1,911,998,277		
कुल परिचालन व्यय	5,910,109,317	5,416,973,892		
प्रचालन अधिशेष :	6,103,801,606	5,221,134,459		
जोड : वित्त एवं विविध आय	994,161,756	1,335,735,784		
घाटा : वित्त एवं विविध व्यय	5,088,854,942	3,961,576,677		
कर से पहले लाभ	2,009,108,420	2,595,293,566		
घाटा : टैक्सेशन के लिए प्रावधान :				
पिछले वर्ष	0	0		
चालू वर्ष	362,654,830	577,685,557		
अस्थगित कर	401,330,118	58,889,901		
अस्थगित कर				
कर के बाद लाभ	1,245,123,472	1,958,718,108		
घाटा : पूँजी परिसंपत्ति निपटाने पर लाभ को पूँजी आरक्षण को स्थानांतरण	15,966,880	2,238,797		
विनियोजन के लिए उपलब्ध रकम	1,229,156,592	1,956,479,311		
घाटा : विनियोजन				
विकास, ॠणों का पुर्नभुगतान एवं आकस्मिकताओं के लिए निधि	395,359,788	754,734,562		
प्रतिस्थापना, पुर्नवास और आधुनिकीकरण के लिए पूँजी परिसंपत्ति	809,601,646	1,140,168,105		
कुल विनियोजन	1,204,961,434	1,894,902,667		
सामान्य आरक्षण में स्थानांतरित शेष	24,195,159	61,576,644		

ह/-अध्यक्ष

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट VISAKHAPATNAM PORT TRUST

	अवधि के अंत तक		
	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	
	₹	₹	
अनुसूची — आर. 1			
कार्गो संभलाई एवं भंडारण प्रभार :			
सामान्य कार्गो पर संभलाई और भंडारण प्रभार	1,565,479,424	1,404,422,828	
वेयर हाऊसों में सामग्री का भंडारण	70,664,244	44,185,376	
क्रेनेज़	10,480,330	4,695,013	
लाईटेज्	0	0	
पीओएल तेल और लुब्रिकेट.स की संभलाई	774,080,159	695,152,571	
सामान्य कार्गो पर विलंब शुल्क	37,097,286	480,762,647	
बी ओ टी ठेके से रॉयल्टी	1,648,316,392	1,074,128,225	
विविध प्रभार	40,700,552	33,801,380	
कुल	4,146,818,387	3,737,148,040	
अनुसूची — आर — 2			
पोर्ट एवं डॉक प्रभार :			
टोविंग एवं मूरिंग प्रभार	59,987,245	67,632,008	
डॉक देय	673,963,425	752,460,656	
पोर्ट देय	1,137,354,405	1,007,805,982	
पाईलटेज़ शुल्क	2,071,908,204	1,848,482,678	
ड्राई डॉकिंग प्रभार	19,981,234	38,395,604	
जहाजों के लिए जल आपूर्ति	5,793,351	3,955,138	
साल्वेज़ और जलगत मरम्मत	266,076	4,964,403	
विविध प्रभार	13,928,143	16,008,394	
कुल	3,983,182,083	3,739,704,863	
अनुसूची — आर — 3			
रेल्वे आमदनी :			
वैगन भाड़ा एवं दुलाई प्रभार	179,888,176	178,971,709	
साईडिंग प्रभार	549,176,065	555,850,760	
टर्मिनल प्रभार	673,075,778	607,296,484	
विविध प्रभार	209,687,731	184,762,828	
कुल	1,611,827,750	1,526,881,781	

	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
	₹	₹
अनुसूची — आर — 4		
संपदा किराया :		
भूमि से किराया	2,107,761,839	1,586,581,364
भंडारण शेडों पर किराया	0	64,595
बाहरी कार्यालयों के लिए व्यवस्थित आवास से किराया	14,209,002	14,943,236
कलावाणी ऑडिटोरियम	7,300,000	9,828,701
पोर्ट ट्रस्ट क्वार्टरों से किराया	2,239,103	5,011,807
वसूली योग्य प्रभार	117,983,493	12,972,269
विविध आय	22,589,266	4,971,695
कुल	2,272,082,703	1,634,373,667
अनुसूची — आर — 5		
कार्गो संभलाई एवं भंडारण :		
शेडों और वेयरहाऊसों में सामान्य कार्गो की संभलाई और भंडारण	698,251,953	573,431,158
वेयरहऊसिंग	0	0
अयस्क संभलाई संयंत्र का प्रचालन और अनुरक्षण	25,211,889	9,785,896
लाईटरों और बार्जो का परिचालन और अनुरक्षण	211,731	426,786
वार्फ क्रेन और क्रेन जहाजों का प्रचालन एवं अनुरक्षण	33,895,997	51,588,908
डॉक में सामान्य सुविधाओं पर व्यय	26,671,912	21,205,458
प्रशासनिक और सामान्य व्यय	219,659,085	179,997,296
नई लघु कार्य	0	0
मूल्यहास	126,919,383	113,214,046
कुल	1,130,821,950	949,649,548



	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
	₹	₹
अनुसूची — आर — 6		
पोर्ट एवं डॉक सुविधाएं :		
टोविंग, बर्थिंग एवं मूरिंग	470,913,144	423,571,840
पायलटेज्	282,378,817	307,326,805
ड्राई डािकंग व्यय	42,404,791	35,010,102
नौवहन के लिए जल आपूर्ति	11,206,489	8,796,556
अग्नि शमन	68,010,797	46,311,045
निकर्षण एवं समुद्री सर्वेक्षण	103,137,427	254,656,888
नौचालन सहायताओं का प्रचालन एवं अनुरक्षण	16,241,929	12,248,838
साल्वेज और जलगत मरम्मत	492,926	189,964
डॉक और हार्बर दीवारों, समुद्री संरचनाओं आदि का अनुरक्षण	21,054,295	17,564,923
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	29,958,595	7,591,752
नए लघु कार्य	0	0
मूल्यहास	286,356,998	220,825,937
कुल	1,332,156,208	1,334,094,650
अनुसूची — आर — 7		
रेल्वे कार्यचालन :		
लोकोमोटिव, वैगन आदि का प्रचालन एवं अनुरक्षण	341,999,686	252,135,925
स्थाई वे सिग्ल्न और इंटर लॉकिंग सिस्टम का अनुरक्षण	260,843,330	99,301,624
स्टेशन, यार्ड और साईडिंग के प्रचालन अनुरक्षण और प्रशासन संबंधी व्यय	22,194,920	0
प्रशासनिक एवं सामन्य व्यय	388,686,265	349,162,491
नए लघु कार्य	0	0
मूल्यहास	46,219,498	43,299,697
<u>चुल</u>	1,059,943,699	743,899,737

	अवधि के अंत तक		
	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	
	₹	₹	
अनुसूची — आर — 8			
किराये योग्य भूमि और भवन :			
संपदा अनुरक्षण	320,072,747	418,211,481	
भूमि मरम्मत और उद्धार	3,085,209	1,420,945	
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	1,336,942	679,137	
नए लघु कार्य	0	0	
मूल्यहास	76,795,167	57,020,117	
कुल	401,290,065	477,331,680	
अनुसूची — आर — 9			
प्रबंधन और सामान्य प्रशासन :			
प्रबंधन और सचिवालीय प्रशासन	139,270,392	108,112,647	
पोर्ट सुरक्षा (कं.औ.सु.ब)	344,190,377	321,587,662	
कानूनी व्यय	21,196,767	7,131,531	
श्रम और कल्याण व्यय	141,374,074	269,660,701	
अनुसंधान एवं योजना एकक	65,780,842	63,341,644	
चिकित्सा व्यय	404,222,246	350,851,902	
भंडार पालन	64,863,694	50,082,212	
लेखाकरण और लेखापरीक्षा	126,819,220	66,426,585	
मुख्य कार्यालय भवन पर व्यय	0	0	
दूरभाषा	11,552,779	12,033,329	
इंजीनियरिंग और कर्याशाला प्रशासन अतिरिक्त खर्च	544,491,435	545,358,177	
विविध व्यय	74,637,776	76,671,339	
मूल्यहास	47,497,793	40,740,548	
कुल	1,985,897,395	1,911,998,277	

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट VISAKHAPATNAM PORT TRUST

	अवधि के अंत तक		
	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	
अनुसूची — आर — 10	₹	₹	
वति और विधि आय :			
आवधिक निक्षेप एवं नकद शेष पर ब्याज	741,912,398	572,153,534	
राजस्व लेखा पर ब्याज	32,217,339	42,849,616	
जमा लेखा पर ब्याज	2,245,680	3,894,124	
आयकर वापसी पर ब्याज	15,390,640	93,677,658	
कार्गो संभलाई के लिए संयंत्र के अलावा किराया	0	276,634	
विविध आय	110,346,401	402,991,036	
आरएफआईडी आय	25,772,961	0	
विविध प्राप्तियां	31,879,429	42,955,384	
पूँजी परिसंपत्तियों के निपटारे पर लाभ	16,622,768	25,587,265	
सेंटेज़ प्रभार	181,171	6,831	
निविदा दस्ध्तावेज़ों की बिक्री	2,042,006	509,300	
भंडार समायोजन (अधिकता)	3,411,551	1,021,604	
पिछले वर्ष से संबंधित मदें	12,139,412	149,812,797	
<u>कु</u> ल	994,161,756	1,335,735,784	
अनुसूची — आर — 11 वित्त और विविण व्यय :			
वित्त आर विविध व्यय . बैंक प्रभार	740,000	750.440	
	719,663	756,143	
चुकाए जानेवाले ब्याज :	400 400 040	44.070.500	
i) सरकार से ऋण	466,106,248	44,976,586	
ii) अन्य एजिन्सयों से ऋण	0	0	
iii) अन्यों से ब्याज सिक्का समायोजना	0	0	
	-4,874	-97,046	
बहे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण	0	0	
संदिग्ध एवं अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	0	0	
निवेश में प्रत्याशित कमी के लिए प्रावधान	300,000,000	0	
संपत्ति कर	464,256,919	428,507,439	
आयकर अपील आदि पर व्यय	1,000	21,000	
पूँजी परिसंपत्तियों के निपटारे पर हानि	1,405,999	18,437,181	
भंडार समायोजन	45,938	1,326	
बाहरी उत्पादन मूल्य भिननता से हानि	2,930,145	5,510,556	
मास्टर लिस्ट अभ्यर्थियों को एक मुश्त भुगतान	82,000	0	
i) सेवानिवृत्ति उपदान	177,900,000	160,297,600	
ii) स्वैच्छिकं सेवानिवृत्ति योजना में अनुग्रहपूर्वक अदायगी	28,906,777	70,318,741	
iii) क) पेंशन भुगतान	2,782,667,684	1,967,457,911	
ख) नए पेंशन (टाईर–।) योजना के लिए अंशदान	48,297,182	32,405,114	
ग) पेंशन निधि के लिए अंशदान	645,800,000	1,000,000,000	
घ) पेंशन का कमुटेशन	130,375,666	140,386,316	
कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधि के लिए अंशदान	39,174,362	6,912,178	
भाविष्य निधि में न्यासियों का अंशदान	126,348	168,818	
	63,885	85,516,814	
पिछले अवधि से संबंधित व्यय	03,003	00,010,011	

लाभ और हानि की अतिरिक्त अनुसूची कुल व्यय (वित्त एवं विविध व्यय शामिल है)

	अवधि के	अंत तक
	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
	₹	₹
क. कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान :		
1. वेतन, मज़दूरी और बोनस आदि		
i. वेतन और मज़दूरी	3,025,215,338	2,551,132,231
ii. संशोधित वेतन बकाया प्रावधान	87,045,677	271,865,888
iii. बोनस	53,051,422	39,495,558
	3,165,312,437	2,862,493,678
2. भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		
i. भविष्य निधि में न्यासियों के अंशदान	126,348	168,818
ii. पेंशन निधि के अंशदान	645,800,000	1,000,000,000
iii. कम्युटेशन सहित पेंशन भुगतान	2,939,571,464	2,128,098,913
iv. पूल खलासियों को ईपीएफ वीपीटी अंशदान	21,769,068	12,150,428
	3,607,266,880	3,140,418,159
3. उपदान	177,900,000	160,297,600
4. वर्कमेन और स्टॉक कल्याण व्यय		
i. छुट्टी यात्रा रियायत व्यय	1,984,720	1,994,046
ii. चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	155,511,428	134,274,509
iii. आंतरिक रोगियों को पौष्टिकता	443,712	459,879
iv. भंडार (चिकित्सा)	80,480,240	89,695,997
v. भंडार (सर्जिकल)	533,169	792,442
vi. कामगार काम्पनशेषन अधिनियम के अंतर्गत भुगतान	84,260	85,675
vii. पासेस एवं पीटीओ	0	243,085
viii. छात्रवृत्ति, परुस्कार एवं अवार्ड	98,700	96,600
ix. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में अनुग्रहपूर्वक भुगतान	28,988,777	70,318,741
	268,125,006	297,960,975
कुल (क)	7,218,604,323	6,461,170,411
ख. प्रचालन व्यय :		
1. भंडार और अतिरिक्त और अतिरिक्त पुर्जी आदि का उपभोग	61,413,624	81,470,757
2. संयंत्र और मशीनरी (यांत्रिक) की खपत	274,679,840	219,318,375
3. भवन और सिविल संरचनाओं की मरम्मत	238,137,728	202,903,015
4. अन्य मरम्मत		
i. विशेष मरम्मत	0	0
ii. प्राक्कलन द्वारा पूरित विशेष मरम्मत	74,494,548	23,205,875
iii. आफीस मशीनों का किराया और सेवा प्रभार	32,492,117	37,037,718
	106,986,665	60,243,593



लाभ और हानि की अतिरिक्त अनुसूची कुल व्यय (वित्त एवं विविध व्यय शामिल है)

	अवधि के अंत तक		
	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	
	₹	₹	
5. उपयुक्त भंडार i. सामान्य भंडार	22.004.464	02.256.602	
ા. તાનાવ નહાર	33,904,161	93,356,602	
6. विद्युत, प्यूयल, लूब्रिकेट्स आदि	33,904,161	93,356,602	
i. भंडार (प्रचालन)	277,088,462	197,702,222	
ii. विद्युत शक्ति	18,476,161	67,815,913	
1. 1190 (10)	295,564,623	265,518,135	
7. नए लघु कार्य	0	200,010,133	
8. अन्य परिचालन व्यय			
i. रेल्वे को क्षति और कमियों के लिए चुकाए जानेवाले भुगतान	58,297,666	15,257,302	
ii. वैगन किराये प्रभार	0	4,594,000	
iii. प्लोटिंग क्राफ्टस के लिए किराया प्रभार	12,455,596	9,818,090	
iv. वाहन के लिए किराया प्रभार	53,260,272	50,487,640	
v. प्राईवेट टग्स के लिए किराया प्रभार	99,254,919	98,393,012	
vi. अग्नि प्रभार	0	0	
vii. फुटकर व्यय परिचालन	3,539,767	7,114,505	
viii. फ्राईट तथा संभलाई प्रभार	0	0	
ix. सुरक्षा	0	0	
x. सुरक्षा प्रभार	346,419,125	319,137,290	
xi. प्राईवेट सुरक्षा	7,026,830	3,584,912	
xii. निकर्षण प्रभार	44,520,789	196,090,650	
xiii. मूल्यहास	583,788,838	475,100,345	
	1,208,563,802	1,179,577,747	
কুল (ভ)	2,219,250,443	2,102,388,223	
ग. सामान्य व्यय :	4.407.050	405.000	
i. किराया, दर एवं कर ii. लेखापरीक्षा शुल्क	1,127,358	135,366	
ii. लखापराक्षा शुल्क iii. जल प्रभार	5,495,000 55,133,559	6,082,700 95,667,749	
iv. संचार व्यय	435,597	301,791	
v. अन्य व्यय	203,279	374,735	
vi. बीमा	22,664,978	2,373,581	
vii. यात्रा व्यय	13,344,192	9,236,805	
viii. फर्निचर एवं कार्यालय उपस्कर	824,725	108,100	
ix. विविध व्यय	28,571,924	25,707,862	
x. स्ध्टीवडोरिंग व्यय	0	0	
xi. पोर्ट स्वास्थ्य	0	0	
xii. विज्ञापन एवं प्रचार	8,361,954	12,783,648	
xiii. न्यासियों के शुल्क	69,000	105,000	

लाभ और हानि की अतिरिक्त अनुसूची कुल व्यय (वित्त एवं विविध व्यय शामिल है)

	g., 44 (4 34 14.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4	अवधि के अंत तक		
		31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	
		₹	₹	
	xiv. मनोरंजन	7,650,313	2,847,278	
	xv. पुस्तक एवं पीरियाडिकल्स	224,449	245,288	
	xvi. विधि एवं व्यवसायिक प्रभार	64,050,780	18,158,852	
	xvii. मुद्रण एवं प्रकाशन	2,143,705	2,082,814	
	xviii. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्ति	1,806,973	4,252,504	
	xix. लाईसेंस शुल्क	4,217,336	3,237,822	
	xx. टेलिफोन्स	6,083,526	8,306,340	
	xxi. अनुसंधान एवं विकास	37,153,992	19,143,842	
	xxii. चंदा	5,714	55,456	
	xxiii. अंशदान	26,841,856	13,242,227	
	कुल (ग)	286,410,207	224,449,760	
घ.	वित्तीय व्यय :			
1.	ब्याज व्यय			
	i. बैंक प्रभार	719,663	756,143	
	ii. सरकारी ऋृणों पर ब्याज	466,106,248	44,976,584	
	iii. अन्ध्य ॠणों पर ब्याज	0	0	
		466,825,911	45,732,727	
2.	संपत्ति कर	464,256,919	428,507,439	
	কুল (ঘ)	931,082,830	474,240,166	
뒥.	सामान्यतः पोर्ट द्वारा नहीं किये जानेवाले वस्ध्तु के ट्रान्सेक्शन्स या अपवादी परिस्थितियों			
	में या वापस नहीं होनेवाली स्थिति में किये गये कार्यकलापों से संबंधित लाभ या हानि –			
	अगर सामग्री रकम में हैं तो :			
	i. बहे खाते में डाले गये अशोध्य ॠण	0	0	
	ii. अशोध्य और संदिग्ध ॠणों के लिए प्रावधान	0	0	
	iii. पूँजी परिसंपत्तियों की निपटाने पर हानि	1,405,999	18,437,181	
	iv. भंडार समायोजन	45,938	1,326	
	v. निवेश में प्रत्याशित कमी के लिए प्रावधान	300,000,000	0	
	vi. पिछली अवधि के व्यय	63,885	85,516,814	
	vii. कर अपील पर व्यय	1,000	21,000	
	viii. कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए अंशदान निधि	39,174,362	6,912,178	
	घाटा बाहरी उत्पाद्य मूल्यों से भिन्नता	2,930,145	5,510,556	
	सिक्का समायोजन	-4,874	-97,046	
	कुल (च)	343,616,455	116,302,009	
	कुल व्यय	10,998,964,258	9,378,550,569	

2018—19 के वार्षिक लेखा महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखा पर टिप्पणी

(क). लेखा नीतियां :

- 1. लेखाकरण के मर्केंटाईल सिस्टम के अंतर्गत पुस्तकों का अनुरक्षण की गई। मूलभूत लेखा धारण को संबद्ध और सामंजस्य जाने की पालन किया जाता है। वास्तविक के आधार पर राजस्व को निर्धारित किया गया यदि कोई शुद्ध (सेवा कर) / जीएसटी एवं छूट / प्रोत्साहन आदि प्रस्तुत किया गया ।
- 2. नियत पूँजी परिसंपत्तियां एवं मूल्यझस

सभी परिसंपत्तियाँ मूल लागत पर पूँजीकृत किए गए हैं।

सरकार के वर्तमान निर्देशों के अनुसार 5 वर्ष से कम की अनुमानित अवधि एवं रू.1,00,000 / — लागत से कम की परिसंपत्तियाँ राजस्व परिसंपत्ति समझी गई और राजस्व व्यय में प्रभारित की गयी ।

मूल्यहास को सीधी लाईन प्रणाली के तहत उपलब्ध कराया गया ।

सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार 3 माह से कम के लिए प्रयुक्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया और छः माह की अवधि से कम प्रयुक्त परिसंपत्ति के लिए आधा मूल्यहास उपलब्ध कराया गया और 6 माह से अधिक के लिए प्रयुक्त परिसंपत्ति के लिए पूरा मूल्यहास का प्रावधा किया गया ।

निपटाने के कारण वित्तीय सारणी में नियत परिसंपत्तियाँ शामिल नहीं किए गए हैं । महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 96 प्रावधानों के अनुसार परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया गया ।

निर्माणाधीन नियत परिसंपत्तियों को प्रगति पर रहे पूँजी कार्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

पूँजी परिसंपत्तियों के निपटाने पर लाभ एवं हानि को वित्त एवं विविध आय के अंतर्गत दिखाया गया । बिक्री पर मिलने वाले पूँजी लाभ मूल रूप से अधिहीत लागत से ज्यादा होने के कारण, उसे पूँजी आरक्षण लेखा में स्थानांतरित किया गया ।

3. निवेश

एक वर्ष से अधिकतम के निवेशों को दीर्घकालीन निवेशों के रूप में तथा एक वर्ष या उससे कम अवधि के निवेशों को चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया ।

निवेशों को लागत मूल्य की लेखा पुस्तकों में ले जाया गया । मंडल के यह रॉय को ध्यान में रखते हुए ह्रास स्थाई प्रकार का है, दीर्घ कालीन निवेश के मार्केट मूल्य में झस के लिए प्रावधान किया गया ।

4. माल सूची का मूल्यांकन

स्टॉक मदों की सूची का मूल्यांकन औसत भार प्रणाली पर किया गया ।

5. आय

कार्य समाप्ति की प्रतीक्षा किये बिना, की गई सेवा से प्राप्त राजस्व को सेवा की समाप्ति की अवस्था के अनुपात में स्वीकार किया गया । पोर्ट में प्रविष्ट माल पर, लदाई न करने पर भी, अधिसूचित दरमानों के अनुसार वार्फेज प्रभार लगाये जाएंगे । तदनुसार वार्फेंज़ आय का गणन किया गया ।

घाट / सुविधाओं के पट्टे पर वसूल किया गया अपफ्रंट शुल्क और जमीनों की पट्टे वसूल किया गया प्रीमियम को पूर्व भुगतान आय के रूप में गणन किया गया और बिलमोरिया रिपोर्ट के अनुसार पट्टा अवधि के दौरान चुकाया गया।

6. उधार लागत

अध्रिग्रहण, परिसंपत्तियों का निर्माण के लिए सीधा आरेप्य उधार लागत को परिसंपत्ति प्रारंभ करने की तिथि तक पूँजीकृत किया गया । पूँजीकरण के बाद ऋण पर ब्याज को प्रोद्भवन के आधार पर राजस्व में प्रभार्य किया गया।

7. विदेशी मुद्रा कार्य संपादन

पुर्जें तथा प्रधान उपस्कर का आयात के लिए विदेशी मुद्रा कार्य संपादन सौदा करने की तिथि को रहे एक्सचैंज दर पर रिकार्ड की गई । अब तक पोर्ट को पुर्जें तथा प्रधान उपस्कर का आयात से संबंधित न कोई विदेशी मुद्रा का ऋृण है न ही कोई आगे के ठेके में हस्ताक्षर किया । जब कभी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, तब संबंधित लेखा मानकों को दृष्टि में रखते हुए नीति का निर्माण किया जाएगा ।

पोर्ट को जलयान से संबंधित प्रभार जैसे कुछ आय है, जो यू एस डालरों में डिनामिनेट किया जाता है लेकिन भारतीय रूपयों में वसूल किया जाता है । यह वसूली जलयान पोर्ट में प्रवेश करने की तिथि को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इसके सब्सिडरीज़ या अन्य कोई सार्वजनिक बैंक द्वारा अधिसूचित क्रय दर का उपयोग करते हुए किया जाता है ।

8. आय पर कर

आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, चालू कर का प्रावधान बनाया गया ।

ए एस 22 के अनुसार मुख्यतः मूल्ह्रास एवं आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43 बी के अंतर्गत आनेवाले मदों के कारण टाईमिंग में भिन्नता के परिणाम रूप में आस्थिगित कर परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व हुआ जो लाभ और हानि लेखा में प्रभार्य करते हुए लेखा में पाया गया है । आस्थिगित कर परिसंपत्तियों को निर्धारित करते हुए आगे ले जाया गया, क्यों कि पिछले मामलों के रिकार्ड एवं भविष्य के लाभ का प्राक्कलन के आधार पर उन्हें वसूल किया जा सकता है।

- 9. पेंशन, उपदान एवं छुट्टि नकदीकरण का वास्तविक मूल्यांकन प्रति वर्ष किया जाएगा ।
- ट. लेखा पर टिप्पणी
- 1. पोत परिवहन मंत्रालय के अनुसार देखें दिनांक 19.11.2018 को पत्र संख्या एस एस —28036/18/2016—डीसीआई—भाग—v। अनुमोदन, वीपीटी मंडल ने भारत सरकार से डीसीआई लिमिटेड के 54,51,710 समान शेयरों को दीर्घकालिक निवेश के रूप में रू. 278.04 करोड़ की लागत पर अधिग्रहण करने के लिए दिनांक 21.02.2019 को देखें संकल्प सं. 196/ 2018—19 और उसी को दीर्घकालिक निवेश के तहत शेयर एवं ऋणपत्र के तहत अनुसूची 2.2 में दिखाया गया है।
- 2. पूँजी राजस्व में वर्ष 1933 से 1964 तक प्रारंभ पूँजी के रूप में भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित निधियाँ भी शामिल है।
- 3. वर्ष के दौरान पूँजी परिसंपत्ति निपटाने पर लाभ के खाते में रू.1,59,66,880 / रकम को पूँजी राजस्व को स्थानांतरित किया । भारत सरकार (नवंबर 1970) के निर्देशों के अनुसार " शुद्ध ब्लॉक के समान पूँजी आरक्षण को बनाए रखने" का पहलू समीक्षा की गई है और बिलिमोरिया रिपोर्ट के अनुसार लेखा का कॉमन फ्रेम वर्क को वित्तीय वर्ष 2017—18 से पालन करने का निर्णय लिया गया है ।
- 4. दिनांक 31—03—2017 तक वीपीटी के संबंध में रू; 250.89 करोड़ रकम पैनल ब्याज का छूट देने के लिए देखें दिनांक 01—06—2018 को परिचालित मंत्रालय अनुमोदन की पत्र सं. एफ.नं.पीडी—19017 / 9 / 2016—पीडी—वी और वित्तीय वर्ष 2018—19 में, आगे अब तक छुट का अनुमोदन देने की तारीख से और वीपीटी को पैनल ब्याज का छूट का अनुमोदन तारीख से पैनल ब्याज / 0.25% के रूप में दंडात्मक ब्याज भुगतान करने और रू. 44.69 करोड़ के प्रधान बकाया पुनः भुगतान करने तथा छूट का अनुमोदन तारीख से बकाया ब्याज, एक किश्ते में भुगतान करने का निदेश दिया ।

वीपीटी ने देय राशि को निम्नानुसार तैयार किया:

प्रधान अदायगी

र्फ. 44,69,62,300 / −

ब्याज अदायगी

₹5. 58,64,97,152 / -

पैनल ब्याज पर / 0.25% दंड

र्फ. 65,75,609 ∕ −

कुल

र्फ. 104,00,35,061 ∕ −

रद्ध करने पर पैनल ब्याज

₹5. 263,02,43,521 / -

सीसी का कार्यालय, शिपिंग मंत्रालय ने भी उक्त की पुष्टि की देखें दिनांक 04—10—2018 के पत्र सं. पीएओ (शि) / कंट्रोल / पीपीटी / 2018—19 दृ 101—102 ।

तदनुसार, भुगतान लेखा अधिकारी, ओ/ओ लेखा के मुख्य नियंत्रक, शिपिंग मंत्रालय, नई दिल्ली के नाम पर वित्तीय वर्ष 2018—19 में रू. 104,00,35,061/— राशि एक किश्त में भुगतान करने देखें वीपीटी मंडल का संकल्प सं.103/2018—19 तैयार किया । लेखा अधिकारी, शिपिंग मंत्रालय, नई दिल्ली के नाम पर आऊट हार्बर ऋण के पूर्ण निपटाने में क्रमशः रू. 50,00,00,000/— और 54,00,35,061/— राशि के लिए डीडी नं. 306726 और 306727 का उक्त राशि तैयार किया गया ।

- 5. इस संबंध में रखा गया नीति और पद्धित के अनुसार स्थिर संपत्तियों की भौतिक सत्यापन की जा रही है । स्थिर संपत्ति का भौतिक सत्यापन के लिए सिमिति गठित किया, प्रस्तुत रिपोर्ट जो समाधान के अंतर्गत है । पुस्तकों के अनुसार परिसंपत्तियों का समाधान जल्दी ही पूरा करने के बाद, उस रिपोर्ट के साथ, लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा ।
- 6. 2018—19 के दौरान मालसूची का भौतिक सत्यापन भी किया गया है और नगण्य मूल्य विनमेय भिन्नता नोटिस किया गया है ।
- 7. मंत्रलय की पत्र सं.15 / 76, दिनांक 22—09—1976 के अनुसार नकद की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पूँजी परिसंपत्तियों की प्रतिस्थापना के लिए 3% आरक्षण, पूँजी नियोजन पर विकास, ऋणों की अदायगी एवं आकिस्मकताओं के लिए 3% आरक्षण हर वर्ष किया जाना है। पर्याप्त अधिशेष उपलब्ध नहीं होने के कारण, प्रतिस्थापना और आधुनिकीकरण के लिए 3% का आरक्षण संचित करने और रू. 78 करोड़ राशि वर्ष 2017—18 में विनिययोजन किया जाएगा। अधिशेष निधियों को दुष्टि में रखते हुए, वर्ष 2017—18 के लिए रू. 79,07,19,576 / रखने और चालू वर्ष अर्थात 2018—19 के पूँजी परिसंपत्तियों के लिए प्रतिस्थापना और आधुनिकीकरण के लिए आकिस्मकताओं के लिए रू. 41,42,41,858 / राशि और विकास, ऋण का पुनःभुगतान आकिस्मकताओं के लिए निधि का विनियोजन नहीं किया। भविष्य में वहीं उपलब्ध किया जाएगा।

विवरण	वर्ष	वर्ष
पूँजी परिसंपत्तियों की प्रतिस्थापना और आधुनिकीकरण के लिए आरक्षण	2017—18	2018—19
विनियोजित किया जाएगा	39,53,59,788	41,42,41,858
विकास और ॠणों एवं आकस्मिकताओं के लिए आरक्षण		
वर्ष 2018–19 के दौरान विनियोजित किया गया	39,53,59,788	शून्य

8. ऑयल बूम उपस्करों की प्राप्ती और प्रारंभ करने के लिए शिपिंग मंत्रालय से प्राप्त रू. 27,72,750 / — रकम का अनुदान । क्रूस बर्थ निर्माण के लिए प्राप्त रू. 19.25 करोड़ रकम का अनुदान । अन्य अनुदान की प्राप्ती और समायोजित की स्थिति इस प्रकार है :

प्राप्त अनुदान	आवश्यक परिसंपत्तियों का विवरण	टिप्पणी
रू. 30.00 करोड़	यह रकम ग्रीन चैनल बर्थ के अंतर्गत दो परिसंपत्तियों का सृजिन के लिए उपयोग किया जाता है अर्थात ; क. वर्ष 2015—16 में रू. 18.45 करोड़ की लागत पर वर्तमान डब्ल्यूक्यू रिर्टन इंड का मज़बूतीकरण किया। ख. वर्ष 2016—17 में रू. 11.54 करोड़ का आरसीसी ले बाई जेट्टी को प्रतिस्थापित करने के लिए डब्ल्यूक्यू रिर्टन इंड का विस्तार किया गया।	प्राप्त अनुदान संपत्ति के मूल्य को सीमा तक कम किया और परिसंपत्ति की शेष रकम परिसंपत्ति रजिस्टर में दिखाया गया है ।
रू.20.00 करोड़	सागरमाला के अंतर्गत वीपीटी से एनएच 5 चरण 2 कार्य के लिए वर्तमान 2 लेन रोड को 4 लेन रोड़ निष्पादन करने के लिए भारत सरकार से अनुदान प्राप्त किया गया था । वीपीटी ने एसपीवी अर्थात वीपीआरसीएल में वीपीटी की समान भागीदारी के रूप में प्राप्त अनुदान में योगदान देने के लिए भारत सरकार की अनुमोदन मांगी।	सागरमाला विकास निगम के गठन पर, वीपीटी द्वारा किए गए समान शेयर का योगदान के लिए एनएचएआई शेयर को जारी किया जाएगा, प्राप्त करने वाले शेयरों की आवश्यक प्रविष्टियां लेखों की पुस्तकों में और जब कभी प्राप्त की जाएगी।

9. विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट को आईटी अधिनियम 1961 के 10 (20) के तहत स्थानीय प्राधिकार के रूप में निर्धारण वर्ष 2002—03 तक छूट दिया गया है (वित्तीय वर्ष 2001—02) । वित्तीय अधिनियम 2002 में संशोधन के साथ निर्धारण वर्ष 2003—04 (वित्तीय वर्ष 2002—03) के बाद पोर्टों को स्थानीय प्राधिकार के रूप में मिलने वाला छूट हटाया गया । अतः वीपीटी, निर्धारण वर्ष 2003—04 के बाद से आयकर चुकाना होगा। खैर, आयकर निर्धारण से छूट का दावा करने हेतु वि पो र्ट ने आयकर अधिनियम की धारा 12ए के अंतर्गत दानशील संगठन के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया। निर्धारण वर्ष 2003—04 के बाद से पूर्वव्यापी प्रभाव से धारा 12एए के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन किया, देखें आवेदन दि. 20—03—2008ए परिणाम रूप में टीडीएस प्रमाणपत्रों से संबंधित रकम को छोड़कर, निर्धारण वर्ष 2003—04 से 2008—09 तक चुकाए गए कर वापस किया गया । आयकर विभाग से देय वापस निधि का शेष निर्धारण वर्षवार निम्नानुसार है:

निर्धारण वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
वापसी बकाया (रू. करोड़ों में)	0.19	0.07	0.08	0.04	0.00	5.61

उक्त रकम वीपीटी को वापस देने के लिए आयकर विभाग से पत्राचार किया जा रहा है । निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए आयकर विभाग ने रू. 16.85 करोड़ ब्याज सिहत रू. 43.99 (01-04-2013) करोड़ वापस किया और ब्याज, 2012-13 के पी एंड एल लेखा में जमा किया । आयकर विभाग द्वारा, निर्धारण वर्ष 2008-09 से संबंधित निर्धारण के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधारण पिटीशन फाईल किया गया और शेष भुगतान रू. 5.61 करोड़ सिहत यह पिटीशन, पालन के अंतर्गत है ।

वित्तीय अधिनियम 2008 की धारा 2 (15) में संशोधन करने के कारण निर्धारण वर्ष 2009—10 के बाद पोर्ट्स, आयकर अधिनियम धारा 11 के अंतर्गत छूट के लिए अनर्हक है और 1 अप्रैल 2008 से वि पो ट्र को अयकर चुकाने वाले संगठनों में शामिल किया । निर्धारण वर्ष 2009—10 से 2015—16 तक की गई कर भुगतान / दावा किए गए टीडीएस / वीपीटी लेखों में किए गए प्रवधान / कर दायित्व / फाईल किए गए रिटर्नों के अनुसार दावा किया गया शुद्ध वापसी और निर्धारण की वर्तमान स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	विवरण		समय समय पर निर्धारण की स्थिति
1.	वित्तीय वर्ष निर्धारण वर्ष चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	2008-09 2009-10 77.72 67.24 54.45	ए. मार्च 2010 में संशोधित रिर्टन फाईल करते समय वीपीटी ने रू. 23.27 करोड़ कर वापस करने का दावा किया। बी. संवीक्षा एवं विभिन्न प्रकार के पूछताछ के बाद, निर्धारण अधिकारी, उनका प्राथमिक निर्धारण में, (दिसंबर 2011) कर दायित्व रू. 70.32 करोड़ के साथ कर लगाने योग्य आय रू. 176.21 करोड़ के रूप में गणन किया, और चुकाया गया कर / टीडीएस / ब्याज / रिफंड्स पर विचार करते हुए आदेश दिया कि वीपीटी को वापस देनेवोले शुद्ध रकम रू. 6.68 करोड़ है । सी. इस से असंतुष्ट होकर, यह आदेश पर कमीशनर, आई टी (सीआईटी) एपीलस विशाखपट्टणम के पास विरोध (30 जनवरी 2012) किया गया और अपील पर अंतिम निर्णय लंबित है। सी आई टी (एपीलस) ने फरवरी 2017 को सुनवाई प्रारंभ की और सुनवाई प्रगति पर है । डी. वीपीटी ने आयकर अधिनियम (30–12–2016) की धारा 154 के तहत रू. 0.72 करोड़ के टीडीएस का शार्ट क्रेडिट देने के लिए पिटीशन फाईल किया ।
2.	वित्तीय वर्ष निर्धारण वर्ष चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	2009—10 2010—11 76.41 37.50 25.09	ए. मार्च 2012 में संशोधित रिर्टन फाईल करते समय वीपीटी ने रू. 51.32 करोड़ कर वापस करने का दावा किया । बी. संवीक्षा एवं विभिनन प्रकार के पूछताछ के बाद, निर्धारण अधिकारी, उनका प्राथमिक निर्धारण में, (नवंबर, 2012) कर दायित्व रू. 58.90 करोड़ के साथ कर लगाने योगय आय रू. 190.60 करोड़ के रूप में गणन किया, और चुकाया गया कर/टीडीएस/ब्याज/ रिफंड्स पर विचार करते हुए आदेश दिया कि वीपीटी को वापस देने वाले शुद्ध रकम रू; 37.02 करोड़ है। वीपीटी ने सीआईटी—एपील्स, विशाखपट्टणम के पास विरोध किया और उन्होंने (जनवरी 2013) कर योग्य आय को पुर्न गणन करने के लिए निर्धारण अधिकारी को आदेश दिया । सी. पुनः निर्धारण करते समय (27—05—14) कर निर्धारण अधिकारी ने आय को रू. 130.15 करोड़ के रूप में तथा कर दायित्व को रू. 40.22 करोड़ के रूप में संशोधित किया। चुकाया गया कर/टीडीएस/ब्याज/रिफंड्स पर विचार करते हुए वीपीटी को 26.42 करोड़ शुद्ध रकम वापस देने का आदेश दिया ।

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		डी. तत्पश्चात आयकर के सहायक आयुक्त (एसीआईटी), सर्कल—1, विशाखपट्टणम ने आय को रू. 135.25 करोड़ के रूप में और कर दायित्व को रू. 41.79 करोड़ के रूप में संशोधित (14 मई 2015) किया और वीपीटी को रू. 22.48 करोड़ शुद्ध रकम वापस देने का आदेश दिया ।
		ई. आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2013—14 के लिए अतिरिक्त मांग (रू.14.93 करोड़) समायोजित करने के बाद शेष रकम रू. 7.54 करोड़ वापस (6 अप्रैल 2016) किया ।
		एफ.वीपीटी ने अपफ्रंट चुकाने के कारण कुल अय में रू. 0.89 करोड़ घटाने के लिए आयकर अधिनियम (25—04—2016) की धारा 154 के तहत पिटीशन फाईल किया ।
		जी. वीपीटी ने आयकर अधिनियम (30—12—2016) की धारा 154 के तहत रू. 9.53 करोड़ के टीडीएस का शार्ट क्रेडिट देने के लिए पिटीशन फाईल किया ।
		एच. सीआईटी (एपील्स) ने आदेश सीआइटी (ए), वीएसपी, नं. 0266 / 12—13 / एडिशनल. ओआईटी / आर—1 / वीएसपी / 2013—14, दि. 28—03—2014 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत एपील को कुछ भाग तक स्वीकार किया और वीपीटी ने आईटीएटी, विशाखपट्टणम बेंछ (27—01—2014) के सामने पिटीशन फाईल किया और सुनवाई प्रगति पर है।
		आई. सीआईटी—1, विशाखपट्टणम ने आयकर अधिनियम की धारा 14ए के तहत रू. 5.09 करोड़ को अस्वीकार करने के लिए लेखा अधिकारी को निदेश देते हुए, आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत (21—1—2013) निर्धारण का पुनरीक्षण प्रारंभ किया और वीपीटी ने आइर्दटीएटी, विशाखपट.टणम बेंच (27—01—2014) के सामने पिटीशन फाईल किया और सुनवाई प्रगति पर है ।
		जे. आयकर विभाग ने धारा 154 के तहत वर्ष 2010—11 के लिए (मई 2015) का निर्धारण की अंतिम रूप देते हुए ओदश दिया जिसमें रू.4.71 करोड़ कर वापसी पर शुद्ध ब्याज शामिल है और इसे 2015—16 की ब्याज आय के रूप में पहचाना गया है।
		के. आयकर विभाग ने 244ए के तहत 14—05—2015 से 31—03—2016 तक ब्याज (16 जून 2016) रू. 0.37 करोड़ वापसी योग्य में और जून 2017 को प्राप्त वापसी योग्य में दिखाया गया तथा वहीं 2017—18 की आय ब्याज के रूप में पहचाना गया है ।

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट VISAKHAPATNAM PORT TRUST



क्र.सं.	विवरण		समय समय पर निर्धारण की स्थिति
3.	विवरण वित्तीय वर्ष निर्धारण वर्ष चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	2010—11 2011—12 85.66 70.00 65.14 20.52	ए. सितंबर 2011 में संशोधित रिर्टन फाईल करते समय वीपीटी ने रू. 20.52 करोड़ कर वापस करने का दावा किया । बी. संवीक्षा एवं विभिन्न प्रकार के पूछताछ के बाद, निर्धारण अधिकारी, उनका प्राथमिक निर्धारण में, (जनवरी, 2013) कर दायित्व रू. 101.95 करोड़ के साथ कर लगाने योगय आय रू. 329.93 करोड़ के रूप में गणन किया, और चुकाया गया कर / टीडीएस / व्याज / रिफंड्स पर विचार करते हुए आदेश दिया कि वीपीटी को वापस देने वाले शुद्ध रकम रू. 42.40 करोड़ है । वीपीटी ने सीआईटी—एपील्स, विशाखपट्टणम के पास विरोध किया और उन्होंने (25—2—13) कर योगय आय को पूर्न गणन करने के लिए निर्धारण अधिकारी को आदेश दिया । सी. तत्पश्चात, कर लगाने योग्य आय (28—02—14) को रू. 338.44 करोड़ के रूप में, कर दायित्व को रू. 104.58 करोड़ में संशोधित किया गया। चुकाया गया कर / टीडीएस / व्याज / रिफंड्स पर विचार करने पर शेष कर रू. 5.09 करोड़ चुकाने के लिए वीपीटी को आदेश दिया । इससे असंतुष्ट होकर वीपीटी ने दि. 05—03—14 को सीआईटी (ए) के पास अपील फाईल किया । डी. एसीआईटी, सकर्मला, विशाखपट्टणम ने धारा 154 के अंतर्गत — देखें आदेश दि. 14—5—2015 रू. 86.48 करोड़ वायित्व सहित कर लगाने योग्य आय को रू. 279.86 करोड़ के रूप में निर्धारित किया तथा चुकाया गया कर / टीडीएस / रिफंड्स / ब्याज पर विचार करने पर निर्धारण किया कि वीपीटी को पुर्नमुगतान करने वाले शुद्ध रकम रू. 21.14 करोड़ है अंत में पुर्नमुगतान करने वाले शुद्ध रकम के .21.42 करोड़ के रूप में संशोधित किया। ई. आयकर विभाग ने निर्धारण किया कि वीपीटी को पुर्नमुगतान करने वाले रकम को रू.21.42 करोड़ के रूप में संशोधित किया। ई. आयकर विभाग ने निर्धारण किया विनय (25—4—2016) की धारा 154 के अंतर्गत एटीशन फाईल किया । एफ. वीपीटी ने आयकर अधिनियम (20—01—2017) की धारा 154 के अंतर्गत रू. 1.06 करोड़ टीडीएस का शार्ट क्रेडिट देने के लिए पिटीशन फाईल किया । एच. सीआईटी (एपील्स) ने आदेश सीआईटी (ए), वीएसपी नं. 0362 / 12—13 / एसीआईटी / सी—1 / वीएसपी / 2013—14, दिनांक 28—03—2014 द्वारा , आयकर अधिनियम की धारा 143

क्र.सं.	विवरण		समय समय पर निर्धारण की स्थिति	
			(3) के अंतर्गत एपील को कुछ भाग तक स्वीकार किया और वीपीटी ने आईटीएटी, विशाखपट्टणम बेंच (22—12—2014) के सामने पिटीशन फाईल किया और सुनवाई प्रगति पर है ।	
			आई. सीआईटी—1, विशाखपट्टणम ने आयकर अधिनियम की धारा 14ए के अंतर्गत रू. 8.51 करोड़ को अस्वीकार करने के लिए लेखा अधिकारी को निदेश देते हुए, आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत (21—11—2013) निर्धारण का पुनरीक्षण प्रारंभ किया और वीपीटी ने आईटीएटी, विशाखपट्टणम बेंच के सामने पिटीशन फाईल किया और सुनवाई प्रगति पर है ।	
			जे. आयकर विभाग ने धारा 154 के तहत वर्ष 2011—12 के लिए (मई 2015) का निर्धारण की अंतिम रूप देते हुए ओदश दिया जिसमें रू. 0.29 करोड़ कर वापसी पर शुद्ध ब्याज शामिल है और इसे 2015—16 की ब्याज आय के रूप में पहचाना गया है ।	
			के. आयकर विभाग ने 244ए के तहत 14—05—2015 से 31—03—2016 तक ब्याज (16 जून 2016) रू. 0.37 करोड़ वापसी योग्य में और जून 2017 को प्राप्त वापसी योग्य में दिखाया गया तथा वहीं 2017—18 की आय ब्याज के रूप में पहचाना गया है ।	
4.	वित्तीय वर्ष	2011—12	ए. सितंबर 2012 में रिर्टन फाईल करते समय वीपीटी ने रू. 67.25	
	निर्धारण वर्ष	2012—13	करोड़ कर वापस करने का दावा किया । बी. संवीक्षा एवं विभिन्न प्रकार के पूछताछ के बाद, कर निर्धारण	
	चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	81.37	अधिकारी, उनका प्राथमिक निर्धारण में दिनांक 23—03—2015 कर दायित्व रू. 41.50 करोड़ के साथ कर लगाने योग्य आय.	
	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	53.00	134.30 करोड़ के रूप में गणन किया । चुकया गया कर / टीडीएस /ब्याज / रिफंड्स पर विचार करने पर वीपीटी द्वारा	
	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के		चुकाए जानेवाले शेष शुद्ध कर रू. 0.75 करोड़ के लिए मांग नोटिस जारी किया ।	
	अनुसार कर दायित्व	14.12	सी. इससे असंतुष्ट होकर वीपीटी ने (दि. 15–4–15) सीआईटी (एपील्स) के पास अपील फाईल किया ।	
	आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	67.25	डी. एसीआईटी, सर्किल —1, विशाखपट्टणम ने उपदान के लिए किया गया रू. 30.17 करोड़ प्रावधान को इनकार करते हुए, कर लगाने योग्य आय को रू. 164.47 करोड़ के रूप में और कर दायित्व को	
			रू. 50.82 करोड़ सहित ब्याज मांग रू. 3.92 करोड़ के रूप में संशोधित (25—6—15) किया । चुकाया गया अग्रिम कर / टीडीएस / ब्याज / रिफंड्स पर विचार करने पर वीपीटी को आदेश दिया कि शेष कर रू. 13.99 करोड़ चुका । वीपीटी ने (दि. 16—7—15) सीआईटीह (एपील्स), विशाखपट्टणम के पास अपील किया । अपील अंतिम निर्णय के लिए लंबित है ।	

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट VISAKHAPATNAM PORT TRUST

क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		ई. इस बीच में, आयकर विभाग ने रू. 13.99 करोड़ शेष कर मांग को समायोजित (6—4—2016) किया और निर्धारण वर्ष 2011—12 के लिए करने वाले रू. 21.42 करोड़ पुर्नभुगतान आदेश में से रू. 7.43 करोड़, वीपीटी को रिलीज़ किया ।
		एफ. उपर्युक्त (ग) के लिए, सीआईटी (एनील्स), अपीलयेट आर्डर में और निर्णय के ग्रऊंड्स (30—03—2017) ने कुछ हद तक अपील को स्वीकार किया और वीपीटी द्वारा आईटीएटी में एक पिटीशन फाईल किया गया है ।
		जी. उपर्युक्त (घ) के लिए, सीआईटी (एपील्स), अपीलीयेट आर्डर में और निर्णय के ग्रऊंड्स (13—03—2017) ने कुछ हद तक अपील को स्वीकार किया और वीपीटी द्वारा आईटीएटी में एक पिटीशन फाईल किया गया है ।
		एच. उपर्युक्त (च) (छ) के लिए आईटीएटी सुनवाई प्रगति पर है ।
		आई. सीआईटी (ए)—1 के दिनांक 30—03—2017 आदेश को लागू करते हुए देखें दिनांक 09—05—2017 के एसीआइटी पत्र के माध्यम से कुल आय संशोधित रूप से 160.34 करोड़ से बढ़कर रू. 164.47 करोड़ हो गये और . 32.62 करोड़ की वापसी योग्य है जिसमें आयकर अधिनियम 244ए के अंतर्गत रू. 8.41 करोड़ की ब्याज शामिल थे । .
		जे. वीपीटी को दिनांक 05—01—2018 को वापसी योग्य रू. 32.62 करोड़ और 244ए के अंतर्गत रू. 8.41 करोड़ ब्याज के रूप में जारी किया गया था, वर्ष 2017—18 ब्याज आय के रूप में पहचाना गया था ।
		के. निर्धारण वर्ष 2011—12 के लिए, वापसी योग्य रू. 21.42 करोड़ रकम के साथ दिनांक 31—03—2016 को आनुषंगिक आदेश जारी किया गया था । कुल वापसी योग्य रकम में से, वित्तीय वर्ष 2012—13 के लिए जो कि बकाया मांग के लिए रू. 13.99 करोड़ समायोजित किया गया था और वीपीटी को बाकी रकम जारी किया । बाद में निर्धारण वर्ष 2012—13 के लिए दिनांक 09—05—2017 को आनुषंगिक आदेश जारी करते हुए, वीपीटी को रू. 13.99 करोड़ का जमा नहीं दिया गया ।
		एल. उप सीआईटी (1)—1 विशाखपट्टणम ने आयकर अधिनियम 154 के अंतर्गत दिनांक 101—03—2019 को धारा 244 ए के अंतर्गत ब्याज सहित वापसी योग्य रकम रू. 13.99 करोड़ (कुल रकम रू. 15.53) और निर्धारण वर्ष 2012—13 के लिए बकाया मांग के विरूद्ध वापसी योग्य .रू. 15.53 करोड़ रकम समायोजित (कुल मांग रू. 46.92 करोड़) किया गया ।
		एम. धारा 244ए के तहत निर्धारण वर्ष 2012—13 के लिए रू. 1.54 करोड़ ब्याज को वर्ष 2018—19 का आय के रूप में मान्यता दी गई थी ।

क्र.सं.	विवरण		समय समय पर निर्धारण की स्थिति		
5.	वित्तीय वर्ष निर्धारण वर्ष चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	2012—13 2013—14 82.69 15.00 0.00	ए. सितंबर 2013 में रिर्टन फाईल करते समय वीपीटी ने रू. 53.65 करोड़ तक व्यापार में हानि को निर्धारण किया और रू. 69.48 करोड़ वापस देने का दावा किया। मार्च 2015 में रू. 8269 करोड़ वापस देने के लिए संशोधित रिर्टन फाईल किया गया। बी. संवीक्षा एवं विभिन्न प्रकार के पूछताछ के बाद, एसीआईटी, सर्किल—1(1), विशाखपट्टणम ने उनका प्राथमिक निर्धारण आदेश दिनांक 31—03—2016 में य. 356.64 करोड़ को इनकार करने के बाद निर्धारण किया कि वीपीटी द्वारा फाईल किया गया रिर्टन के अनुसार, रू. 53.65 करोड़ हानि को कम करने के बाद कर लगाने योग्य आ रू. 302.98 करोड़ रहा और कुल कर दायित्व को रू. 97.57 करोड़ के रूप में निर्धारण किया सी. कर निर्धारण के लिए वर्ष 2010—11 के लिए रू. 22.48 करोड़ का पुर्नभुगतान आदेश पर कार्रवाई करते समय (6 अप्रैल 2016), प्राप्त किया गया अग्रिम कर, दावा किए गए टीडीएस के लिए रू. 82.64 करोड़ समायोजित करने के बाद, शेष कर रू. 14.93 करोड़ वसूल किया गया और शेष रू. 7.54 करोड़ वापस किया गया। डी. इससे असंतुष्ट होकर, वीपीटी ने (18 अप्रैल, 2016) सीआईटी (एनहज), विशाखपट्टणम के पास अपील किया। अपील सीअईटी (एपील) के साथ लंबित है और सीआईटी (एपीलस) के साथ सवित है और सीआईटी (एपीलस) के साथ सवित है कारण कुल आय में रू. 3.53 करोड़ घटाने के लिए आयकर अधिनियम (25—4—2016) की धारा 154 के तहत पिटीशन फाईल किया और रू. 0.05 करोड़ के लिए टीडीएस के शार्ट क्रेडिट देने के लिए पिटीशन फाईल किया।		
6.	वित्तीय वर्ष निर्धारण वर्ष चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	2013-14 2014-15 56.33 7.29 0.00	ए. मार्च 2016 में संशोधित रिर्टन फाईल करते समय वीपीटी ने रू. 35.40 करोड़ तक व्यापार में हानि को निर्धारण किया और रू. 56. 33 करोड़ कर वापस देने का दावा किया । बी. संवीक्षा करने एवं कई प्रश्न पूछे जाने के बाद एसीआईटी, सर्कल—1 (1), विशाखपट्टणम ने दिनांक 31—12—2016 को अनके प्रारंभिक निर्धारण आदेश में, रू.; 169.49 करोड़ अस्वीकार करने के बाद, वीपीटी द्वारा फाईल किया गया रिर्टन के अनुसार रू. 35.40 करोड़ हानि घटाते हुए कर योग्य आय को रू. 134.09 करोड़ के रूप में निर्धारण किया और निर्धारित कर योग्य कुल दायित्व रू. 41.43 करोड़ रहा । सी. प्राप्त किया गया अग्रिम कर एवं दावा किया गया टीडीएस रू. 56.08 करोड़ समायोजन करने के बाद, 244ए के अंतर्गत ब्याज सिहत रू. 14.64 करोड़ को स्वीकार किया और आयकर विभाग द्वारा वापस किये जाने वाले कुल रकम रू; 17.06 करोड़ रहा ।		

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट VISAKHAPATNAM PORT TRUST



क्र.सं.	विवरण		समय समय पर निर्धारण की स्थिति	
			डी. आयकर अधिनियम की धारा 244ए के अंतर्गत आयकर विभाग ने (04—02—2017) रू. 17.06 करोड़ रकम वापस किया, जिसमें रू;2.42 करोड़ ब्याज भी शामिल है और वही वर्ष 2016—17 के आय ब्याज के रूप में पहचाना गया ।	
			ई. उपर्युक्त (ख) में रू. 169.49 करोड़ 1 अस्वीकार करने पर असंतुष्ट होकर वीपीटी ने सीआईटी (एपील्स), विशाखपट्टणम के साथ (08–02–2017) एक ई–पिटीशन फाईल किया। सीआईटी (एपील्स) के साथ अपील लंबित है और सुनवाई प्रारंभ नहीं हुआ।	
			एफ. आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत (08–02–2017) वीपीटी ने रू. 0.25 करोड़ के लिए टीडीएस के शार्ट क्रेडिट देने हेतु पिटीशन फाईल किया ।	
			जी. आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत (02—03—2017) रू. 0.25 करोड़ के लिए टीडीएस के शार्ट क्रेडिट देने हेतु तथा धारा 244ए के तहत ब्याज देने हेतु वीपीटी ने पिटीशन फाईल किया, रिफंड प्राप्त करने की तिथि फरवरी, 2017 तक ब्याज चुकाने के बावजूद केवल रू. 2.42 करोड़ के लिए दिनांक 31—12—2016 तक स्वीकार किया ।	
			एच. दिनांक 31—12—2016 को धारा 143 (3) को पास किया गया आदेश पर 10% की दर पर सरचार्ज लगाने के लिए आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम धारा 154 / 155 टी के तहत नोटिस जारी किया ।	
			आई. उपर्युक्त (झ) में रू. 6.73 करोड़ की मॉग को निर्धारण वर्ष 2015—16 के लिए वापस जारी करते हुए समायोजित किया गया और निर्धारण वर्ष 2015—16 के लिए शेष रकम रू. 1.90 करोड़ को वापस कर दी गई थी ।	
7.	वित्तीय वर्ष	2014—15	ए. मार्च 2017 में रिर्टन फाईल करते समय वीपीटी ने रू. 48.11 करोड़ कर वापस देने का दावा किया ।	
	निर्धारण वर्ष चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	2015—16 48.11	बी. संवीक्षा करने एवं कई प्रश्न पूछे जाने के बाद एसीआईटी, सर्कल–1(1), विशाखपट्टणम ने दिनांक 31–12–2017 को उनके प्रारंभिक निर्धारण आदेश में रू. 37.70 करोड़ अस्वीकार करने के	
	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	25.18	बाद, वीपीटी द्वारा फाईल किया गया रिर्टन के अनुसार रू. 123. 34 करोड़ व्यापार कर योग्य आय के रूप में निर्धारण किया और	
	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के		निर्धरित कर योग्य कुल दायित्व रू. ४१.९२ करोड़ रहा ।	
	अनुसार कर दायित्व	0.00	सी. रू. 5.00 करोड़ समायोजित करने के बाद अग्रिम कर प्राप्त किया गया और 244ए के अंतर्गत ब्याज सहित रू. 42.70 करोड़	
	आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	48.11	टीडीएस क्रेडिट की अनुमित दी तथा आयर विभाग द्वारा कुल वापसी योग्य रू. 6.73 करोड़ रहा ।	

क्र.सं.	विवरण		समय समय पर निर्धारण की स्थिति
			डी. वर्ष 2014—15 के लिए निर्धारण आदेश जारी करते समय गैर लेवी के / 10% सरचार्ज के लिए आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2014—15 के लिए रू. 4.82 मांग को समायोजित करते हुए दिनांक 19—01—2018 को रू. 6.73 करोड़ की रकम वापस किया गया और आयकर अधिनियम 244ए के तहत जिसमें ब्याज सहित वापसी योग्य रू. 0.95 करोड़ लगाया गया था । ई. उपर्युक्त (ख) में रू. 37.70 करोड़ अस्वीकार करने पर असंतुष्ट होकर वीपीटी ने सीआईटी (एपील्स), विशाखपट्टणम के साथ (02—02—2018) को ई—पिटीशन फाईल किया । सीआईटी (एपील्स) के साथ अपील लंबित है और सुनवाई प्रारंभ नहीं हुआ। एफ. आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत (02—02—2018) को वीपीटी ने रू. 0.41 करोड़ के लिए टीडीएस के शार्ट क्रेडिट अनुदाने करने हे पिटीशन फाईल किया ।
8.	वित्तीय वर्ष निर्धारण वर्ष चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस	2015—16 2016—17 47.01	ए. मार्च 2018 में संशोधित रिर्टन फाईल करते समय वीपीटी ने रू. 11.41 करोड़ तक व्यापार में हानि को निर्धारण किया और रू. 47.01 करोड़ कर वापस देने का दावा किया । बी. संवीक्षा और ऑन लाईन की माध्यम से कई बार पूछने के बाद,
	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के	0.00	दिनांक 25—12—2018 को धारा 143 (3) के तहत एसीआईटी, सर्कल—1 (1), विशाखपट्टणम ने अपने प्रारंभिक मूल्यांकन में रू. 351.95 करोड़ का अनुमति न देने का आदेश और व्यापार योग्य आय रू. 237.78 करोड़ के रूप में और रू. 93.93 करोड़ की आयकर देयता पर पहूँचा ।
	अनुसार कर दायित्व आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	0.00 47.01	सी. अग्रिम कर प्राप्त के संदर्भ में रू. 5.00 करोड़ समायोजित करने के बाद और रू. 42.01 का टीडीएस जमा का अनुमोदित करने तथा अधिनियम धारा 156 के तहत दिनांक 25—12—2018 के आयकर विभाग को वीपीटी द्वारा कुल मांग रू. 46.92 करोड़ चुकाना है ।
			डी. वीपीटी ने (बी) में अपमानित रू. 351.95 करोड़ के लिए सीआईटी (अपील) के समक्ष पिटीशन फाईल करने को कहा गया ।
			ई. वीपीटी ने दिनांक 23—01—2019 को सीआईटी (अपील) के समक्ष ई—फाईल का अपील किया। सीआईटी (अपील) के पास अपील लंबित है। सीआईटी अपील पर सुनवाई प्ररंभ नहीं हुई है।
			एफ. लेखापरीक्षा अधिकारी ने ई—कार्यवाही को दंडात्मक कार्यवाही जारी की और आयकर अधिनियम 156 के तहत रू. 46.92 करोड़ भुगतान के लिए दिनांक 25—12—2018 को डिमांड नोटिस जारी किया ।



क्र.सं.	विवरण	समय समय पर निर्धारण की स्थिति
		जी. आयकर अधिनियम 156 के तहत डिमांड नोटिस विरूद्ध रू. 46.92 करोड़ की विववादित मांग के वसूली पर रोक लगाने के लिए अपील करने के लिए, वीपीटी को रू. 46.92 करोड़ निर्धारण वर्ष 2016—17 के लिए विवादित मांग 20% होने के लिए रू. 9.38 करोड़ भुगतान करना होगा ।
		एच. निर्धारण वर्ष 2011—12 के लिए, वापसी योग्य रू. 21.42 करोड़ रकम के साथ दिनांक 31—03—2016 को अनुवर्ती आदेश पारित किया । कुल वापसी योग्य रकम में से निर्धारण वर्ष 2012—13 के लिए बकाया मांग के लिए रू. 13.99 करोड़ का समायोजन किया गया और वीपीटी को बाकी रकम जारी किया गया । बाद में, निर्धारण वर्ष 2012—13 के लिए दिनांक 09—05—2017 को अनुवर्ती आदेश पारित किया गया, वीपीटी को रू. 13.99 करोड़ जमा नहीं दिया गया ।
		आई. वीपीटी ने आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत निर्धारण वर्ष 2016—17 के लिए मांग वसूली की रोक के लिए दिनांक 24—01—2019 को डीसीआईटी, सर्कल—1 (1), विशाखपट्टणम के समक्ष स्टे पिटिशन दी, और लेखापरीक्षा अधिकारी से अधिनियम की धारा 244ए के तहत रू. 13.99 करोड़ जमा सहित ब्याज के लिए निर्धारण वर्ष 2012—13 वापसी के विरूद्ध 20% मांग को समायोजित करने का अनुरोध किया ।
		जे. आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत को उप सीआईटी, सर्कल –1(1), विशाखपट्टणम ने रू. 13.99 करोड़ वापसी योग्य रकम धारा 244 ए के तहत ब्याज के साथ रू. 51.54 करोड़ (कुल रकम 15.53 करोड़) को और निर्धारण वर्ष 2016–17 के लिए बकाया मांग के विरूद्ध रू. 15.52 करोड वापसी योग्य रकम (कुल मांग रू. 46.92 करोड़) को समायोजित करने को दिनांक 01–03–2019 के आदेश देखें।
		के. आयकर —1 के मुख्य आयुक्त, विशाखपट्टण ने निर्धारण वर्ष 2016—17 के लिए विवादित मांग के वसूली का रोक के लिए आवेदन पर आदेश, रू. 10.00 करोड़ की भुगतान दिनांक 22—03—2019 के पहले या करने के लिए दिनांक 18—03—2019 को सूचित आदेश और लेखापरीक्षा अधिकारी को निदेश दिया कि कुछ नियम एवं शर्तों पर सीआईटी (ए) द्वारा 1 अपील निपटाने तक विवादित मांग का शेष वसूली को अस्थिगत रखने या दिनांक 31—12—2019 जो पहले हो ।
		एल. वीपीटी ने रू. 46.92 करोड़ का विवादित मांग के विरूत्र दिनांक 20—03—2019 को रू. 10.00 करोड़ रकम भुगतान किया गया । मांग के विरूद्ध रू. 25.53 करोड़ (उक्त (एच) में रू. 15.53 और रू. 10.00 करोड़) की कुल रकम भुगतान किया गया है ।

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण		समय समय पर निर्धारण की स्थिति
9.	वित्तीय वर्ष निर्धारण वर्ष चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	2016—17 2017—18 56.12 13.09 0.00	क. मार्च 2019 में संशोधित रिर्टन फाईल करते समय वीपीटी ने रू. 56.13 करोड़ कर वापस करने का दावा किया । ख. प्राथामिक निर्धारण प्रारंभ किया और धारा 143 (2) के तहत जारी ई—कार्यवाही नोटिस देखें दिनांक 27—08—2018 और 12—10—2018 ।
10.	वित्तीय वर्ष निर्धारण वर्ष चुकाया गया अग्रिम कर एवं जमा किया गया टीडीएस वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान वित्तीय वर्ष 2017—18 (निर्धारण वर्ष टीडीएस क्रेडिट मूल्य रू. 50.34 व	करोड़ रहा । –13 के लिए ब	क. मार्च 2019 में संशोधित रिर्टन फाईल करते समय वीपीटी ने रू. 29.17 करोड़ कर वापस करने का दावा किया । ख. प्राथमिक निर्धारण अभी भी लंबित है । के लिए चुकाया गया अग्रिम कर शुन्य रहा और फार्म 26एएस के अनुसार आय कर के लिए रू. 54.57 करोड़ की प्रावधान किया गया । धारा याज रू. 1.54 करोड़ को वित्तीय वर्ष 2018—19 की ब्याज आय के रूप तक टैक्स रिर्टन फाईल करना है ।

9. निम्न मदों में आकरिमक दायित्व शामिल है :

(रूपये करोड़ों में)

क) पोर्ट ट्रस्ट के खिलाफ दावा के लिए अदालतों में लंबित कानूनी मुकदमें

27.98

71.31

ख) वर्ष 86-87 से 98-99 तक विवादास्पद संपत्ति कर दावें

00.00

कुल : 99.29

^{&#}x27; उपरोक्त के अतिरिक्त, मेसर्स एसईडब्ल्यू दृ वैजाग कोल टर्मिनल ने रिआयत करारनामे समाप्त करने के विरूद्ध रू. 1685.74 करोड़ के लिए दावा फाईल किया और वीपीटी ने भी मेसर्स एसईडब्ल्यू — वैजाग कोल टर्मिनल प्रा. लि., के विरूद्ध ईक्यू—1 पूरा नहीं करने के कारण रू. 2951.24 करोड़ राजस्व का घाटा का काऊंटर फाईल किया ।

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट VISAKHAPATNAM PORT TRUST

- 10. दिनांक 01–01–2004 को या उसके बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों को नए पेंशन योजना (टाईर–1) के अंतर्गत योजना शामिल किया गया (एनपीएस), जिसमें कर्मचारी का मासिक अंशदान के रूप में मूल वेतन 10% + दैनिक भत्ता के साथ नियोक्ता का मैछिंग अंशदान रहेगा । पेंशन निधि नियंत्रण प्राधिकार (पीएफआरडीए) का भेजी हुई कर लंबित होते हुए भी कर्मचारी एवं वीपीटी के अंश्दान पेंशन निधि में स्थानांतरित किया गया ।
- 11. पेंशन निधि आवश्यक स्तर तक पहूँचाने तक, वास्तविक मासिक पेंशन भुगतान, वित्त एवं विविध व्यय को प्रभार्य करते हुए, पेंशन निधि से पूरा किया जाता है । भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निर्धारण करने के अनुसार, दिनांक 01—04—2018 को पेंशन दायित्व की बीमांकिक मूल्यांकन कार्यरत कर्मचारियों के लिए रू. 1433.58 करोड़ तथा पेंशनों के लिए रू. 2573.94 करोड़ रहा । अतः दिनांक 31—03—2019 का पेंशन दायित्व का कुल बीमांकिक मूल्यांकन रू. 4007.52 करोड़ रहा । वर्ष के दौरान पेंशन के लिए अंशदान, वेतन भुगतान के / 27% की दर किया गया (मूल एवं दैनिक भत्ता), जो रू. 64.58 करोड़ रहा । वर्ष के दौरान अर्जित रू. 214.99 करोड़ ब्याज पर विचार करने पर भी वर्तमान में रू. 482.68 करोड़ तक अधिक प्रावधान है ।

पहले, पेंशन ट्रस्ट निधि का कुछ भाग, तीन इंन्स्यूरेन्स एन्यूटीन खरीदने के लिए उपयोग किया जाता था, जिससे एन्यूटीन स्कीम के अंतर्गत आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियत मासिक पेंशन चुकाया जाता था, यदि इससे अधिक रकम का निर्धारण होता, तो पोर्ट वहन करता था । एन्यूटी स्कीम के अंतर्गत आनेवाले सेवानिवृत्त कर्मारियों की मृत्यु होने पर इन्सूरेन्स द्वारा भुगतान बंद होगा । उसके बाद वीपीटी के निधियों से नामित व्यक्तियों को मासिक परिवार पेंशन का भुगतान किया जाता है ।

- 12. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निर्धारित बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार दिनांक 31—03—2019 को उपदान निधि के लिए दायित्व रू. 233.52 करोड़ है । वर्ष के दौरान, 8.33% के लिए रू. 17.79 करोड़ का प्रावधान किए गए है । उपदान निधि की देयता / निवेश में रू. 64.45 करोड़ की कमी है ।
- 13. मेसर्स एल आई सी ऑफ इंडिया के अनुसार 31—03—2019 को कर्मचरी छुट्टी नकदीकरण दायित्व का बीमांकिक मूल्यांकन रू. 93.01 करोड़ है ।
- 14. पेंशन निधि, उपदान निधि एवं भविष्य निधि के लिए प्रत्येक ट्रस्ट लेखों का अनुरक्षण किया जाता है । ग्रेप छुट्टी नकदीकरण निधि को लिए कोई प्रत्येक ट्रस्ट नहीं है लेकिन जीएलईएस के लिए प्रत्येक निधि का अनुरक्षण किया जाता है । वर्ष 2018–19 के दौरान, राजस्व के नामे से छुट्टी नकदीकरण के लिए भुगतान किया गया है ।
- 15. बीमांकिक दायित्व, सृजित / अभी सृजन करने वाले प्रावधान और निधियों की स्थिति नीचे दिया गया है :

दिनांक 31.3.2019 को पेंशन, उपदान	न एवं जीएलईएस निर्व	धेयों की स्थिति	
विवरण	पेंशन निधि ट्रस्ट	उपदान निधि ट्रस्ट	जीएलईएस
बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार व्यवस्था करने वाले निधियाँ	4007.52	233.52	93.01
दिनांक 31.3.2018 के अंत तक उपलब्ध निधि	3207.82	155.06	107.26
वर्ष 2018—19 के दौरान की गई निवेश	102.03	17.79	0
वर्ष 2018–19 के दौरान अर्जित ब्याज	214.99	11.57	8.53
*वर्ष 2018—19 के दौरान निधियों से की गई भुगतान	शून्य	15.35	शून्य
दिनांक 31.3.2019 के अंत तक की गई कुल निवेश	3524.84	169.07	115.79
निधियों में (शार्टफॉल) / अधिकतम	(482.68)	(64.45)	+22.78

- 16. पेंशन निधि ट्रस्ट और उपदान निधि ट्रस्ट में कमी को भविष्य में उपलब्ध अधिशेष निधियों के साथ ठीक किया जाएगा । वर्ष 2019–20 के दौरान जीएलईएस के मामले में अधिक निधिकरण का गैर मिलनसार लिया जाएगा ।
- 17. पेंशन निधि और आयकर के लिए दायिता लेखा में वृद्धि हुए परिणाम स्वरूप चालू परिसंपत्तियों में शेष दिखाया गया ।
- 18. रू. 1333.02 करोड़ के आरक्षण के खिलाफ (सामान्य आरक्षण और सांविधक आरक्षण) वर्तमान रू. 1009.22 करोड़ की निवेश रहा । निवेश का विवरण अनुसूची 2.2 ए और बी में रू. 390.21 करोड़ + अनुसूची 2.3 डी की रू. 619.01 करोड़ रकम के अनुसार कहा गया है । निम्नांकित निधियों को पूरा करने रू. 323.80 करोड़ की भिन्नता का कारण पूर्व समाप्ति / उपयोग रू. 104.00 करोड़ बाह्य बंदरगाह ऋण का पुनर्भुगतान के लिए (एक मुश्त निपटान), रू. 160.00 करोड़ की पेंशन निधि योगदान और रू. 59.80 करेड़ की ठेके भुगतान के संबंध में ।
- 19. अनुसूचियों के साथ लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलनपत्र टीसीएस के अधीन होने के कारण सेप द्वारा ट्राईल बेलेन्स और वित्तीय सारणियाँ एक्सल में तैयार किये गये हैं ।
- 20. अक्तूबर 2014 के दौरान विशाखपट्टणम तट को ध्वंस किया हुदहुद तूफान के कारण वीपीटी के कुछ नियत परिसंपत्तियाँ ओएसटीटी, दक्षिण तरंग रोध आदि का नुक्सान हुआ । लगभग रू. 205.00 करोड़ का पुर्नवास लागत के प्राक्कलन करते हुए तथा सरकार से बजटरी सपोर्ट के रूप में व्यवस्थित करने के लिए नोट मंत्रालय को भेजा गया । अभी तक कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ ।
- 21. वेतन पुनरीक्षण बकाया का प्रावधान और बोनस प्रावधान के लिए प्रबंध किया गया ।
- 22. दावे को आय के रूप में गणन किया गया, लेकिन बाद में प्रप्ति के लिए अर्नहक समझा गया, उन्हें सक्षम प्राध्कारी के अनुमोदन पर लेखा पुस्तकों में व्यय के रूप में दिखाया गया ।
- 23. सरकार के पत्र सं.पीआर.200021 / एल / 198—पीजीए दिनांक 06—11—2002 के अनुसार सभी विविध देनदारों को अच्छा समझा जाता है और बुरे ॠणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है । कुल देनदारों में से रू. 425.29 करोड़, 6 महीने से कम बकायों से संबंध में रू. 30.28 करोड़ और उक्त 6 महीनों से अधिक बकायों से संबंध में रू. 395.01 करोड़ है ।
- 24. वर्तमान अवधि में उत्पन्न होने वाली पूर्व अवधि आय या व्यय एक या अधिक पूर्व अवधि के वित्तीय विवरणों की तैयारी में त्रृटियों या चूक के परिणाम स्वरूप वित्त, और विविध आय या व्यय के अंतर्गत शामिल है ।
- 25. मंत्रालय के पत्र सं.25021/1/2011-पीडी-प्, दिनांक 02-12-2011, के अनुसार वर्ष के दौरान रू. 3.92 करोड कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधि सुजित किया गया है ।
- 26. बिन कार्ड्स के साथ स्टोर्स प्राईज़ंड लेड्जरों की मात्रा शेष का समाधान किया गया और आवश्यकतानुसार अपेक्षित समायोजन किए गए ।
- 27. वर्ष के दौरान, निर्दिष्ट पट्टा करार द्वारा नियंत्रण कुछ पट्टेदार को छोड़कर अन्यों को शेष की पृष्टि प्राप्त करने के लिए पत्र जारी किये गये ।
- 28. जहाँ चालू वर्ष का वर्गीकरण को पृष्टि करने के लिए आवश्यक है वहाँ पिछले वर्ष के आंकडों को पीग्रूप किया गया है ।

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट VISAKHAPATNAM PORT TRUST

29. बिलमोरिया रिपोर्ट के अनुसार सामान्य स्पष्टीकरण ।

क्र.सं.	विवरण	2018—19	2017—18	टिप्पणी
1.	निपटाने के लिए रहे सक्रिय उपयोग से अलग किये गये नियत पूँजी परिसंपत्तियों को अलग से दिखाना होगा ।	शून्य	शून्य	जब इसे अनुपयुक्त समझा जाता तब परिसंपत्तियों को निपटान किया जाता था और संबंधित वर्षों में बिक्री पद्धति राजस्व में बुक / चार्ज की जाती है ।
2.	31-03-2018 को समाप्त होने के लिए पूँजी खाते पर निष्पादित होने वाले ठेके की अनुमानित राशि और प्रावधान नहीं की गई ।	शून्य	शून्य	वीपीटी की नीति के अनुसार वास्तविक के आधार पर राजस्व को पहचानते हुए, मार्च 2017—18 के अंत तक प्रक्कलित पूँजीगत व्यय 31—03—2018 के अंत तक प्रावधान किया गया ।
3.	विवादों के कारण आकस्मिक दायित्व की व्यवस्था नहीं की गयी ।	शून्य	शून्य	वीपीटी में, सभी विवाद / अदालत के मामलों के लिए आकस्मिक देयता का प्रावधान की जाती है । इसलिए, इसे शून्य के रूप में माना जा सकता है ।
4.	वर्ष के दौरान आयात की सीआईएफ मूल्य; भंडारण एवं पुर्जें, पूँजी वस्तु / पुर्जें (रूपये करोडों में)	शून्य	शून्य	
5.	विदेशी मुद्रा में व्यय ।	1.26	शून्य	वर्ष 2017—2018 और 2018—19 के लिए विदेशी मुद्रा का लाभ नहीं है।
6.	विदेशी मुद्रा में आमदनी	शून्य	शून्य	
7.	वित्तीय वर्ष के दौरान आयातित एवं देशीय भंडार एवं उपयोग किये गये पुर्जों का % सहित मूल्य	शून्य	शून्य	
8.	अनुसंधान, योजना और विकास कार्यकलापों पर खर्चा किया गया व्यय	4.07	1.91	
9.	वर्ष के दौरान पूँजीकृत उधार लिये गये लागत	शून्य	शून्य	
10.	वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा का लाभ / हानि	शून्य	शून्य	
11.	कार्गो जहाजों की संभलाई के लिए टन्नेज में वीपीटी की कुल क्षमता	126.89	110.75	

क्र.सं.	विवरण	201	18—19	2	017—18	1	टिप्पणी
12.	वर्तमान वर्ष में संभलाई गयी जलयानों की वास्तविक संख्या	2	2012		1977		
13.	वर्ष के दौरान संभलाई गयी वास्तविक टन्नेज	6	5.30	63.	54 एम.	टी.	
14.	वास्तव में मंजूर किया गया श्रेणीवार कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है :	श्रेणी । श्रेणी ॥ श्रेणी ॥ श्रेणी ।v कुल	सीएचडी 3 2 51 652 702	श्रेणी । श्रेणी ॥ श्रेणी ॥। श्रेणी ।v कुल	सीएचडी 3 2 55 678 738	वीपीटी 130 100 1642 969 2841	

ह/−

एस.शिव कुमार वि.स. एवं मु.ले.अ. (प्र) विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट ह∕−

रिंकेश रॉय, आईआरटीएस अध्यक्ष विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट



संसद में रखी जाने वाली महा पत्तनों के वार्षिक लेखा और लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उस पर की जानेवाली कार्रवाई के नोट सहित अनुसूची

	-		
क्र.सं.	संक्षिप्त विवरण	मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय सारणी (पीडी—विविध/ 26/2016—पीडी— VI (कोआर्ड) दि. 29—08—2016	वि पो ट्र द्वारा की गयी कार्रवाई की तिथि
1.	लेखापरीक्षा को प्रारूप वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने की तिथि ।	31 मई	30-05-2019
2.	प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट भेजने की तिथि ।	31 जुलाई	20-08-2019
3.	पोर्ट ट्रस्ट द्वारा प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उत्तर भेजने की तिथि ।	10 अगस्त	03-09-2019
4.	लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अंग्रेजी रूपांतर भेजने की तिथि ।	20 सितंबर	11—10—2019
5.	पोर्ट को कर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि ।	25 सितंबर	
6.	पोर्ट द्वारा आयकर विभाग को वार्षिक कर विवरण फाईल करने की तिथि ।	30 सितंबर	फाईल करने की तिथि दि 31–10–2019 तक विस्तार किया गया ।
7.	पोर्ट ट्रस्ट द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट की अंग्रेजी और हिंदी मुदित प्रतियॉ मंत्रालय को प्रस्तुत करने की तिथि।	09 अक्तूबर	
8.	मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करना।	शीतकाल सत्र में	



VISAKHAPATNAM PORT TRUST

Annual Accounts and Audit Report

for the year 2018-19

INDEX

1.	Audit Report on the Visakhapatnam Port Trust for the year 2018 - 19	1
2.	Annual Accounts 2018 - 19	8
3.	Note on Accounts	28
4.	Statements showing the various stages involved finalisation of Annual Accounts and Audit Report thereon of VPT for 2018 - 19	45

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Annual Accounts of Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam for the year ended 31 March 2019

- 1. We have audited the attached Balance Sheet of Visakhapatnam Port Trust as at 31 March 2019 and the Profit and Loss Account for the financial year ended 31 March 2019 under Section 19 (2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 102 of the Major Port Trusts Act, 1963. These financial statements are the responsibility of the Port's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
- 2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms etc. Audit findings on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules & Regulations (Propriety and Regularity), efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.
- 3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance on whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining on a test check basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provide a reasonable basis for our opinion.
- 4. Based on our audit, we report that:
- i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief are necessary for the purpose of our audit.
- ii) The Balance sheet and Profit and Loss account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry.
- iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam as required in so far as it appears from our examination of such books.
- iv) We further report that:

A. Revision of accounts

Visakhapatnam Port Trust revised its annual accounts based on audit observations. As a result, Profit Before Tax (PBT) decreased by ₹42.71 crore i.e. from PBT of ₹243.62 crore to PBT of ₹200.91 crore, and Profit After Tax (PAT) decreased by ₹34.09 crore i.e. from PAT of ₹158.60 crore to PAT of ₹124.51 crore.

B. Balance Sheet

Current Assets. Loans and Advances

- A. Current Assets
- III. Sundry Debtors: ₹425.29 crore (Net)

Provision towards doubtful debts made till March 2014 was ₹7.31 crore. Subsequently despite giving assurances year after year, VPT had not made further provision towards doubtful dues. Out of gross Sundry Debtors of ₹432.60 crore as at 31st March 2019, amount outstanding for more than (i) three years was ₹196.91 crore (45.52 percent) and (ii) five years was ₹76.85 crore (17.76 percent).

Similar comment was included in the Separate Audit Report for the year 2017-18. However, no corrective action was taken. VPT again assured to take action in the financial year 2019-20.

C Management Letter

Certain accounting mistakes were not rectified. But based on assurances by VPT to rectify the same in the annual accounts of 2019-20, the same are not included in this Separate Audit Report. These mistakes have been brought to the notice of the Chairman, VPT through a separate Management Letter issued for corrective action in 2019-20 as assured.

- v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Profit & Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with Accounting Policies and Notes on Accounts, subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure-I to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India
 - a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam as on 31 March 2019 and
 - b. In so far as it relates to Profit & Loss Account of the Profit for the year ended on that date.
- vii. A Review of accounts showing the summarised financial results of VPT for the last three years ended 31 March 2019 is given in Annexure-II.

For and on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India

(M.S. Subrahmanyam)
Director General of Commercial Audit &
Ex-Officio Member, Audit Board,
Hyderabad

Place: Hyderabad
Date: 11 October 2019

Annexure-I

1. Adequacy of Internal Audit System

The internal audit of Visakhapatnam Port Trust (VPT) was entrusted earlier to outside agency of M/s G.R. Kumar & Co., Chartered Accountants in June 2014. It was renewed on bi-annual basis and latest renewal was valid upto 31.10.2019. During the current year 2018-19, as per the terms of reference, Internal Audit had submitted monthly audit reports to the FA&CAO, VPT for the months of April 2018 to March 2019. Though the internal audit mandate provided for various checks including verification of draft Balance sheet, Profit & Loss account, schedules etc., deficiencies still persisted from the fact that C&AG Audit pointed out 63 Audit Findings during financial audit of annual accounts for 2018-19 which were rectified by VPT management. The above indicates requirement of further improvement and effectiveness of internal audit system.

2. Adequacy of Internal Control System

Internal controls in VPT are not adequate. Specific areas like sundry debtors' management, Deposit accounts etc. need further strengthening/improvement. Some important areas are as follows:

- Age-wise analysis of sundry debtors reveals that dues have been outstanding from Government customers since 1974-75 and from Non-Government customers since 1990-91. Total gross dues of ₹432.60 crore outstanding as at 31 March 2019 were inclusive of dues of ₹26.10 crore (comprising ₹17.14 crore from Government customers and ₹8.96 crore from non-Government customers) outstanding for more than 10 years since 1974-75 and upto 2008-09. This indicates the absence of regular pursuance and concerted efforts for realisation of outstanding dues.
- The amounts collected from the debtors are not being adjusted against bill-wise oldest outstanding dues on
 first in first out basis. As a result, amounts collected from certain customers are reflected in the sundry debtor
 balances without adjustments. In the process, it is difficult to identify the bills against which the dues are
 outstanding. This position requires detailed manual review to ensure that customer-wise collections from time
 to time are adjusted against customer-wise oldest outstanding dues sequentially.
- Provision for Doubtful Debts made upto March 2014 still continued without any follow-up/settlement to the logical end.
- All port users shall have to maintain a minimum balance of ₹25,000 in their revolving deposit accounts as advance before availing port services. As at 31 March 2019, there are total 1907 customer deposit/advance accounts, of which (i) 1029 deposit account holders are not maintaining the requisite minimum balance; (ii) deposit accounts of 232 customers have negative balances (receivable by VPT) worth ₹46.70 crore; and (iii) 5 PPP customers have negative balances (receivable by VPT) worth ₹70.84 crore. This indicates inadequacy of deposit amounts in the accounts of customers before rendering port services.
- Appeals against Income Tax Assessment orders for the AY 2009-10 and 2010-11 to 2015-16 have been long pending before the Commissioner of Income Tax (A) and Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) respectively.
 The Management has to ensure appropriate efforts for speedy disposal of the appeals.

3. System of Physical verification of Fixed assets

As per the policy and procedure of VPT, physical verification of fixed assets is carried out once in five years. Physical verification of fixed assets was conducted upto the end of 31 March 2013. Next cycle of physical verification due by 31 March 2018 was conducted in 2018-19 by a Committee constituted for the purpose. The Committee gave report on 29 December 2018. The report has been sent to the Departments of VPT concerned in March 2019. Confirmation from one Department has been received in July 2019, but pending from other Departments. Despite the considerable time taken for the above task, same remains pending.

4. System of Physical verification of inventory

As per policy and procedure of VPT conducting physical verification of Inventory of Stores and Materials regularly on annual basis, physical verification of the same for the year 2018-19 has been completed.

5. Regularity in payment of statutory dues

The Port Trust remitted the statutory payments to the respective Departments within the due dates.

(M.S. Subrahmanyam)
Director General

Annexure-II

This review of accounts has been prepared without taking into account the audit observations/ comments included in the audit report of the Comptroller and Auditor General of India.

1. Introduction

The financial audit of accounts of Visakhapatnam Port Trust (VPT) has been conducted under Section 19(2) of Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 102 of Major Port Trusts Act, 1963.

2. Financial Position

The financial position of VPT under broad headings as at the end of each of the last three years of 2018-19 was as follows:

(₹ in crore)

		1		(₹ in crore
	Description	2016-17	2017-18	2018-19
I.A	Liabilities			
	(i) Capital Reserves	961.12	961.34	962.94
	(ii) Other Reserves	1066.26	1261.94	1340.43
	(iii) Borrowings	0.00	0.00	0.00
	(iv) Capital Debts	70.53	54.86	39.06
	(v) Grants Received	0.28	0.28	19.53
	(vi) Current liabilities & Provisions & other liabilities (PF/Pension, Gratuity Fund)	2117.03	2150.09	2205.74
	(vii) Deferred Tax Liability	0.00	0.00	0.00
	Total	4215.22	4428.51	4567.70
I.B	Assets			
	(i) Fixed Assets (Gross block)	1970.83	2099.23	2452.37
	(ii) Less: Depreciation	665.33	684.17	740.76
	(iii) Net Fixed Assets	1305.50	1415.06	1711.61
	(iv) Capital Works-in-Progress	471.96	576.57	350.21
	(v) Investments	198.68	226.41	513.51
	(vi) Current Assets loans and Advances	2075.63	2052.89	1874.94
	(vii) Miscellaneous Expenditure (DRE)	0.00	0.00	0.00
	(viii) Deferred Tax Asset	163.45	157.57	117.43
	Total	4215.22	4428.51	4567.70
С	Working Capital ¹	-41.40	-97.20	-330.81
D	Net Worth ²	2027.38	2223.28	2303.36
E	Capital Employed ³	1264.10	1317.87	1380.80
F	Percentage of Return on Capital employed⁴	1.82	14.86	8.90
G	Capital employed (including work-in-progress)	1736.06	1894.44	1731.01
Н	Percentage of Return on Capital Employed (including works-in progress)	1.33	10.34	7.10

¹ Working capital represents currents assets minus current liabilities.

² Net worth represents capital reserves and other reserves plus accumulated surplus less accumulated deficit

³ Capital Employed represents net fixed assets plus working capital

⁴ Rate of return represents percentage of net surplus (before appropriations) to capital employed



3. Summary of working results

The working results of VPT for the year ended 31 March 2019 as compared to the last two years ended 31 March 2017 and 2018 were as follows:

(₹ in crore)

	Description	2016-17	2017-18	2018-19
Ш	Revenue			
а	Income			
	Operating Income	917.58	1063.81	1201.39
	Non-operating Income	122.63	133.57	99.42
	Total	1040.21	1197.38	1300.81
b	Expenditure			
	Operating Expenditure	531.64	541.70	591.01
	Non-operating Expenditure	463.25	396.16	508.89
	Total	994.89	937.86	1099.90
С	Net Surplus/deficit or profit before tax and appropriations	45.32	259.52	200.91
	Less: Provision for taxation			
	Previous year	0.00	0.00	0.00
	Current year	13.09	57.77	36.27
	Fringe Benefit Tax	0.00	0.00	0.00
	Deferred Tax	9.19	5.89	40.13
	Profit after tax	23.04	195.87	124.51
d	Less: Profit on disposal of fixed assets and transferred to Capital Reserve	1.22	0.22	1.60
е	Amount available for Appropriations	21.82	195.65	122.91
f	Less: Mandatory Appropriation / transfer to Reserve Funds (Net profit)	0.00	189.49	120.50
g	Surplus transferred to General Reserve Fund (Net profit)	21.82	6.16	2.41
h	Percentage of net profit after tax to			
	Operating income	2.51	18.41	10.36
	Net fixed Assets	1. 76	13.84	7.27
	Net worth	1.14	8.81	5.41



4. Ratio Analysis (liquidity & solvency)

- (a) Percentage of current assets to current liabilities decreased from 95.48 in 2017-18 to 85.00 in 2018-19;
- (b) Percentage of quick assets to current liabilities decreased from 61.34 in 2017-18 to 48.10 in 2018-19;
- (c) Percentage of liquid assets to current liabilities decreased from 44.43 in 2017-18 to 28.82 in 2018-19;
- (d) Percentage of sundry debtors to operating income increased to 35.40 in 2018-19, as against 34.19 in 2017-18;
- (e) Debt/Capital Reserves & Other Reserves ratio decreased from 2.47 in 2017-18 to 1.70 in 2018-19;
- (f) Percentage of Current assets to Total assets decreased from 46.36 in 2017-18 to 41.05 in 2018-19.
- (g) Percentage of Operating expenditure to Operating income decreased from 50.92 in 2017-18 to 49.19 in 2018-19.

(M.S. Subrahmanyam)
Director General

ANNUAL ACCOUNTS

Sched	lules to Balance Sheet as at 31st March 2019	1	les to Revenue Account for ear ended 31st March 2019
Schedule 1.1	Reserves and Surplus	Schedule R.1	Cargo Handling & Storage Charges
Schedule 1.2	Loan Funds	Schedule R.2	Port & Dock Charges
Schedule 1.3	Grants Received	Schedule R.3	Railway Earnings
Schedule 1.4	Deferred Tax	Schedule R.4	Estate Rentals
Schedule 2.1	Fixed Capital Assets	Schedule R.5	Cargo Handling & Storage
Schedule 2.2	Investments	Schedule R.6	Port & Dock Facilities
Schedule 2.3	Current Assets, Loans & Advances	Schedule R.7	Railway Working
Schedule 2.4	Current Liabilities & Provisions	Schedule R.8	Rentable Lands and Buildings
Schedule 2.5	Miscellaneous Expenditure	Schedule R.9	Management & General Administration
		Schedule R.10	Finance & Misc. Income
		Schedule R.11	Finance & Misc. Expenditure

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट **VISAKHAPATNAM PORT TRUST**

BALANCE SHEET

(Amount in ₹)

	SCH	As	As at 31st MARCH 2019	19	As	As at 31st MARCH 2018	018
SOURCES OF FUNDS:							
RESERVES & SURPLUSES:	1.1						
A. CAPITAL RESERVE			9,629,408,653			9,613,441,773	
B. REVENUE RESERVES							
a) General Reserve Fund		1,006,770,803			985,276,644		
b) Employees' Welfare Fund		0			0		
c) Employees Family Security Scheme		74,108,907			68,705,930		
d) Protective Equipemnt Fund		0			0		
e) Liability Reserve Fund		0			0		
			1,080,879,710	•		1,053,982,574	
C. STATUTORY RESERVES							
 a) Reserve for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets 		6,390,264,848			5,580,663,202		
b) Reserve for Development, Repayment of Loans and Contingencies		5,933,121,202			5,984,723,715		
			12,323,386,050	•		11,565,386,917	
				23,033,674,413	•		22,232,811,264
Grants Received	1.3			195,272,750			2,772,750
LOAN FUNDS:	1.2						
A. SECURED LOANS			0			0	
B. GOVERNMENT LOANS			390,666,190			548,578,100	
C. UNSECURED LOANS			0			0	
				390,666,190	•		548,578,100
DEFERRED TAX LIABILITY:				0			0
TOTAL SOURCES OF FUNDS				23,619,613,353			22,784,162,114

BALANCE SHEET

			 				(Amount in ₹)
	SCH	As e	at 31st MARCH 2019	19	As	at 31st MARCH 2018	18
APPLICATION OF FUNDS: A. FIXED CAPITAL ASSETS: (Net Block)	2.1	391.218.245			391.218.245		
		73,881 73,881 4,987,510,336			73,881 73,881 5,042,136,199		
		556,464,301 1,888,271,837			536,836,348 1,736,181,979		
l) Floating Crait g) Railway and Rolling Stock h) Docks Sea-Walls Piers & Navinational: Aids		7,7,087,545 1,103,533,114 6,295,791,840			3 247 921 196		
		94,046,735			141,964,147		
k) Installations for Water, Electricity, Telecom. & Fire fig. CAPITAL WORKS IN PROGRESS	ighting	310,266,482	17,116,140,028 3,502,112,447	•	284,857,009	14,150,631,410 5,765,726,098	
ű	2.2			20,618,252,475			19,916,357,508
A. INVESTMENTS OF GENERAL RESERVE FUND B. INVESTMENTS OF STATITORY RESERVES		794,000,000	794,000,000		788,000,000	788,000,000	
		39,703,444 3,068,372,100	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		39,703,444 294,000,000		
3. Other Investments C. INVESTMENTS OF CASH SURPLUS FUNDS		0	3,108,075,544		0	333,703,444	
20	23	1,233,041,197	1,233,041,197	5,135,116,741	1,142,420,627	1,142,420,627	2,264,124,071
A. CURRENT ASSETS	 		000			700 007 727	
Accrued interest on investments II. Inventories III. Sunday Poblase			277,703,643			471,483,691 241,609,628	
a) Government Dues b) Inter Dort Dues		896,300,000			1,133,760,536		
4		3,356,639,786	4,252,939,786	•	2,503,830,453	3,637,590,989	
		1,531,206 6,355,261,794			1,312,884 9,552,048,448		
c) Bank Balances with other Banks		0	6,356,793,000	•	0	13 004 045 640	
B. LOANS & ADVANCES a) Advances & Loans to subsidiaries/ Ports / Trusts b) Advances recoverable in cash or in kind		128,000,000 622,345,955	0 20,000,000,000,000,000,000,000,000,000		134,000,000 473,351,149	0+0,5+0,5+0	
for the value to be received c). Balances with Customs, Excise, Income Tax etc. d). Deposits		6,582,882,223			5,909,906,000		
-			7,440,984,618	18,749,359,896		6,624,899,143	20,528,944,783

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट VISAKHAPATNAM PORT TRUST



(Amount in ₹)

BALANCE SHEET

								(,,)
		SCH	As	As at 31st MARCH 2019	19	As	As at 31st MARCH 2018	118
LESS: CURRENT A. CURRENT	LESS: CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS: A. CURRENT LIABILITIES:	2.4						
I. PROVIDEN	PROVIDENT, PENSION & GRATUITY FUNDS							
a) Provi	Provident Fund		71,381,864			88,286,351		
b) Pensi	Pension Fund		4,665,550,940			5,042,241,118		
c) Gratu	Gratuity Fund		-44,914,552	4,692,018,252		-40,220,831	5,090,306,638	
II. SUNDRY C	SUNDRY CREDITORS				•			
a) Credi	Creditors for Stores		11,141,621			3,821,005		
b) Unad	Unadjusted Sale proceeds of unclaimed goods		0			0		
c) Unad	Unadjusted Sale proceeds of surplus materials		0	11,141,621		0	3,821,005	
III. MISCELLA	MISCELLANEOUS CREDITORS & CREDIT BALANCES							
a) Demu	Demurrage/Wagon Hire charges payable to Railways		164,862,523			108,091,438		
b) Statut	Statutory Payments		781,903,065			741,881,259		
c) Liabil	Liability towards Capital Expenses		21,272,455			21,272,455		
d) Others			698,481,900			504,586,706		
e) Depoi	Deposits from Merchants, Contractors & Others		2,344,773,788			2,034,152,117		
				4,011,293,731	•		3,409,983,975	
IV. ADVANCE	ADVANCE PAYMENTS & UN EXPIRED DISCOUNTS			5,360,564,211			5,397,592,794	
for the port	or the portion for which value has still to be given							
	ABILITIES			3,776,314,300			3,757,811,377	
VI. INTEREST	NTEREST ACCRUED BUT NOT DUE ON LOANS			366,573,733		•	364,523,497	
				18,217,905,848			18,024,039,285	
B. PROVISIONS:	lS:							
a) Provis	Provision for Taxation		3,839,532,141			3,476,877,311		
b) Provis	Provision for contingencies		0			0		
c) Other	Other provisions		0			0		
				3,839,532,141	22,057,437,989		3,476,877,311	21,500,916,596
NET CURRENT ASSETS	ASSETS				-3,308,078,093			-971,971,813
MISCELLANEOL	MISCELLANEOUS EXPENDITURE:	2.5			0			0
(To the extent no	To the extent not written off or adjusted)							
DEFERRED TAX ASSET:	ASSET:	1.4			1,174,322,230			1,575,652,348
TOTAL APPLICA	TOTAL APPLICATION OF FUNDS				23,619,613,353			22,784,162,114
						C < L	() - () () () () () () () () () () () () ()	

CHAIRMAN

SCHEDULE - 1.1

RESERVES AND SURPLUSES

Schedules to Balance Sheet

Repayment of Loans 0 5,984,723,714 395,359,788 446,962,300 & Contingencies 6,380,083,502 5,933,121,202 Development, Reserve for Statutory Reserves 809,601,646 5,580,663,202 6,390,264,848 6,390,264,848 Capital Assets Replacement Reserve 0 2,747,124 0 0 2,747,124 2,747,124 Employees Welfare Fund H~ Revenue Reserves 300,000 Family Security Scheme 11,436,038 80,441,968 58,705,930 6,333,061 74,108,907 Employees' 0 24,195,159 2,701,000 985,276,644 1,009,471,803 1,006,770,803 General Reserve Fund h~ 9,613,441,773 15,966,880 9,629,408,653 9,629,408,653 Reserve Capital Contribution from Revenue A/c Transfer to Statutory Reserves Transfer from Other Reserves Closing Balance as on 31.03.2019 Transfer to Revenue Account Transfer to Capital Reserve Opening Balance as on 01.04.2018 Additional Depreciation General Reserve Fund Repayment of Loans Expenditure during the year Transfer from Revenue A/c Transfer from Reserves Net Deficit Other Transfers Other Transfers (a) 9 **a** <u>a</u> æ ø 9 \odot O LESS: ADD: ر ز ر ز ഗ

F.A. & C.A.O. i/c

Schedules to Balance Sheet SCHEDULE - 1.2

LOAN FUNDS

	Secured	Loans
	Loans & Advances	Funds provided by Govt. of India
Balance as on 1-04-2018		548,578,100
Received during the year		0
Payments during the year		157,911,910
Balance as on 31-03-2019		390,666,190

Schedules to Balance Sheet

SCHEDULE - 1.3

GRANTS RECEIVED	₹
Balance as on 1-04-2018	2,772,750
Received during the year	192,500,000
Payments during the year	0
Balance as on 31-03-2019	195,272,750

Schedules to Balance Sheet

SCHEDULE - 1.4

DEFERRED TAX

	AS AT 31st MARCH 2019	AS AT 31st MARCH 2018
Defferred Tax Liabilities - Opening Balance:	₹	₹
Timing difference on account of Depreciation	375,285,895	199,134,495
Less/Add:Upfront amortissation DTL	26,757,764	27,359,473
Less: Timing difference on account of sums payable as employer u/s 43(B) of IT Act, 1961	1,924,180,479	1,806,317,272
Deffered Tax Liability / (Asset)	-1,575,652,348	-1,634,542,250
Timing difference on account of Depreciation DTL	419,309,570	375,285,895
Less/Add:Upfront amortissation DTL	632,627,908	26,757,764
Less: Timing difference on account of sums payable as employer u/s 43(B) of IT Act, 1961 DTA	2,226,259,708	1,924,180,479
Deffered Tax Liability / (Asset) Closing balance	-1,174,322,230	-1,575,652,348
Net Deffered Tax charged to P&L Account	401,330,118	58,889,902

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट VISAKHAPATNAM PORT TRUST

SCHEDULE - 2.1

FIXED CAPITAL ASSETS

Schedules to Balance Sheet

			Gross	s Block			Depreciation	iation		Net	Net Block
	Asset Class	As on 1st April 2018	Additions	Deletions	As on 31st March 2019	As on 1st April 2018	Depreciation during the year	Depreciation adjustment	Depreciation as on 31/3/2019	As at 1st April 2018	As at 1st April 2019
		₩>	*	*>	*	₹	₹>	*>	*>	*>	*
_	Land	391,218,245	0	0	391,218,245	0	0	0	0	391,218,245	391,218,245
	Lease hold Land	73,881	0	0	73,881	0	0	0	0	73,881	73,881
2	Capital Dredging	5,579,626,847	0	0	5,579,626,847	537,490,648	54,625,863	0	592,116,511	5,042,136,199	4,987,510,336
က	Buildings Sheds and Other Structures	911,809,453	46,064,685	4,457,886	953,416,252	374,973,105	23,794,229	1,815,383	396,951,951	536,836,348	556,464,301
4	Wharves, Roads, Boundaries	2,232,324,845	225,754,844	0	2,458,079,689	496,142,866	73,664,986	0	569,807,852	1,736,181,979	1,888,271,837
2	Floating Craft	2,253,574,907	0	0	2,253,574,907	1,388,434,055	99,688,855	9,635,548	1,478,487,362	865,140,852	775,087,545
9	Railway and Rolling Stock	1,890,286,169	7,473,379	0	1,897,759,548	750,732,266	43,494,168	0	794,226,434	1,139,553,903	1,103,533,114
_	Docks, Sea-Walls, Piers, and Navigational: Aids	4,183,491,177	3,171,291,501	0	7,354,782,678	935,569,981	123,513,174	92,317	1,058,990,838	3,247,921,196	6,295,791,840
∞	Cranes and Vehicles	642,514,479	0	4,271,961	638,242,518	500,550,333	47,917,411	4,271,961	544,195,783	141,964,147	94,046,735
<u></u> ნ	Plant & Machinery	1,618,682,561	11,620,000	13,765,277	1,616,537,284	853,934,910	57,549,631	8,822,969	902,661,572	764,747,651	713,875,712
_	10 Installations for Water, Electricity, Telecom. & Fire Fighting	1,288,735,227	94,683,369	2,978,219	1,380,440,377	1,003,878,219	69,273,895	2,978,219	1,070,173,895	284,857,009	310,266,482
	TOTAL	20,992,337,792	3,556,887,778	25,473,343	24,523,752,226	6,841,706,382	593,522,212	27,616,397	7,407,612,198	14,150,631,410	17,116,140,028
	Capital Works in progress	5,765,726,098	1,461,774,773	3,725,388,423	3,502,112,447					5,765,726,098	3,502,112,447
	TOTAL FIXED CAPITAL ASSETS	26,758,063,889	5,018,662,551	3,750,861,766	28,025,864,673	6,841,706,382	593,522,212	27,616,397	7,407,612,198	19,916,357,508	20,618,252,475

Sd/-F.A. & C.A.O. i/c

Schedules to Balance Sheet SCHEDULE - 2.2

INVESTMENTS

		As at 31st N	MARCH 2019	As at 31st M	ARCH 2018
		COST VALUE	FACE VALUE	COST VALUE	FACE VALUE
		₹	₹	₹	₹
Α.	GENERAL RESERVE				
	CURRENT INVESTMENTS				
	LONG TERM INVESTMENTS:				
1.	Government or Trust Securities				
2.	Shares, Debentures or Bonds	794,000,000	794,000,000	788,000,000	788,000,000
3.	Other Investments	0	0	0	0
	TOTAL(A)	794,000,000	794,000,000	788,000,000	788,000,000
В.	STATUTORY RESERVES				
	CURRENT INVESTMENTS	_	_	-	1
	LONG TERM INVESTMENTS:				
1.	Government or Trust Securities				
	CG 2034 @ 7.50%	20,170,333	20,000,000	20,170,333	20,000,000
	CG 2035 @ 7.40%	19,533,111	20,000,000	19,533,111	20,000,000
		39,703,444	40,000,000	39,703,444	40,000,000
2.	Shares, Debentures or Bonds				
	APPFC Limited Power Bonds				
	Bank of Maharastra Bonds	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Canara Bank Bonds	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
	Canara Bank Bonds	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	Tamilnadu Electricity Board Bonds	8,000,000	8,000,000	14,000,000	14,000,000
	UBI Bonds Issue	0	0	0	0
	DCI Tax Free Bonds-2013	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	DCI Shares (5451710 Shares @ Rs.10/-each as face value)	2,786,372,100	54,517,100	0	0
		3,068,372,100	342,517,100	294,000,000	294,000,000

Schedules to Balance Sheet

SCHEDULE - 2.2

INVESTMENTS

		As at 31st N	IARCH 2019	As at 31st M	ARCH 2018
		COST VALUE	FACE VALUE	COST VALUE	FACE VALUE
		₹	₹	₹	₹
3.	Other Investments	0	0	0	0
		0	0	0	0
	TOTAL(B) (1+2)	3,108,075,544	382,517,100	333,703,444	334,000,000
C.	CASH SURPLUS FUNDS				
	LIC of India under Group Leave Encashment Scheme	1,076,324,777	1,076,287,523	996,194,525	996,194,525
	Bajaj Allianj under Group Leave Encashment Scheme	42,175,644	42,175,644	39,639,790	39,639,790
	Bajaj Allianj under Family Security Scheme	74,705,119	74,705,119	69,718,513	69,718,513
	State Bank of India (Life) under Group Leave Encashment Scheme	39,835,657	39,835,657	36,867,799	36,867,799
	TOTAL (C)	1,233,041,197	1,233,003,943	1,142,420,627	1,142,420,627
	TOTAL INVESTMENTS: (A+B+C)	5,135,116,741	2,409,521,043	2,264,124,071	2,264,420,627

Schedules to Balance Sheet

SCHEDULE - 2.3

CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES

	As at 31st N	MARCH 2019	As at 31st MA	ARCH 2018
OUDDENT ACCETO	₹	₹	₹	₹
CURRENT ASSETS i. Accrued Interest on Investments ii. Inventories		420,938,849		471,483,691
Service Stock & Spares Inventories held for less than 2 years Inventories held for more than 2 years but less than 3 years Inventories held for more than 3 years but less than 10 years Inventories held for more than 10 years but less than 15 years Inventories held for more than 15 years	273,387,171 367,188 4,164,060 332,625 20 278,251,064		236,255,334 1,523,965 3,661,457 332,645 0 241,773,401	
less: Depreciation on Non-moving Inventories	547,421	277,703,643	163,773	241,609,628
iii. Sundry Debtors a) Debts Considered good but not secured: a. Cargo related dues b. Vessel related dues c. Estate dues d. Railway dues e. Fishing Harbour dues f. Other misc. dues	357,685,689 2,381,543 3,531,282,958 156,838,496 167,384,229 37,366,871		267,913,328 33,669,718 3,047,406,114 148,722,264 125,291,560 14,588,005	
b) Debts Considered doubtful or Bad:		4,252,939,786		3,637,590,989
a. Cargo related dues b. Vessel related dues c. Estate dues d. Railway dues e. Fishing Harbour dues	22,927,786 2,377 4,259,566 40,879,049 5,026,643	73,095,421 4,326,035,207 73,095,421 4,252,939,786	22,927,786 2,377 4,259,566 40,879,049 5,026,643	73,095,421 3,710,686,410 73,095,421 3,637,590,989
iv. Cash & Bank Balances			•	
a. Cash on hand b. Balance at Banks: c. In Current/Savings Bank Accounts: Andhra Bank - Port Branch Axis Bank Bank of Baroda Canara Bank VIJAYA BANK ICICI Bank Indian Overseas Bank Industrial Development Bank of India (IDBI) Oriental Bank of Commerce State Bank of India - Surya Bagh Branch State Bank of India - Main Branch State Bank of India - Main Branch State Bank of India - Port Branch Union Bank of India - RTGS SB A/c 133641 SBI Imprest SBI-PB-PCS A/c(I)-31 IDBI-PCS(O)-15010300 HDFC-PCS A/c(O)-5003	6,516,788 184,646 58,648 7,982 0 9,559 176,623 1,108,696 2,760,330 655,337 1,539,465 112,867,617 4,991,625 84,566 100,000 101,529 188,789	1,531,206	82,409,081 1,315 58,648 7,982 0 0 9,559 16,183 1,108,696 4,296,030 655,337 1,413,958 2,924,092 4,991,625 255,942 100,000 0	1,312,884
SBI- RFID	33,809,594	165,161,794	0	98,248,449

Schedules to Balance Sheet

SCHEDULE - 2.3

CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES

	As at 31st N	MARCH 2019	As at 31st M	ARCH 2018
	₹	₹	₹	₹
d. In Deposits Accounts (TDR A/c & CLTD A/c): Andhra Bank Union Bank of India Canara Bank Bank of India	390,100,000 20,000,000 0		1,044,500,000 600,000,000 0	
IDBI LIC Of INDIA State Bank of India - Port Branch Vijaya Bank	1,880,000,000 3,260,000,000 120,000,000		4,990,000,000 0 269,300,000 1,850,000,000	
State Bank of Mysore Indian Overseas Bank	0 520,000,000		700,000,000	
Syndicate Bank	0 6,190,100,000		9,453,800,000	
	2, 22, 22,22	6,190,100,000 6,356,792,999	-,,,	9,453,800,000 9,553,361,332
TOTAL CURRENT ASSETS		11,308,375,277		13,904,045,641
LOANS & ADVANCES * 1. Advances & Loans to subsidiaries/ Ports / Trusts Stores drawn by Cargo Handling Division Intercorporate Loan Advance to Pension Fund Trust	0 10,000,000		10,000,000	
Advance to Gratuity Fund Trust Sub-ordinate Loan to Visakhapatnam Port Road Co. Ltd.	118,000,000	120 000 000	124,000,000	134,000,000
Advances recoverable in cash or in kind or the value to be received Advances for Contract Works Advances for Purchases - Stores Computer Advances House Building Advances Motor Car/Cycle Advances Travel/LTC Advances Others	281,830,906 50,989,982 3,055,917 4,383,730 1,812,981 5,693,212 275,183,627	128,000,000	220,097,666 61,421,260 3,906,168 5,002,776 2,615,487 5,711,252 175,200,939	134,000,000
less: Provision for Doubtful Advances		622,950,354 604,399 622,345,955		473,955,548 604,399 473,351,149
Balances with Customs, Excise, Income Tax etc. Voluntary deposit with Telecommunication Dept. Income Tax - TDS, Advance Tax & Service Tax	30,550 6,582,851,673	6,582,882,223	30,550 5,909,875,450	5,909,906,000
Deposits Deposits with APTRANSCO. Deposits with GVMC.	54,262,780 53,493,660	107,756,440	54,148,334 53,493,660	107,641,994
* Loans and Advances considered as good and unsecured.		.57,100,110		, ,
TOTAL LOANS & ADVANCES		7,440,984,618		6,624,899,143

Schedules to Balance Sheet

SCHEDULE - 2.4

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

		As at 31st N	MARCH 2019	As at 31st N	IARCH 2018
		₹	₹	₹	₹
I.	PROVIDENT, PENSION & GRATUITY FUNDS				
	a) Provident Fund	71,381,864		88,286,351	
	b) Pension Fund	4,665,550,940		5,042,241,118	
	c) Gratuity Fund	-44,914,552		-40,220,831	
			4,692,018,252		5,090,306,638
II.	SUNDRY CREDITORS				
	a) Creditors for Stores	11,141,621		3,821,005	
	b) Unadjusted Sale proceeds of unclaimed goods	0		0	
	c) Unadjusted Sale proceeds of surplus materials	0		0	
			11,141,621		3,821,005
III.	MISCELLANEOUS CREDITORS & CREDIT BALANCES				
	a) Demurrage/Wagon Hire charges payable to Railways	164,862,523		108,091,438	
	b) Statutory Payments	781,903,065		741,881,259	
	c) Liability towards Capital Expenses	21,272,455		21,272,455	
	d) Others	698,481,900		504,586,706	
e)	Deposits from Merchants, Contractors & Others	2,344,773,788		2,034,152,117	
			4,011,293,731		3,409,983,975
IV.	ADVANCE PAYMENTS & UN EXPIRED DISCOUNTS				
	for the portion for which value has still to be given	44.4.400.055		4.40.000.000	
	a) Prepaid Income	114,132,355		146,382,330	
	b) Up-front Premium to be amortisedc) Volume Discount to be given to Trade	5,246,431,856		5,251,210,464 0	
	c) Volume Discount to be given to Trade	U	5,360,564,211	U	5,397,592,794
l v	OTHER LIABILITIES		3,776,314,300		3,757,811,377
l	INTEREST ACCRUED BUT NOT DUE ON LOANS		366,573,733		364,523,497
•	TOTAL CURRENT LIABILITIES		18,217,905,848		18,024,039,286
B	PROVISIONS:		10,=11,000,040		10,02 1,000,200
<u> </u>	Provision for Taxation	3,839,532,141		3,476,877,311	
'/)	Provision for contingencies	0		0	
,)	•	0		0	
'	TOTAL PROVISIONS		3,839,532,141		3,476,877,311
	TOTAL CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		22,057,437,989		21,500,916,597

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

	FOR THE PER	IOD ENDING
	31st MARCH 2019	31st MARCH 2018
INCOME:		
Cargo Handling & Storage Charges	4,146,818,387	3,737,148,040
Port & Dock Charges	3,983,182,083	3,739,704,863
Railway Earnings	1,611,827,750	1,526,881,781
Estate Rentals	2,272,082,703	1,634,373,667
TOTAL OPERATING INCOME	12,013,910,923	10,638,108,351
EXPENDITURE:		
Cargo Handling & Storage	1,130,821,950	949,649,548
Port & Dock Facilities	1,332,156,208	1,334,094,650
Railway Working	1,059,943,699	743,899,737
Rentable lands & Buildings	401,290,065	477,331,680
Management & General Administrative Expenses	1,985,897,395	1,911,998,277
TOTAL OPERATING EXPENDITURE	5,910,109,317	5,416,973,892
OPERATING SURPLUS:	6,103,801,606	5,221,134,459
Add: Finance & Miscellaneous Income	994,161,756	1,335,735,784
Less: Finance & Miscellaneous Expenditure	5,088,854,942	3,961,576,677
PROFIT BEFORE TAX	2,009,108,420	2,595,293,566
Less: Provision for Taxation:		
Previous Years	0	0
Current Year	362,654,830	577,685,557
Deferred Tax	401,330,118	58,889,901
PROFIT AFTER TAX	1,245,123,472	1,958,718,108
Less: Profit on Disposal of Capital Assets transferred to Capital Reserve	15,966,880	2,238,797
Amount Available for Appropriations	1,229,156,592	1,956,479,311
Less: Appropriations		
Fund for Development, Repayment of Loans and Contingencies	395,359,788	754,734,562
Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets	809,601,646	1,140,168,105
TOTAL APPROPRIATIONS	1,204,961,434	1,894,902,667
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	24,195,159	61,576,644

Sd/-CHAIRMAN

		FOR THE PER	IOD ENDING
		31st MARCH 2019	31st MARCH 2018
		₹	₹
SCHEDULE - R.1			
CARGO HANDLING & STORAGE CHARGES:			
Handling & Storage charges on General Cargo		1,565,479,424	1,404,422,828
Storage of goods in Ware Houses		70,664,244	44,185,376
Cranage		10,480,330	4,695,013
Lighterage		0	0
Handling of POL Oils & Lubricants		774,080,159	695,152,571
Demurrage fees on General Cargo		37,097,286	480,762,647
Royalties from BOT Contracts		1,648,316,392	1,074,128,225
Miscellaneous Charges		40,700,552	33,801,380
	TOTAL	4,146,818,387	3,737,148,040
SCHEDULE - R.2			
PORT & DOCK CHARGES:			
Towing and Mooring Fees		59,987,245	67,632,008
Dock Dues		673,963,425	752,460,656
Port Dues		1,137,354,405	1,007,805,982
Pilotage Fees		2,071,908,204	1,848,482,678
Dry - Docking charges		19,981,234	38,395,604
Water supply to shipping		5,793,351	3,955,138
Salvage and Under Water Repairs		266,076	4,964,403
Miscellaneous Charges		13,928,143	16,008,394
	TOTAL	3,983,182,083	3,739,704,863
COLUMN TO BE			
SCHEDULE - R.3			
RAILWAY EARNINGS:		470 000 470	470 074 775
Wagon Hire & Haulage Charges		179,888,176	178,971,709
Siding Charges		549,176,065	555,850,760
Terminal Charges		673,075,778	607,296,484
Miscellaneous Charges		209,687,731	184,762,828
	TOTAL	1,611,827,750	1,526,881,781



	FOR THE PER	IOD ENDING
	31st MARCH 2019	31st MARCH 2018
	₹	₹
SCHEDULE - R.4		
ESTATE RENTALS:		
Rent from Lands	2,107,761,839	1,586,581,364
Rent on Storage Sheds	0	64,595
Rent from accommodation provided for outside offices	14,209,002	14,943,236
Kalavani Auditorium	7,300,000	9,828,701
Rent from Port Trust quarters	2,239,103	5,011,807
Recoverable Charges	117,983,493	12,972,269
Miscellaneous Income	22,589,266	4,971,695
TOTAL	2,272,082,703	1,634,373,667
SCHEDULE - R.5		
CARGO HANDLING & STORAGE :		
Handling and Storage of General Cargo at Sheds and Wharves	698,251,953	573,431,158
Warehousing	0	0
Operation and Maintenance of Ore Handling Plant & OSTT	25,211,889	9,785,896
Operation and Maintenance of Lighters and Barges	211,731	426,786
Operation and Maintenance of Wharf Cranes & Crane Vessels	33,895,997	51,588,908
Expenditure on General facilities at Docks	26,671,912	21,205,458
Administration & General Expenses	219,659,085	179,997,296
New Minor Works	0	0
Depreciation	126,919,383	113,214,046
TOTAL	1,130,821,950	949,649,548

		FOR THE PER	IOD ENDING
		31st MARCH 2019	31st MARCH 2018
		₹	₹
SCHEDULE - R.6		í	
PORT & DOCK FACILITIES:			
Towing, Berthing and Mooring		470,913,144	423,571,840
Pilotage		282,378,817	307,326,805
Dry Docking Expenses		42,404,791	35,010,102
Water Supply to Shipping		11,206,489	8,796,556
Fire Fighting		68,010,797	46,311,045
Dredging and Marine Survey		103,137,427	254,656,888
Operation & Maint. of Navigational aids		16,241,929	12,248,838
Salvage & Under-water repairs		492,926	189,964
Maintenance of Docks & Harbour Walls, Marine Struct	ures etc.	21,054,295	17,564,923
Administration & General Expenses		29,958,595	7,591,752
New Minor Works		0	C
Depreciation		286,356,998	220,825,937
	TOTAL	1,332,156,208	1,334,094,650
SCHEDULE - R.7			
RAILWAY WORKING:			
Operation & Maintenance of Locomotives, Wagons etc	3.	341,999,686	252,135,925
Maintenance of Permanent Way Signals & Inter-lockin	g	260,843,330	99,301,624
Operation, Maint. & Admn. expenses of Stations, Yard	s and Sidings	22,194,920	(
Administration & General Expenses		388,686,265	349,162,491
New Minor Works		0	(
Depreciation		46,219,498	43,299,697
	TOTAL	1,059,943,699	743,899,737



		FOR THE PER	IOD ENDING
		31st MARCH 2019	31st MARCH 2018
OOUEDINE DO		₹	₹
SCHEDULE - R.8			
RENTABLE LANDS & BUILDINGS:			
Estate Maintenance		320,072,747	418,211,481
Land repairs and reclamation		3,085,209	1,420,945
Administration & General Expenses		1,336,942	679,137
New Minor Works		0	0
Depreciation		76,795,167	57,020,117
	TOTAL	401,290,065	477,331,680
SCHEDULE - R.9			
MANAGEMENT & GENERAL ADMINISTRATION:			
Management & Secretarial Expenses		139,270,392	108,112,647
Port Security (C.I.S.F)		344,190,377	321,587,662
Legal Expenses		21,196,767	7,131,531
Labour and Welfare Expenses		141,374,074	269,660,701
Research and Planning Cell		65,780,842	63,341,644
Medical Expenses		404,222,246	350,851,902
Store Keeping		64,863,694	50,082,212
Accounting and Auditing		126,819,220	66,426,585
Expenditure on Head Office Building		0	0
Telephones		11,552,779	12,033,329
Engineering & Workshop Administration Overheads		544,491,435	545,358,177
Sundry Expenses		74,637,776	76,671,339
Depreciation		47,497,793	40,740,548
	TOTAL	1,985,897,395	1,911,998,277

Schedules to Profit and Loss Account

		FOR THE PER	IOD ENDING
		31st MARCH 2019	31st MARCH 2018
SCHEDULE - R.10		₹	₹
FINANCE & MISCELLANEOUS INCOME:	,		
Interest on Fixed Deposits & Cash Balances		741,912,398	572,153,534
Interest on Revenue Account		32,217,339	42,849,616
Interest on Deposit Account		2,245,680	3,894,124
Interest on Income Tax Refunds		15,390,640	93,677,658
Hire of plant other than for cargo handling		0	276,634
Miscellaneous Income		110,346,401	402,991,036
RFID Income		25,772,961	0
Sundry Receipts		31,879,429	42,955,384
Profit on Disposal of Capital Assets		16,622,768	25,587,265
Centage Charges		181,171	6,831
Sale of Tender documents		2,042,006	509,300
Stores Adjustments (Excesses)		3,411,551	1,021,604
Items relating to previous year		12,139,412	149,812,797
3 1	TOTAL	994,161,756	1,335,735,784
AAUEDIU E. D. 44		33.,.0.,.33	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
SCHEDULE - R.11			
FINANCE & MISCELLANEOUS EXPENDITURE:		740.000	750 440
Bank Charges INTEREST PAYABLE ON:		719,663	756,143
		400 400 040	44.070.500
i) Loans from Government		466,106,248	44,976,586
ii) Loans from Other agencies		0	0
iii) Interest on Others		0	0
Coin adjustment		-4,874	-97,046
Bad Debts written off		0	0
Provision for Bad and Doubtful debts		0	0
Provision for anticipated reduction in investment		300,000,000	0
Property Tax		464,256,919	428,507,439
Expenses on IT appeals etc		1,000	21,000
Loss on Disposal of Capital Assets		1,405,999	18,437,181
Stores Adjustments		45,938	1,326
Loss from external product price differences		2,930,145	5,510,556
Lumpsum payment to ML Candidates		82,000	0
i) Retirement Gratuities		177,900,000	160,297,600
ii) V.R.Scheme Ex-gratia payment		28,906,777	70,318,741
iii) a) Pension Payments		2,782,667,684	1,967,457,911
b) Contribution to New Pension (Tier-I) Scheme		48,297,182	32,405,114
c) Contribution to pension fund		645,800,000	1,000,000,000
d) Commutation of Pension		130,375,666	140,386,316
Contribution to Corporate Social Responsibility Fund		39,174,362	6,912,178
Trustees' Contribution to P.F.		126,348	168,818
Prior period expenses		63,885	85,516,814
	TOTAL	5,088,854,942	3,961,576,677

Sd/-F.A. & C.A.O. i/c



ADDITIONAL SCHEDULE TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT TOTAL EXPENDITURE (INCLUDING FINANCE AND MISC. EXPENSES)

	FOR THE PER	RIOD ENDING
	31st MARCH 2019	31st MARCH 2018
A. PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES: 1. SALARIES, WAGES & BONUS ETC.	₹	₹
i. Salaries and wages ii. Wage Revsion Arrears Provision iii. Bonus	3,025,215,338 87,045,677 53,051,422 3,165,312,437	2,551,132,231 271,865,888 39,495,558 2,862,493,678
2. CONTRIBUTION TO PROVIDENT AND OTHER FUNDS	3,103,312,437	2,002,493,070
i. Trustees' contribution to Provident fund ii. Contribution to Pension fund iii. Pension payments including commutation of pension iv. Pool Kalasi EPF VPT& CHD Contrib	126,348 645,800,000 2,939,571,464 21,769,068	168,818 1,000,000,000 2,128,098,913 12,150,428
	3,607,266,880	3,140,418,159
 3. GRATUITY 4. WORKMEN AND STAFF WELFARE EXPENSES i. Leave Travel Expenses ii. Medical Reimbursement Expenses iii. Nutrition to inpatients iv. Stores (Medicines) v. Stores (Surgical) vi. Payments under workmen compensation Act. vii. Passes and PTO's viii. Scholarships, Prizes and awards ix. VR scheme Ex-gratia Payments TOTAL (A) 	177,900,000 1,984,720 155,511,428 443,712 80,480,240 533,169 84,260 0 98,700 28,988,777 268,125,006 7,218,604,323	160,297,600 1,994,046 134,274,509 459,879 89,695,997 792,442 85,675 243,085 96,600 70,318,741 297,960,975 6,461,170,411
 B. OPERATING EXPENSES: 1. CONSUMPTION OF STORES ON SPARE PARTS ETC. 2. REPAIRS TO PLANT AND MACHINERY (MECH) 3. REPAIRS TO BUILDINGS AND CIVIL STRUCTURES 4. OTHER REPAIRS i. Special Repairs ii. Special Repairs Covered by Estimates iii. Office machine Hire & service charges 	61,413,624 274,679,840 238,137,728 0 74,494,548 32,492,117 106,986,665	81,470,757 219,318,375 202,903,015 0 23,205,875 37,037,718 60,243,593

ADDITIONAL SCHEDULE TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT TOTAL EXPENDITURE (INCLUDING FINANCE AND MISC. EXPENSES)

	FOR THE PER	RIOD ENDING
	31st MARCH 2019	31st MARCH 2018
	₹	₹
5. STORES CONSUMED		
	33,904,161	93,356,602
i. Stores General		
	33,904,161	93,356,602
6. POWER, FUEL, LUBRICANTS ETC.	077 000 400	407 700 000
i. Stores (Operational)	277,088,462	197,702,222
ii. Electric Power	18,476,161	67,815,913
	295,564,623	265,518,135
7. NEW MINOR WORKS	0	0
8. OTHER OPERATIONAL EXPENSES		
i. Damages & Deficiencies payable to Railways	58,297,666	15,257,302
ii. Wagon hire charges	0	4,594,000
iii. Hire charges for floating crafts	12,455,596	9,818,090
iv. Hire charges for vehicles	53,260,272	50,487,640
v. Hire charges for Pvt. Tugs	99,254,919	98,393,012
vi. Fire charges	0	0
vii. Sundry expenses Operational	3,539,767	7,114,505
viii. Freight and handling charges	0	0
ix. Safety	0	0
x. Security Charges	346,419,125	319,137,290
x. Private Security	7,026,830	3,584,912
xi. Dredging Charges	44,520,789	196,090,650
xii. Depreciation	583,788,838	475,100,345
	1,208,563,802	1,179,577,747
TOTAL (B)	2,219,250,443	2,102,388,223
C. GENERAL EXPENSES:		
i. Rent, Rates and Taxes	1,127,358	135,366
ii. Audit Fees	5,495,000	6,082,700
iii. Water Charges	55,133,559	95,667,749
iv. Communication Expenses	435,597	301,791
v. Other Expenses	203,279	374,735
vi. Insurance	22,664,978	2,373,581
vii. Traveling Expenses	13,344,192	9,236,805
viii. Furniture and Office Equipment	824,725	108,100
ix. Miscellaneous Expenses	28,571,924	25,707,862
x. Stevedoring Expenses	0	0
xi. Port Health	0	0
xii. Advertisement and Publicity	8,361,954	12,783,648

ADDITIONAL SCHEDULE TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT TOTAL EXPENDITURE (INCLUDING FINANCE AND MISC. EXPENSES)

	FOR THE PER	RIOD ENDING
	31st MARCH 2019	31st MARCH 2018
	₹	₹
xiii. Trustees' Fees	69,000	105,000
xiv. Entertainment	7,650,313	2,847,278
xv. Books and Periodicals	224,449	245,288
xvi. Legal and Professional Charges	64,050,780	18,158,852
xvii. Printing and Publishing	2,143,705	2,082,814
xviii. Deputation to Training Courses	1,806,973	4,252,504
xix. License Fees	4,217,336	3,237,822
xx. Telephones	6,083,526	8,306,340
xxi. Research and Development	37,153,992	19,143,842
xxii. Subscriptions	5,714	55,456
xxiii. Contributions	26,841,856	13,242,227
TOTAL (C)	286,410,207	224,449,760
D. FINANCE EXPENSES:		
1. INTEREST EXPENSES		
i. Bank Charges	719,663	756,143
ii. Interest on Government Loans	466,106,248	44,976,584
iii. Interest on Other Loans	0	0
	466,825,911	45,732,727
2. PROPERTY TAX	464,256,919	428,507,439
TOTAL (D)	931,082,830	474,240,166
E. PROFIT OR LOSS IN RESPECT OF TRANSACTIONS OF KIND NOT USUALLY UNDERTAKEN BY PORT OR UNDER IN CIRCUMSTANCES OF AN EXCEPTIONAL OR NON - RETURNS, IF MATERIAL IN AMOUNT		
i. Bad Debts written off	0	0
ii. Provision for Bad and Doubtful debts	0	0
iii. Loss on Disposal of Capital Assets	1,405,999	18,437,181
iv. Stores Adjustments	45,938	1,326
v. Provision for anticipated reduction in investment	300,000,000	0
vi. Prior Period expenses	63,885	85,516,814
vii. Expenses on Tax Appeals	1,000	21,000
vii. Contribution to Corporate Social Responsibility Fund	39,174,362	6,912,178
Loss from external product price differences	2,930,145	5,510,556
Coin Adjustment	-4,874	-97,046
TOTAL (E)	343,616,455	116,302,009
TOTAL EXPENDITURE	10,998,964,258	9,378,550,569

Sd/-F.A. & C.A.O. i/c

ANNUAL ACCOUNTS 2018-19

Significant Accounting Policies and Note on Accounts.

(A) ACCOUNTING POLICIES:

- 1. The Books are maintained under Mercantile System of accounting. The fundamental Accounting assumption of Going concern and consistency is followed. Revenue is recognized on accrual basis and presented net of (service tax) / GST and rebates/incentives if any.
- 2. Fixed Capital Assets and Depreciation

All assets are capitalised at original cost

Assets with an expected life of less than 5 years and costing less than Rs.1,00,000/- were treated as revenue assets and charged to revenue expenditure as per the existing directives of the Government.

Depreciation is provided under straight line method.

Depreciation on assets put to use for less than 3 months were provided with no depreciation and assets put to use for less than 6 months were provided with half the depreciation and assets in use for more than 6 months were provided full depreciation as per the Government's guidelines.

Fixed assets are excluded from the financial statements on disposal. The write off of assets are made, as per the provisions of Section 96 of the Major Port Trusts' Act 1963.

Fixed assets under construction are categorized as Capital works in progress.

Profit or loss on disposal of capital assets is being accounted for under Finance & Miscellaneous Income & Finance & Miscellaneous expenditure respectively. Capital Profit arising on disposal, over the original acquisition cost is, however, being transferred to Capital Reserve account.

Investments

The Investments for more than a year are classified as Long Term Investments and Investments for a year or less are treated as Current Investments.

The Investments are carried in the books of accounts at cost. Provision for diminution in the market value of long term investments is made, if in the opinion of the Board such diminution is permanent in nature.

4. Valuation of Inventory

Inventory of stock items are valued at weighted average method.

5. Income

Revenue arising out of rendering of a service is recognised in proportion to the stage of completion of the service without waiting for its completion. Wharfage charges are leviable on goods entering docks as per notified scale of rates, even if they are not shipped. Accordingly the wharfage income is accounted for.

Upfront fee collected on lease of Berths/Facilities and premium on lease of lands are accounted for as pre-paid income and are being amortized during the lease period as per Billimoria report.



6. Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, constructions of assets and are capitalised till the date on which the asset is commissioned. Interest on loans after capitalisation is charged to Revenue on accrual basis.

7. Foreign Currency Transactions

Foreign currency transactions for import of spares and capital equipment are recorded at the exchange rate prevailing on the date of the transaction. Till date the Port does not have any loans in foreign currency for import of spares/capital equipment, nor has it entered into any forward contracts. As and when such a situation arises, the policy will be framed keeping in view the relevant accounting standards.

Port has certain income like vessel related charges etc., which are denominated in US\$, but collected in Indian Rupees using the buying rate notified by the State Bank of India or its subsidiaries or any other Public Sector Bank as on the date of entry of vessel into Port.

8. Taxes on Income

Provision for current tax is made in accordance with the provisions of Income tax act 1961.

Pursuant to AS 22, timing differences mainly on account of depreciation and items covered under Sec. 43B of the Income Tax Act, 1961 resulting in Deferred Tax Assets and Liabilities have been recognised in the Accounts duly charging to Profit & Loss Account. Deferred Tax Assets are recognized and carried forward since there is a reasonable certainty of their realisation considering the past record and estimates of future profits.

9. Actuarial Valuation on annual basis is made for Pension, Gratuity and Leave Encashment.

B. NOTE ON ACCOUNTS

- As per Ministry of Shipping, approval vide letter No.SS-28036/18/2016-DCI-Part-VI dt 19.11.2018, VPT Board resolved Vide resolution no. 196/2018-19 dt 21.2.2019 to acquire 54,51,710 number of equity shares of DCI Ltd from Government of India at a cost of Rs. 278.04 crores and the same has been shown under Long Term Investments under Shares & Debentures at Schedule 2.2
- 2. Capital Reserve includes Funds provided by the Government of India during 1933 to 1964 as initial Capital.
- 3. An amount Rs. 1,59,66,880/- transferred to Capital reserve on account of Profit on disposal of capital assets during the year. The aspect of "maintaining the capital reserve equal to net block less loans outstanding" as per directions of Government of India (Nov.1970) has been reviewed and decided to follow from Financial Year 2017-18, as per the Billimoria Report of Common Frame work of accounting.
- 4. Ministry vide Ir.F.No.PD-19017/9/2016-PD-V dt.1.6.2018 communicated approval for waiver of penal interest amounting to Rs. 250.89 crores in respect of VPT as on 31.3.2017 and further accruals thereon till date of approval of waiver and directed VPT to pay penalty @ 0.25% of penal interest as on date of approval of waiver of penal interest and to repay the outstanding Principal of Rs.44.69 cores and outstanding Interst as on the date of approval of waiver, in one single instalment in the year FY 2018-19.

VPT worked out the amounts payable as follows;

Defaulted Principal Rs. 44,69,62,300/-

Defaulted Interest Rs. 58,64,97,152/-

Penalty @0.25% on Penal Interest Rs. 65,75,609/-

TOTAL Rs. 104,00,35,061/-

Penal Interest to be waived off Rs. 263,02,43,521/-

Office of the CCA, Ministry of Shipping also confirmed the above vide Ir.No. PAO (Sh) / Control/PPT/ 2018-19-101-102 dt 4.10.2018.

Accordingly, VPT Board vide resolution no. 103/2018-19 resolved to make payment in single instalment in the FY 2018-19 amounting to Rs.104,00,35,061/- to Pay & Accounts Officer, O/o The Principal Chief Controller of Accounts, Ministry of Shipping, New Delhi. The said payment was made on 20.03.2019 vide DD no.s 306726 & 306727 for an amount of Rs. 50,00,00,000/- and Rs.54,00,35,061/- respectively in favour of Pay & Accounts Officer, Ministry of Shipping New Delhi in full settlement of Out harbour Loan.

- 5. Physical Verification of Fixed Assets is being done quinquennially as per the policy and procedure laid down in this regard. The committee constituted for Physical verification of fixed assets submitted report which is under reconciliation. Soon after completion of the reconciliation of assets as per books and with that of report, Audit will be informed.
- 6. Physical verification of inventories has been carried out during 2018-19 and negligible discrepancies noticed are of insignificant amount.

As per Ministry LR.NO. pgf-15/76 DT 22.9.1976, 3% reserve for Capital Assets replacement and 3% reserve for Development, Repayment of Loans & contingencies on capital employed is to be funded every year to extent of availability of cash. Appropriation of 3% reserves to Replacement & Modernization and for Repayment of Loans and contingencies amounting to Rs. 78 crores for the year 2017-18 were not made due to insufficient surplus. Now basing on the surplus funds, appropriation for 2017-18 for Rs. 79,07,19,576/- made and for current year i.e2018-19 3% reserve for Replacement, rehabilitation and Modernisation of capital Assets provided for Rs. 41,42,41,858/- and no appropriation made to the Fund for development, repayment of Loans and contingencies as no sufficient surplus is available. The same will be provided in future.

Description	Year	Year
Reserve for Replacement and Modernization of capital asset	2017-18	2018-19
Appropriated during 2018-19	39,53,59,788	41,42,41,858
Reserve for Development, Repayment of Loans &contingencies		
Appropriated during 2018-19	39,53,59,788	NIL

8. An amount of Rs.27,72,750/- received from Ministry of Shipping as grant for procuring and commissioning of Oil Boom equipment. An amount of Rs. 19.25 crores received as grant for construction of Cruise berth.

Position of other Grants received and adjusted are as follows:

Grant received	Details of Asset acquired	Remarks
Rs.30.00 Crores	This amount utilised for creation of two assets under Green Channel Berth namely; a. Strengthening of existing WQ return end at a cost of Rs.18.46 in 2015-16	Value of the assets reduced to the extent grant received and balance amount of asset is shown in Asset register.
	b. Extension of WQ return end in replacement of RCC lay by jetty for Rs.11.54 crores in 2016-17	
Rs.20.00 Crores	The grant was received from Govt of India for execution of existing 2 lane road into 4 lane road from VPT to NH 5 Phase 2 work under Sagarmala. VPT sought approval of Govt of India for contributing the grant received as equity participation of VPT in the SPV i.e VPRCL. and shown the same in WIP.	On formation of Sagarmala Development Corporation, NHAI will issue shares for equity contribution made by VPT, necessary entries for acquiring shares will be made in the books of accounts as and when received.

9. VPT as Local Authority U/S 10 (20) of the Income Tax Act 1961 was exempted from income tax liability up to Assessment Year 2002-03 (Financial year 2001-02). With the amendments in Finance Act 2002, exemption as "Local Authority" to Ports was withdrawn from Assessment year 2003-04 (Financial year 2002-03) onwards. Therefore, VPT is liable to pay income tax from the Assessment Year 2003-04. VPT however applied for registration U/S 12 AA of IT Act as charitable institution for claiming exemption from IT assessment. Registration certificate U/S 12AA was obtained vide order dated 20.3.2008 with retrospective effect from Assessment Year 2003-04 onwards. Consequently tax payments made for the assessment years 2003-04 to 2008-09 were refunded except a portion relating to TDS certificates. The details of balance refunds due from IT Department, Assessment Year-wise are as below:

Assessment Year	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
Refund due (Rs. in crore)	0.19	0.07	0.08	0.04	0.00	5.61

Above amounts are under persuasion with the IT Department for refund. For the Assessment Year 2008-09, IT Department refunded (1.4.2013) Rs.43.99 crore including interest Rs.16.85 crore and interest was credited to P&L Account of 2012-13. Rectification Petition U/S 154 of IT Act was filed for the assessment by IT Dept. for Assessment Year 2008-09 and is under pursuance including balance refund of Rs.5.61 crore.

Due to amendment to Section 2 (15) in the Finance Act, 2008, Ports were not eligible for exemption under section 11 of the IT Act from Assessment Year 2009-10 onwards and VPT was brought into income tax payee with effect from financial year 1 April 2008. The details of tax payments made/TDS claimed, provision made in VPT accounts, tax liability/net refunds claimed as per returns filed and present status of assessments for the Assessment Years 2009-10 to 2015-16 are as below:

SI. No.	Particulars		Status of Assessments from time to time
1.	Financial Year Assessment Year Advance Tax paid & TDS credit Tax provision made in VPT accounts Tax liability as per IT return filed by VPT Refund claimed by VPT as per IT return	2008-09 2009-10 77.72 67.24 54.45 23.27	 a) VPT while filing revised return in March 2010, claimed refund of tax of Rs.23.27 crore. b) After scrutiny and calling several queries, Assessing Officer in its initial assessment computed (December 2011) taxable income as Rs.176.21 crore with tax liability of Rs.70.32 crore and considering, taxes paid/TDS/interests/refunds, ordered net refund of Rs.6.68 crore to VPT. c) Aggrieved by this, Order was contested (30 Jan. 2012) before The Commissioner, IT (CIT)-Appeals, Visakhapatnam. The CIT(Appeals) commenced the hearing in February 2017 and the hearings are in progress. d) VPT filed petition U/s 154 of the IT Act(30.12.2016)
2.	Financial Year Assessment Year Advance Tax paid & TDS credit Tax provision made in VPT accounts Tax liability as per IT return filed by VPT Refund claimed by VPT as per IT return	2009-10 2010-11 76.41 37.50 25.09 51.32	 a. VPT while filing revised return in March 2012, claimed refund of tax of Rs.51.32 crore b. After scrutiny and calling several queries, Assessing Officer computed (Nov. 2012) taxable income as Rs.190.60 crore and arrived tax liability of Rs.58.90 crore. Considering taxes paid/TDS/interests/refunds, ordered VPT to pay balance net tax of Rs.37.02 crore. VPT contested before CIT-Appeals, Visakhapatnam who directed (Jan. 2013) the Assessing Officer to re-compute the taxable income. c. Assessing Officer while re-assessing (27.5.14), revised the income as Rs.130.15 crore with tax liability of Rs.40.22 crore. Considering tax paid/TDS/interests/refunds, ordered for net refund Rs.26.42 crore to VPT. d. Subsequently, Asst. Commissioner of Income Tax (ACIT), Circle-1 Visakhapatnam revised (14 May 2015) the income as Rs.135.25 crore with tax liability of Rs.41.79 crore and ordered net refund of Rs.22.48 crore to VPT. e. IT Dept. refunded (6 April 2016) balance amount Rs.7.54 crore after adjusting additional demand (Rs.14.93 crore) for Assessment year 2013-14.

CI CI				\neg
SI. No.	Particulars		Status of Assessments from time to time	
			f. VPT filed petition U/s 154 of the IT Act(25.4.201 to deduct an amount of Rs.0.89 Crs. from to income on account of Upfront amortization.	tal
			g. VPT filed petition U/s 154 of the IT Act(3.1.2017) grant of short credit of TDS of Rs.9.53 Crs.	ior
			h. The CIT(Appeals) vide Order CIT(A), VSP No.026 12-13/Addl.CIT/R-1/VSP/2013-14 dt.28.3.2014 h partly allowed the appeal for the order U/s 143 of the IT Act and VPT filed(13.6.2014) petition before ITAT, Visakhapatnam Bench and hearings are progress.	as (3) ore
			i. The CIT-1, Visakhapatnam has initiated revision assessment U/s 263 of the IT Act(21.11.201 directing the A.O. to consider for disallowance U 14A a sum of Rs.5.09 Crs and VPT has appeal the same before ITAT, Visakhapatna Bench(27.1.2014) and hearings are in progress.	3) J/s ed am
			j. While finalising (May 2015) assessments U/s for the AY 2010-11 the IT Dept. Ordered tax refu including net interest on tax refunds of Rs.4.71 and the same has been recognised as interior income of 2015-16.	
			k. IT Dept. has shown refund (16 June 2016) Rs.0.37 Crs being the interest U/s 244A fro 14.5.2015 to 31.3.2016 and refund received in Ju 2017 and the same has been recognised as intere income of 2017-18	ne
3.	Financial Year Assessment Year	2010-11	a. VPT while filing return in Sept. 2011, claimed refu of tax of Rs.20.52 crore.	nd
	Advance Tax paid &	2011-12	b. After scrutiny and calling several queries, Assessi	na l
	TDS credit	85.66	Officer in the initial assessment computed (Ja	٠ ١
	Tax provision made in	33.50	2013) taxable income as Rs.329.93 crore and arriv	- 1
	VPT accounts	70.00	tax liability of Rs.101.95 crore. Considering, tax paid/TDS/interests/refunds, ordered VPT to p	- 1
	Tax liability as per IT return filed by VPT Refund claimed by	65.14	balance net tax of Rs.42.40 crore. VPT contest (25.2.13) before the Commissioner, IT (CIT Appeals, Visakhapatnam.	ed
	VPT as per IT return 20.52		 c. Subsequently, taxable income was revised (28.2.1 to Rs.338.44 crore with tax liability of Rs.104. crore. Considering tax paid/TDS/interests/refund 	58

SI.	Particulars	Status of Assessments from time to time	
No.		ordered VPT to pay balance tax of Rs.5.09 cro Aggrieved by this, VPT filed appeal before CIT (on 5.3.14.	
		d. ACIT, Circle-1, Visakhapatnam vide order dt.14.5. under section 154, assessed taxable income Rs.279.86 crore with tax liability of Rs.86.48 cro and considering tax paid/TDS/refunds/interests, r refund due to VPT was arrived at Rs.21.14 cro Refund was finally revised to Rs.21.42 crore.	as ore net
		e. IT Dept. refunded (6 April 2016) balance amou Rs.7.43 crore after adjusting additional dema (Rs.13.99 crore) for Assessment year 2012-13.	
		f. VPT filed petition U/s 154 of the IT Act(25.4.201 to deduct an amount of Rs.1.35 Crs. from to income on account of Upfront amortization.	′
		g. VPT filed petition U/s 154 of the IT Act(20.1.201 for grant of short credit of TDS of Rs.1.06 Crs.	7)
		h. The CIT(Appeals) vide Order CIT(A), VSP No.036 12-13/ACIT/C-1/VSP/2013-14 dt.28.3.2014 h partly allowed the appeal for the order U/s 143 of the IT Act and VPT filed(22.12.2014) petiti before ITAT, Visakhapatnam Bench and hearin are in progress.	as (3) on
		i. The CIT-1, Visakhapatnam has initiated revision assessment U/s 263 of the IT Act(21.11.201 directing the A.O. to consider for disallowance U 14A a sum of Rs.8.51 Crs and VPT has appeal the same before ITAT, Visakhapatnam Bench a hearings are in progress.	3) J/s ed
		j. While finalising (May 2015) assessments U/s 1 for the AY 2011-12 the IT Dept. Ordered tax refun including net interest on tax refunds of Rs.0.29 C and the same has been recognised as intere- income of 2015-16.	ds Crs
		k. IT Dept. has shown refund (16 June 2016) Rs.0.37 Crs being the interest U/s 244A from 14.5.2015 to 31.3.2016 and refund received in Ju 2017 and the same has been recognised as interest income of 2017-18.	om ne

SI.			,
No.	Particulars		Status of Assessments from time to time
4.	Financial Year	2011-12	a. VPT while filing return in Sept. 2012, claimed refund of tax of Rs.67.25 crore.
	Assessment Year	2012-13	
	Advance Tax paid & TDS credit	81.37	b. After scrutiny and calling several queries, initial assessment was completed by the Assessing officer vide order dated 23.3.15 and computed taxable
	Tax provision made in VPT accounts	53.00	income as Rs.134.30 crore with tax liability of Rs.41.50 crore and considering tax paid/TDS/
	Tax liability as per IT return filed by VPT	14.12	interests/refunds, Notice of demand was issued for net balance tax payable by VPT at Rs.0.75 crore.
	Refund claimed by VPT as per IT return	67.25	c. Aggrieved by this, VPT filed (15.4.15) an appeal before CIT (Appeals).
			d. ACIT, Circle-1, by disallowing provision for Gratuity of Rs.30.17 crore, however, revised (25.6.15) the taxable income as Rs.164.47 crore with tax liability of Rs.50.82 crore plus interest demand of Rs.3.92 crore. Considering advance tax paid/TDS/interests/refunds, ordered VPT to pay balance net tax at Rs.13.99 crore. VPT appealed (16.7.15) before CIT (Appeals), Visakhapatnam. Appeal is pending settlement.
			e. In the meanwhile, IT Dept. adjusted (6 April 2016) balance tax demand of Rs.13.99 crore and released Rs.7.43 crore to VPT out of refund ordered for Rs.21.42 crore for Assessment year 2011-12.
			f. For (c) above, the CIT(Appeals) in Appellate Order and Grounds of decision(30.3.2017) has partly allowed the appeal and VPT filed a petition with ITAT.
			g. For (d) above, the CIT(Appeals) in Appellate Order and Grounds of decision(13.3.2017) has dismissed the appeal and VPT filed a petition with ITAT.
			h. For (f) and (g) above the ITAT hearings are in progress.
			i. The ACIT vide letter dt.9.5.2017 on giving effect to the CIT(A)-1 order dt.30.3.2017 revised the total income from Rs.164.47 Crs to Rs.160.34 Crs and arrived at a refund of Rs.32.62 Crs which included the interest U/s244A of the IT Act of Rs.8.41 Crs.
			j. The refund of Rs.32.62 Crs was issued to VPT on 5.1.2018 and the interest U/s 244A for Rs.8.41 Crs. was recognised as interest income of 2017-18.

SI.	Particulars			Status of Assessments from time to time
No.	raniculars			Status of Assessments from time to time
			k.	For AY 2011-12, a consequential order dt.31.3.2016 was passed with a refund amount of Rs.21.42 Crs. Out of the total refund amount, an amount of Rs.13.99 Crs was adjusted for the outstanding demand for the AY 2012-13 and remaining amount was issued to VPT. Later while passing the consequential order dt.9.5.2017 for AY 2012-13, credit of Rs.13.99 Crs was not given to VPT.
			I.	The Dy.CIT, Circle-1(1), Visakhapatnam vide order U/s 154 of the IT Act dt.1.3.2019 refunded Rs.13.99 Crs along with interest U/s 244 A of Rs.1.54 Crs (total amount Rs.15.53 Crs) and adjusted the refund of Rs.15.53 Crs against the outstanding demand for the AY 2016-17(total demand of Rs.46.92 Crs).
			m.	The interest U/s 244A for Rs.1.54 Crs. for AY 2012-13 was recognised as interest income of 2018-19.
5.	Financial Year	2012-13	a.	VPT assessed business loss of Rs.53.65 crore while
	Assessment Year	2013-14		filing return in Sept. 2013 and sought refund of Rs.69.48 crore. Revised return filed in March 2015
	Advance Tax paid &			claiming refund of Rs.82.69 crore.
	TDS credit	82.69	h	After scrutiny and calling several queries, ACIT,
	Tax provision made in		5.	Circle-1(1), Visakhapatnam in his initial assessment
	VPT accounts	15.00		order on 31.3.2016, after disallowing Rs.356.64
	Tax liability as per	0.00		crore, arrived business taxable income as Rs.302.98 crore duly deducting loss of Rs.53.65 crore as per
	IT return filed by VPT Refund claimed by	0.00		return filed by VPT and assessed total tax liability of
	VPT as per IT return	82.69		Rs.97.57 crore.
	·	,	C.	After adjusting Rs.82.64 crore towards advance tax received and TDS claimed, balance tax of Rs.14.93 crore has been recovered, while processing (6 April 2016) refund order for Rs.22.48 crore for Assessment year 2010-11 and refunded balance Rs.7.54 crore.
			d.	Aggrieved by this, VPT filed (18 April, 2016) before CIT(Appeals), Visakhapatnam. Appeal is pending with CIT(Appeals) and hearings have not commenced with CIT (Appeals).
			e.	VPT filed petition U/s 154 of the IT Act(25.4.2016) to deduct an amount of Rs.3.53 Crs. from total income on account of Upfront amortization and also for granting the short credit of TDS for Rs.0.05 Crs.

SI. No.	Particulars		Status of Assessments from time to time
6.	Financial Year Assessment Year Advance Tax paid & TDS credit Tax provision made in VPT accounts Tax liability as per IT return filed by VPT Refund claimed by VPT as per IT return	2013-14 2014-15 56.33 7.29 0.00 56.33	 a. VPT assessed business loss of Rs.35.40 crore while filing revised return in March 2016 and claimed refund of tax of Rs.56.33 crore. b. After scrutiny and calling several queries, ACIT, Circle-1(1), Visakhapatnam in his initial assessment order on 31.12.2016, after disallowing Rs.169.49 crore, arrived business taxable income as Rs.134.09 crore duly deducting loss of Rs.35.40 crore as per return filed by VPT and assessed total tax liability of Rs.41.43 crore. c. After adjusting Rs.56.08 crore towards advance tax received and TDS claimed, Rs.14.64 crore along with interest U/s244A allowed and total refundable by the IT Department is Rs.17.06 Crores. d. The IT Department refunded(4.2.2017) an amount of Rs.17.06 Crs which included the interest of Rs.2.42 Crs U/s 244A of the IT Act and the same recognised as interest income of 2016-17. e. Aggrieved of the disallowances of Rs.169.49 Crore at (b) VPT e-filed petition(8.2.2017) petition before CIT (Appeals), Visakhapatnam. Appeal is still pending with CIT(Appeals). Hearings have not commenced on the CIT appeal. f. VPT filed petition U/s 154 of the IT Act(8.2.2017) for granting the short credit of TDS for Rs.0.25 Crores and also for grant of interest U/s244A which was allowed upto 31.12.2016 only amounting to Rs.2.42 Crs. instead of payment of interest up to February 2017 being the date of receipt of refund. h. IT Department issued a notice U/s 154/155 of the IT Act for levy of Surcharge @10% i.e. Rs.4.82 Crs on the order U/s 143(3) passed on 31.12.2016. i. While issuing the refund for the AY 2015-16 of Rs.6.73 Crs the demand at (h) was adjusted and balance amount of Rs.1.90 Crs was refunded for the AY 2015-16.

SI. No.	Particulars		Status of Assessments from time to time
7.	Financial Year	2014-15	VPT while filing return in March 2017, claimed refun of tax of Rs.48.11 crore.
	Assessment Year	2015-16	
	Advance Tax paid & TDS credit	48.11	 After scrutiny and calling several queries, ACI Circle-1(1), Visakhapatnam in his initial assessmer order on 31.12.2017, after disallowing Rs.37.7
	Tax provision made in VPT accounts	25.18	crores, arrived business taxable income a Rs.123.34 crore as per return filed by VPT an assessed total tax liability of Rs.41.92 crore.
	Tax liability as per IT return filed by VPT	0.00	c. After adjusting Rs.5.00 crore towards advance ta
	Refund claimed by VPT as per IT return	48.11	received and TDS credit allowed Rs.42.70 cror along with interest U/s244A allowed and total refundable by the IT Department is Rs.6.73 Crores
			d. The IT Department refunded(19.1.2018) an amour of Rs.6.73 Crs duly adjusting an amount of Rs.4.8 Crs towards demand for Assessment Year 2014-1 for non-levy of surcharge @ 10% while issuing th assessment order for AY 2014-15 and net refund of Rs1.90 Crs which included the interest of Rs.0.9 Crs U/s 244A of the IT Act.
			e. Aggrieved of the disallowances of Rs.37.70 Crore at (b) VPT e-filed petition(2.2.2018) petition befor CIT (Appeals), Visakhapatnam. Appeal is sti pending with CIT(Appeals). Hearings have no commenced on the CIT appeal.
			f. VPT filed petition U/s 154 of the IT Act(2.2.2018) for granting the short credit of TDS for Rs.0.41 Crores
8.	Financial Year Assessment Year	2015-16 2016-17	 VPT assessed business loss of Rs.11.41 crore whil filing revised return in March 2018 and claimed refun of tax of Rs.47.01 crore.
	Advance Tax paid & TDS credit	47.01	b. After scrutiny and calling several queries through onlin mode, ACIT, Circle-1(1), Visakhapatnam in his initia
	Tax provision made in VPT accounts	0.00	assessment order under section 143(3) dt. 25.12.201 disallowing Rs.351.95 crores and arrived busines taxable income as Rs.237.78 crores and arrived a
	Tax liability as per IT return filed by VPT	0.00	aggregate Income tax liability of Rs.93.93 Crs.
	Refund claimed by VPT as per IT return	47.01	c. After adjusting Rs.5.00 crore towards advance ta received and TDS credit allowed Rs.42.01 crore an total demand payable by VPT u/s 156 of the Addt.25.12.2018 to the IT Department is Rs.46.92 Crores
			d. Aggrieved of the disallowances of Rs.351.95 Crore at (b) VPT opined to file a petition before CIT(Appeals
			e. VPT e-filed an appeal before CIT(Appeals

SI. No.	Particulars	Status of Assessments from time to time			
		dt.23.1.2019. Appeal is pending with CIT(Appeals) Hearings have not commenced on the CIT appeal. f. The AO vide e proceedings issued penalty proceedings and issued a demand notice U/s 156 or			
		the IT Act dt.25.12.2018 for payment of Rs.46.92 Crs g. In order to file the appeal on stay of collection of the disputed demand of Rs.46.92 Crs against the demand notice U/s 156 of the IT Act, VPT has to pay Rs.9.38 Crs being 20% of the disputed demand for AY 2016-17 of Rs.46.92 Crs.			
		h. For AY 2011-12, a consequential order dt.31.3.2016 was passed with a refund amount of Rs.21.42 Crs. Ou of the total refund amount, an amount of Rs.13.99 Crs was adjusted for the outstanding demand for the AY 2012-13 and remaining amount was issued to VPT Later while passing the consequential order dt.9.5.2017 for AY 2012-13, credit of Rs.13.99 Crs was not given to VPT.			
		i. VPT vide its stay petition before the DCIT, Circle-1(1) Visakhapatnam on 24.1.2019 filed a stay petition fo stay of collection of demand for the AY 2016-17 raised u/s 143(3) of the IT Act and requested the AO to adjust the 20% of the demand against the AY 2012-13 refund for credit of Rs.13.99 Crs along with interest U/s 244 A of the Act.			
		j. The Dy.CIT, Circle-1(1), Visakhapatnam vide order Us 154 of the IT Act dt.1.3.2019 refunded Rs.13.99 Cralong with interest U/s 244 A of Rs.1.54 Crs(total amount Rs.15.53 Crs) and adjusted the refund of Rs.15.53 Crs against the outstanding demand for the AY 2016-17(total demand Rs.46.92 Crs).			
		k. The Chief Commissioner of Income Tax-1 Visakhapatnam vide order on the application for stay of collection of disputed demand for AY 2016-17 vide order dt.18.3.2019 informed for payment of Rs.10.00 Crs on or before 22.3.2019 and directed the A.O. to keep the collection of balance of disputed demand in abeyance till the disposal of the 1st appeal by the CIT(A or 31.12.2019 whichever is earlier on certain terms and conditions.			
		I. VPT paid an amount of Rs.10.00 Crs on 20.3.2019 against the disputed demand of Rs.46.92 Crs. Total amount paid against the demand is Rs.25.53 Crs Rs.15.53 at (h) above and Rs.10.00 Crs).			

(Rs. in crore)

SI. No.	Particulars		Status of Assessments from time to time
9.	Financial Year Assessment Year Advance Tax paid & TDS credit Tax provision made in VPT accounts Tax liability as per IT return filed by VPT Refund claimed by VPT as per IT return	2016-17 2017-18 56.13 13.09 0.00 56.13	 a. VPT while filing revised return in March 2019, claimed refund of tax of Rs.56.13 crore. b. Initial assessment has commenced and notice under section 143(2) has been issued vide e-proceedings dt.27.8.2018 and 12.10.2018.
10.	TDS credit as per Form 26 Crs. The interest U/s 244.	SAs is of Rs. A for Rs.1.54	a. VPT while filing revised return in March 2019, claimed refund of tax of Rs.29.17 crore. b. Initial assessment is still pending. ment year 2019-20), advance tax paid NIL and value of 50.34 crores. Provision towards income tax is Rs.54.57 4 Crs. for AY 2012-13 was recognised as interest income is to be filed by 30.9.2019.

9. The following items constitute contingent liabilities.

		(Rs in Crores)
a)	Law suits pending in Courts against Port Trust for claims	71.31 *
b)	Disputed Property Tax Claim for the years 86-87 to 98-99	27.98
	Total	99.29

*In addition to the above, M/s.SEW –vizag coal terminal filed a claim for Rs.1685.74 crores against termination of Concession agreement and VPT also filed a counter claim of Rs.2951.24 crores for revenue loss due to default in completion of EQ-1 against M/s.SEW –Vizag Coal Terminal Pvt Ltd.

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट VISAKHAPATNAM PORT TRUST

- 10 Employees recruited on or after 1.1.2004 are covered under New Pension (Tier-I) Scheme (NPS) with 10% of Basic + DA as monthly employee contribution with employer's matching contribution. Employee and VPT contributions are also transferred to Pension Fund pending remittance to Pension Fund Regulatory Authority (PFRDA)
- 11. The actual monthly Pension Payments are being met from Port Funds duly charging to Finance & Miscellaneous Expenditure till the size of the Pension Fund attains the requisite level. The actuarial valuation of pension liability as on 31.03.2019 as assessed by LIC of India in respect of the Employees on roles is **Rs 1433.58 crores** that of pensioners is **Rs 2573.94** crores. Thus the total actuarial valuation of Pension liability is **Rs 4007.52** crores as on 31.3.2019. During the year contribution to the pension fund is made @ 27% of Salary (basic and DA) payment which amounts to **Rs 64.58** crores. After considering the interest earned during the year of Rs. 214.99 crores, a short provision of Rs. 482.68 crores exists.

Earlier, Portion of Pension Trust Fund was used for purchase of annuities from three insurers, which disburse fixed monthly pension to the retirees covered under annuity scheme and enhancement of pension if any over the above fixed sum is borne by VPT. On demise of retirees covered under Annuity scheme, payment by insurers is ceased. Thereafter, monthly family pensions are paid to nominees through VPT funds.

- 12. As per Actuarial valuation as assessed by LIC of India, as on 31.3.2019 the liability towards gratuity fund is **Rs 233.52** crores. During the year, provision for 8.33% made amounting to Rs.17.79 crores. There is short fall in Gratuity fund liability/investment amounting to Rs.64.45 crores.
- 13. The actuarial valuation of Employees Leave Encashment Liability as on 31/03/2019 as per M/s. LIC of India is **Rs 93.01** crores.
- 14. Separate Trust accounts are maintained for Pension Fund, Gratuity Fund and Provident Fund. There is no separate trust for Group Leave encashment but separate fund is maintained for GLES. During the year 2018-19, payments for Leave encashment met from revenue.
- 15. Detailed statement of Actuarial liability, Provisions created / still to create and funds position there on is furnished herewith.

PENSION , GRATUITY AND GLES FUNDS POSITION as on 31.3.2019						
DETAILS	Pension fund trust	Gratuity fund trust	GLES			
Funds to be provided as per Actuarial valuation	4007.52	233.52	93.01			
Fund available to the end of 31.3.2018	3207.82	155.06	107.26			
Investment made during the year 2018-19	102.03	17.79	0			
Interest earned during the year 2018-19	214.99	11.57	8.53			
Payments made from funds during 2018-19 *	nil	15.35	nil			
Total investment made to the end of 31.3.2019	3524.84	169.07	115.79			
(Shortfall) / Excess in fund	(482.68)	(64.45)	+22.78			

- Shortfall in Pension Fund trust and Gratuity Fund trust will be made good in future basing on the availability of surplus funds. Excess funding in case of GLES will be withdrawn during the year 2019-20.
- 17. Net current assets is resulting in negative balance due to increased liability on account of Pension fund and provision for Income tax.
- 18. As against reserves of Rs. 1333.02 crores (General Reserve and Statutory reserves) an amount of Rs.1009.22 crores investments existing. Details of investments are as stated at Schedule 2.2 A &B amounting to Rs.390.21 crores + Schedule 2.3 D amounting to Rs. 619.01 crores. The difference of Rs.323.80 crores is due to pre closure/ utilisation of funds to meet the following For repayment of Outer harbour loan (one time settlement) Rs.104.00 crores, towards Contribution to Pension Fund Rs.160.00 crores and for contract payments of Rs. 59.80 crores.
- 19. Trial balance is generated from SAP and financial statements were prepared in excel, as P&L account and Balance sheet together with schedules is under customization by TCS.
- 20. Due to severe cyclone HUD HUD, which hitted at Visakhapatnam coast during October 2014, damages caused to some of the fixed capital assets of VPT i.e OSTT, South Break waters etc. A factual note was processed to the Ministry duly estimating the restoration cost around Rs.205.00 crores and to provide the same as budgetary support from Government. No approval has been received till date.
- 21. Provision of wage revision arrears in respect of officers and provision for Bonus to officers and employees provided.
- 22. Claims accounted as income, but subsequently considered to be ineligible for receipt are treated in the books of accounts as expenditure on approval of the competent authority.
- 23. All sundry debtors are considered as good and hence no provision is made for bad debts as per Govt letter no PR-200021/L/198-PG dt 6.11.2002. Out of total debtors of Rs. 425.29 crores, Rs.30.28 crores pertains below 6 months dues and Rs. 395.01 pertains to above 6 months dues.
- 24. Prior period income or expenses which arise in the current periods as a result of errors or omission in preparation of Financial statements of one or more prior periods are included under Finance and Miscellaneous Income or Expenditure.
- 25. As per the Ministry's guidelines vide Lr. No. 25021/1/2011-PD-II dt.02/12/2011, Corporate Social Responsibility fund of **Rs 3.92** crores has been created during the year
- 26. Reconciliation of quantity balances of Stores Priced Ledgers with Bin Cards has been done and necessary adjustments were carried out wherever necessary.
- 27. During the year, letters seeking confirmation of balances have been issued except certain lessee since the same are governed by specific lease agreements.
- 28. Previous year's figures have been regrouped wherever necessary to confirm to the current year's classification.



29. General disclosures as per Billimoria report.

SI. No.	Particulars	2018-19	2017-18	Remarks
1.	Fixed capital Assets retired from active use and awaiting disposal should be disclosed separately.	Nil	Nil	The assets were disposed as and when the same were deemed unfit and the sale proceedings are booked/ charged to revenue in the respective years.
2.	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for as at the end of 31.03.2019	Nil	Nil	As per the policy of VPT to recognize revenue on accrual basis, estimated capital expenditure due to the end of March 2017-18 provided for as at the end of 31.3.2018
3.	Contingent liability not provided for due to disputes	Nil	Nil	In VPT, the contingent liability is provided for all the dispute/court cases. Hence, the same may be treated as Nil
4.	CIF value of Imports during the year: Stores and Spares Capital goods /spares (Rs.in crores)	Nil	Nil	
5.	Expenditure in foreign currency	1.26	Nil	There are no foreign exchange transactions for the year 2017-18 and 2018-19
6.	Earnings in foreign exchange	Nil	Nil	
7.	Value of imported and indigenous stores and spare parts consumed during the financial year with %	Nil	Nil	
8.	Expenditure incurred on research, planning and developmental activities	4.07	1.91	
9.	Borrowing costs capitalized during the year	Nil	Nil	
10.	Foreign exchange gain/ losses during the year	Nil	Nil	
11.	Total capacity of VPT to handle cargo ships in tonnage	126.89	110.75	


SI. No.	Particulars	2018-19		2017-18		3	Remarks	
12.	Actual number of vessels handled during the year	2012		1977				
13.	Actual tonnage handled during the year	65.30		63.54 MT		Τ		
14.	Details of class-wise staff strength (operating) including CHD is: Class i Class II Class III	Class II Class III Class IV Total	CHD 3 1 51 652 707	_	Class II Class III Class IV Total	678	VPT 130 100 1642 969 2841	


S.SIVA KUMAR FA&CAO (i/c) RINKESH ROY, IRTS
CHAIRMAN



The Time Schedule for Laying Annual Accounts and Audit Report with Action Taken Notes thereon of Major Ports in the Parliament.

S.No	Description	Time Schedule prescribed by the Ministry (PD-Misc/26/2016-PD-VI (Coord)) Dt: 29-08-2016	Date on which action taken
'1	Date of submission of Draft Annual Accounts to the Audit	31 st May	30.05.2019
2	Date of release of draft Audit Reports	31 st July	20.08.2019
3	Date of submission of reply by the Ports Trusts to the draft Audit Report	10 th August	03.09.2019
4	Date of release of English Version of Audit Report by the Audit	20 th September	11.10.2019
5	Date of submission of Tax Auditor's Report to the Port Trust.	25 th September	
6	Date of filing of Annual Tax Return by the Port to Income Tax Department	30 th September	Filing date extended up to 31.10.2019
7	Date of submission of printed copies of English and Hindi versions of the Report to the Ministry by the Port Trust	9 th October	
8	Laying of Reports in the Parliament by the Ministry	Winter Session	





ECO FRIENDLY PORT



VISAKHAPATNAM PORT TRUST

Visakhapatnam - 530 035, Andhra Pradesh, India. Tel: 91-891-2876000 | Fax: 91-891-2565023

Web: www.vizagport.com | E-mail: info@vizagport.com